



कुछ देखा, कुछ सुना



सत्साहित्य प्रकाशन

# कुछ देखा, कुछ सुना

घनश्यामदास बिड़ला

१९६६

सत्साहित्य मंडल, नई दिल्ली



## प्रकाशकीय

---

प्रस्तुत पुस्तक के लेखक से हिन्दी के पाठक भलीभाँति परिचित हैं। मडल से उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। 'गाधीजी की छत्रछाया में', 'डायरी के पन्ने', 'बापू', 'रूप और स्वरूप', 'ध्रुवोपाख्यान', 'श्री जमना-नालजी' आदि सभी पुस्तकें लोकप्रिय हुई हैं और उनमें से कुछ के तो कई-कई संस्करण हो चुके हैं।

हमें हर्ष है कि लेखक की यह नई पुस्तक पाठकों को सुलभ हो रही है। उसके कुछ संस्करण तो विभिन्न पत्रों में निकल चुके हैं, लेकिन 'वे दिन', 'मेरा शिक्षण' आदि हाल ही में लिखे गए हैं।

लेखक की लेखन-शैली के विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वह अत्यन्त प्रवाह और प्रभावपूर्ण है। प्रायः सभी रचनाएँ इतनी मार्मिक हैं कि पाठक आरंभ करके उन्हें बिना समाप्त किये नहीं छोड़ सकता।

पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि लेखक ने बड़े-से-बड़े और छोटे-से-छोटे व्यक्ति तक पर लेखनी चलाई है। एक ओर पाठकों को गाधीजी, नेहरूजी, ठक्करबापा प्रभृति के संस्मरण पढ़ने को मिलेंगे तो दूसरी ओर उनका साक्षात्कार 'हीरा' और 'नाहरसिंह' जैसे व्यक्तियों से भी होगा।

हम आशा करते हैं कि इस पुस्तक का सभी क्षेत्रों में स्वागत होगा।

## विषय-सूची

---

१	वे दिन	७
२	मेरा शिक्षण	३४
३	मेरे जीवन में गांधीजी	५०
४	गांधीजी के साथ १५ दिन	६३
५	उत्कल में पाँच दिन	८०
६	गांधीजी मानव के रूप में	८७
७	नवमेंे निरासे	९५
८	जगनलालजी	१००
९	महादेव देमाई	१०५
१०	ठक्करबापा	११३
११	मणिवेन	११५
१२	नीरा	१२४
१३	नाहरमिह	१३६
१४	मुभने नव अन्धे	१५४

## वे दिन

संवत् १९५१ की रामनवमी के दिन मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी का बानवे वर्ष की आयु में शरीर गया और मेरी माता ने शरीर छोड़ा सौ वर्ष पूरे करके। वैज्ञानिक कहते हैं कि दीर्घ आयु के इच्छुक को चाहिए कि जनमने से पहले ही वह लम्बी आयुवाले माता-पिता का चुनाव करे, या तो लम्बी आयु की अभिलाषा छोड़दे। बतानेवालो ने यह नहीं बताया कि जनमनेवाला जनमने से पहले माता-पिता का चुनाव कैसे करे। पर कहनेवालो का तात्पर्य यह है कि दीर्घजीवी माता-पिता की संतान ही अक्सर दीर्घजीवी होती है। शरीर-शास्त्र-विदो की दृष्टि से इस प्रकार मैंने दीर्घजीवी माता-पिता का चुनाव किया, और यदि कोई दुर्घटना न हो तो माता-पिता की वदौलत मुझे एक लम्बी आयु का अच्छा पट्टा मिल गया है, ऐसा मान लेने में कोई दोष नहीं है।

साधारणतया यह खयाल दिल में उमग पैदा करता है, क्योंकि लम्बी आयु का पट्टा हो तो मनुष्य कच्चे-पक्के कई मनसूबे बाँध सकता है और उनका स्वप्न ले सकता है। पर इस प्रश्न का एक और भी पहलू है। कभी-कभी यह भी सदेह होता है कि दीर्घायु यह कोरे लाभ की ही कलम है या हानि की भी। आदमी बुढ़ा होकर मरे, यात्रा के अन्तिम कदम तक पूर्ण स्वस्थ रहे, दिमाग दुरुस्त हो, परिवार के लोग सुखी और सम्पन्न हो, सन्तान सपूत

हो, तो अवश्य ही दीर्घायु एक दिलचस्प यात्रा बन जाती है। पर ऐसा न हो तब ? ऐसा न हो, तो जीवन एक कठोर कारावास बन जाता है, जिससे मुक्ति पाने की आशा में ही मनुष्य जीवन के दिनों को गिनता रहता है।

निष्कर्ष यह कि भगवान् सारी मुविधाएँ दे, तो लम्बी आयु एक आशीर्वाद है। इसमें मीन-मेख हो, तो वह शाप है।

पाण्डवों को यह शाप नसीब हुआ। महाभारत के अन्त में कुटुम्ब-नाश की पीड़ा उन्हें दुःख देने लगी। जीवन नीरस और दुस्तर बन गया। बन्धु-बान्धव और परिजन सब लडाई में काम आये। हर तरफ केवल विधवाएँ, बुझे या रोगी ही दिखाई देने लगे। राज तो मिला, पर रसहीन। बन्धु-बान्धवों के अभाव में विजय का मजा किसकी संगत में भोगे ! जीत सारी किरकिरी बन गई। बुढ़ापा भी आने लगा, तब सत्तार और भी मूना लगने लगा। ऐसे नीरस सत्तार में युधिष्ठिर और सब भाइयों ने हिमालय पर चढ़कर जीवन त्यागने का सकल्प किया।

बुढ़ापा और मीत किसीका पक्ष नहीं करते। राजा-रंक किसी को इन्होंने नहीं छोड़ा। कृष्ण भी इनका मुकाबला नहीं कर पाये। युधिष्ठिर यह सब समझता था, इसलिए मृत्यु अपने-आप आये, उसके पहले ही उसने मृत्यु का माधात्कार करने का निश्चय किया।

यह सही कदम था। व्यास ने इसे अपघात नहीं बताया, क्योंकि अपघात क्षणिक आवेश में आकर प्राण छोड़ देने को ही कह सकते हैं। अग्नेजी में इस अवस्था को क्षणिक पागलपन भी कहते हैं। पर सोच-विचार और निश्चय के अनुसार की गई दृढ़ योजना और उगी योजना के अनुरूप रोजमर्रा की पहाड़ की थका देनेवाली नदारी, गाना-गीना गाना जारी, पर मर-मिटने की अमित चाह

## वे दिन

और इस चाह को पूरी करने के लिए आक्सीजन-रहित स्थान पर हठ के साथ पहुँचना, यह अपघात नहीं, एक तरह की मृत्यु-योग की साधना समझनी चाहिए। योग का कोई एक प्रकार थोड़े ही है। कर्मयोग है तो मृत्यु-योग भी क्यों नहीं।

जल-समाधि लेनेवाले भारत में अनेक साधु-सन्यासी हुए हैं। पर उनका भी मानस क्षणिक होता है। मैंने अपनी आँखों से जल-समाधि लेनेवाले एक सन्यासी को देखा है। आवेश में आकर जल में कूदे कि पीछे हटने की कोई गुजाइश नहीं रह जाती। पर पाण्डवों को तो हर घड़ी पीछे हटने की गुजाइश थी। किन्तु उन्हें तो धीरज और शान्ति के साथ एक ध्येय के लिए शरीर छोड़ना था। यह धीरज उनका देह-पात के समय तक कायम रहा।

मतलब यह था कि जबतक शरीर से कुछ भलाई हो, तबतक उसका सग रखना, और जब इसका अभाव हो तब त्याग कर देना। यही इस योग का मूल सूत्र था।

इस योजना में सबसे पहले द्रौपदी गिरी और उसके बाद एक-एक करके अन्य भाई गिरते गए। पर युधिष्ठिर ने इन गिरनेवालों की तरफ मुँह तक मोड़ने का कष्ट नहीं किया। न क्षोभ किया, न किया गोक या सन्ताप। वह चलता ही रहा, क्योंकि यह सारा क्रम बुनियादी था और उसीके अनुसार ही घटना घटती जा रही थी। फिर क्या तो मुड़ना और क्यों शोक और सताप करना।

खैर, यह तो पाण्डवों की अन्तिम मृत्यु-योजना का विश्लेषण हुआ। बात तो यह है कि दीर्घायु, यह एक निर्मल आशीर्वाद नहीं है कि जिसकी ईश्वर से हर हालत में माग की जाय। उपनिषद्कार ने कहा है कि सौ वर्ष तक हम काम करते-करते मरे। 'काम करते-करते मरे' इस निर्मल आशीर्वाद की पूर्वजों ने माग की है।

पर दीर्घायु माता-पिता की सन्तान होना लाभ का एक पहलू तो है ही, जिसका मूल्य भुलाया नहीं जा सकता और उस मूल्य को समाज का कर्ज मानकर उस कर्ज को अदा भी करना, यही जीवन का लक्ष्य है। जीवन और लम्बी आयु, यह भगवान् की दी हुई धरोहर है।

मेरा जब जन्म हुआ तो मेरे माता-पिता सुखी और सम्पन्न थे। उसके कई वर्ष पहले मेरे पितामह ने धन-उपार्जन कर लिया था। मेरे पिता के पितामह एक धनी परिवार के मुख्य मुनीम थे, जिनकी तनख्वाह शायद सात रुपया मासिक थी, तो भी उनका ऋतवा और दर्जा काफी प्रतिष्ठित था। उस जमाने का सात रुपया माहवार कोई छोटी रकम नहीं मानी जाती थी।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी का वह जमाना था। अजमेर और मऊ की छावनी में बड़े माहवों का निवास था और इनका साहब लोगो से काफी नाज था। जब मेरे प्रपितामह मरे तो मेरे पितामह करीब सोलह साल के थे। मालिको ने इस जवान लड़के को भी अपने पिता के स्थान पर नौकरी में आजाने का प्रस्ताव किया, पर उनकी स्वतन्त्र प्रकृति और उच्चाभिलाषा के कारण नौकरी ने इन्हें आकर्षित नहीं किया और अपनी माता की इजाजत लेकर वह बम्बई की ओर अपना भाग्य आजमाने को चल पड़े।

उन दिनों बम्बई जाना एक बड़ी समस्या थी। सुना है, पिलानी से निकटतम रेलवे-स्टेशन उन दिनों अहमदाबाद या इन्दौर था। मेरे पितामह ने अहमदाबाद के स्टेशन में बम्बई जानेवाली रेल पकड़ी। पिलानी से अहमदाबाद तक ऊँट पर सफर था। गन्ता उन दिनों बिकट था। चोर, डाकुओं का खतरा था। अन्तिम ऐसी रात में एक समूह के साथ होती थी, जिसे 'भागा'

## वे दिन

कहते थे । दिनभर ऊँटों पर चलना और रात को किसी धर्मशाला में या खुले में पडाव डालकर पडा रहना, यह रोजमर्रा का क्रम था । पिलानी से अहमदाबाद पहुँचने में शायद बीस रोज़ लगते थे । रास्ते में तरह-तरह के दृश्य और भाँति-भाँति के लोगो से भेट, यह एक मजा था, जो आजकल रेल या हवाई जहाज की यात्रा में नसीब नहीं होता ।

बम्बई में मेरे पितामह ने सात साल लगातार परिश्रम और ईमानदारी से व्यवसाय किया और फलस्वरूप कुछ धन-संचय भी किया । सात साल के बाद जब वह पिलानी वापस लौटे तो संचित धन से पहली बुनियाद हवेली की डाली और साथ ही एक कुएँ और एक शिवालय की भी ।

भगवान् को भोग लगाकर खाना चाहिए, यह उनका सिद्धान्त था । तेन त्यक्तेन भुंजीथाः—यह उपनिषद् का वाक्य उन्होंने नहीं पढा था, पर उनका विश्वास था कि भोग लगाकर खाने से भगवान् खानेवाले का भला करते हैं ।

प्रथम यात्रा का संचित धन प्रायः हवेली, कुएँ और शिवालय में खर्च हो गया, तब फिर बम्बई की ओर प्रस्थान किया । कुछ साल बाद उन्होंने अपनी स्वतन्त्र दूकान सराफा-धन्धे की खोल दी । बाद में मेरे पिताजी ने धन्धे को उन्नत किया और इस तरह जब मेरा जन्म हुआ तो हमारा परिवार सम्पन्न और उस जमाने के माप-दण्ड के अनुसार धनी परिवारों में एक अग्र-सर परिवार हो गया था ।

सपत्ति कोई अमिश्रित विभूति नहीं है । इसके दोनो पहलू हैं । लक्ष्मी की स्रोतधारा में अमृत के साथ-साथ विष का प्रवाह भी बहता रहता है । जड़-चेतन गुण-दोषमय विश्व कीन्ह कर-

तार—इस लिहाज से लक्ष्मी भी गुण-दोषमय है। दोष को ग्रहण करनेवाला स्रोत का विपैला हिस्सा पीकर, मदमस्त होकर अपना सर्वनाश कर बैठता है और अमृत पीनेवाला अमर बनता है। कलाकार स्वरो की सरगम पर अगुलियाँ रखकर मनमोहक स्वरो से लोगो के दिलो को मोह लेता है और अनाड़ी उसी सरगम से लोगो के कानो को आघात पहुँचाता है।

परन्तु परिवार का सम्पन्न होना मेरे लिए घातक सावित नहीं हुआ, इसका कारण था हमारे परिवार की परम्परा।

मेरे पितामह और पिता दोनो सरल प्रकृति के, ईश्वर में श्रद्धा रखनेवाले, धर्मभीरु थे। उनकी जीवन-चर्या कठिन थी। एक तो वैसे ही मरुभूमि में रहनेवालो का जीवन कष्टमय होता है, गर्मी में वेहद गर्मी, जाड़े में वेहद जाड़ा। पानी का अभाव, आये साल अकाल, ऊँटो की यात्रा, सब्जी और फलो का पूर्ण अभाव। सभ्य कही जानेवाली सभी चीजो से अलगाव। ऐसी स्थिति का ऐग-आराम से कोई नाता नहीं जुडता।

यदि राजस्थानी महज राजस्थान में ही रहते तो जीवन-निर्वाह भी कठिन था, इसलिए बाहर परदेशों की यात्रा करना और वहाँ वर्षों तक बिना कुटुम्ब के रहना उनके लिए अनिवार्य था।

कलकत्ता-प्रम्वर्ग का निवास भी उन लोगो के लिए सुखद नहीं था। वैसे में वीसो आदमियों के साथ सहवास, उनके साथ एकट्ठा खान-पान, एक-एक कमरे में दस-दस आदमियों का शयना-गार, पान्यानों की तकलीफ और ऊपर में मच्छर और गदमल। ऐसे कठिन जीवन में कमाई करके घर लौटना और वहाँ विश्राम उनके फिर प्रवेश जाना, यह प्रायः जीवनभर का श्रम था।

## वे दिन

घर-गृहस्थी तो सारी राजस्थान मे ही रहती थी । महिलाओ को भी यह जीवन असाधारण और दु खमय नही लगता था । ऐसे जीवन मे उछरनेवाले लोग शायद ही मदमस्त हो सकते है ।

मेरे दादा और पिता गर्मी के मौसम मे जब दुपहरी मे विश्राम करते, तो हवेली के सदर दरवाजे की दो कोठरियो पर जो दुछती थी, उसीपर खटिया डालकर दो घण्टे का विश्राम करते थे । यह दुछती कोई पाँच फुट लबी और चार फुट चौडी थी और आँगन से छ. फुट ऊँची । इसपर चढने का कोई जीना भी नही था । एक लोहे की जजीर छत पर से लटकती थी, जिसको पकड़कर एक पाँव दीवार मे पत्थर के आगड़े पर रखकर, दूसरा पाँव दुछती की छत पर पहुँच जाता था, और इस कसरत के बाद विश्राम होता था । अजीब तरीका था यह छत पर पहुँचने का । सारी उमर इस कलाबाजी से चढने मे बिताई । कभी यह खयाल नही आया कि जीना क्यो न बना लिया जाय ! ऐसे कठोर जीवन की परम्परा मे मेरा जन्म हुआ, इसलिए परिवार सम्पन्न होते हुए भी मुझे सम्पदा के भयानक रूप देखने का अवसर ही नही मिला ।

अब यह चीज बदल रही है । राजस्थानियो का निवास-स्थान कलकत्ता-बम्बई बन गया, न ऊँट रहे और न रहे मच्छर या खटमल । विजली-पखा तो है ही, एयरकडीशन भी आ गया । इसलिए धन के उपद्रव से आज की सतान भाग्यशाली हो, तो ही बच सकती है ।

मेरे लिए भी बचपन का जीवन उतना ही कठोर था, जितना कि अन्य राजस्थानी धनिको का होता है । बचपन मे वही अनुभव मुझे मिला, जो राजस्थान की परम्परा थी । मुझे भी वही

गर्मी, सर्दी और ऊँट मिले । न मिले फल और न सव्जी । परदेश मे वही खटमल, वही मच्छर, वही बासा और वही पाखानो का क्लेश । जवानी आते-आते ये सब क्लेश गायब हो गए, पर जो स्वभाव एक मर्तवा बन गया, वह बन ही गया ।

राजस्थानी धनिकों और मध्यम श्रेणी के लोगो के जीवन की प्रचलित कठिनाई मे कोई देखनेलायक फर्क नही था । सभी का जीवन सहूलियतो के अभाव मे आज के माप-दण्ड से कष्टप्रद था । पर किसीमे इस कष्ट का अखरना नही देखा । अनिवार्य समझकर लोग इसको कष्ट नही मानते थे ।

हर मनुष्य, चाहे जाडा हो या गर्मी, शौच के लिए एक-दो मील दूर जगल ही जाता था । धनिक वर्ग ने—उस जमाने के धनिक भी आज के मध्यम वर्ग के मुकाबले मे गरीब कहलाये जा सकते हैं—कभी यह नही सोचा कि घर मे पाखाना और स्नान-घर क्यों न बना लिया जाय ! ऐसी कल्पना ही एक क्रांतिकारी विचार माना जा सकता था, और यदि कोई ऐसा कर लेता, तो ग्राम का समाज अवश्य ही उसे घृणा की नजर से देखता ।

हमारा परिवार भी इसी कठोर राजस्थानी जीवन की परम्परा मे अकुरित हुआ और बढा । इसलिए हमारे जीवन-स्तर मे सिवा इसके कि हमारा मकान (हवेली) ठीक था, दो ऊँट थे, दो गायें थी, कपडा कुछ औरो से अच्छा था, औरो के मुकाबले मे और कोई भिन्नता नही थी और न विभिन्नता की स्वाहिय ही थी ।

पर और परिवारो ने हमारे परिवार मे कुछ विशेषता थी, और वह थी धर्म के प्रति निष्ठा । हम और पिता, दोनों उस कठिन जीवन के प्रति निष्ठा से उदात्तवृत्ति मे भी थे

और धर्म में उनकी श्रद्धा थी। इसलिए मुझे भी उनकी ही राह का अनुसरण करना पड़ा।

बचपन से ही सुबह पाँच बजे उठ जाने की मेरी आदत डाल दी गई। सवेरे उठकर, निवृत्त होकर, दातून और स्नान से निवृत्त कर, जो पहला काम करने के लिए पिताजी मुझे बाध्य करते थे, वह थी नित्य की पूजा। यह अनिवार्य थी। नौ साल का हुआ तब तो मुझे एक चन्दन का वोटा, चकला, ताम्ब्री, पच-पात्र, विष्णु-सहस्र-नाम का गुटका, आसन और पूजा की सामग्री का एक झोला सौंप दिया गया था। सुबह सात बजे कि आसन पर बैठ गए, पिता और पितामह के साथ। पहले चन्दन-केशर साथ में घिसकर तिलक लगाओ और उसके बाद विष्णुसहस्र-नाम का पूरा पाठ करो।

पाठ की यह हालत थी कि न तो मेरे पिताजी को शुद्ध पाठ आता था, न आता था मुझे। पर सामने जो गुटका था, उसपर से अट-सट जो बन पड़ता, तेज रफ्तार के साथ मैं पाठ करता ही जाता था। वह सारा-का-सारा अशुद्ध पाठ मुझे कण्ठाग्र हो गया। इन अशुद्धियों का पता तो तब लगा, जबकि मैं संस्कृत में थोड़ी गटर-पटर करने लगा, और जब पता लगा, तब तो मेरा पाठ का अभ्यास भी छूट गया था।

और भी कई यम-नियम पिताजी से मिले। ग्रहण में कभी खटिया पर नहीं पड़े रहना, और ग्रहण शुद्ध न हो तब तक भोजन न करना। ग्रहण में छाया-पात्र का दान भी देना पड़ता था। श्रावण में सोमवार का उपवास करके, शिव-पूजन करके, फलाहार करना पड़ता था। इस शिव-पूजन और फलाहार में मुझे काफ़ी मजा आता था। पर जाड़े के दिनों में, ग्रहण की वेला में,

रात को खटिया से उतरना बहुत ही अखरता था। कभी बीमार हो गया तो पिता महामृत्युंजय का जाप करवा देते थे और उसका सकल्प देना पड़ता था। बुखार हो तो भी समय की सधि में खटिया पर नहीं लेटना, यह भी एक कड़ा नियम था, जो काफी अखरता था। ज्यादा बीमार हो गए तो सुन्दरकाण्ड का पाठ और फिर अधिकाई करनी हो तो शतचण्डी। मैं नहीं कह सकता कि मेरी इन सभी चीजों में श्रद्धा थी। दुर्गासप्तशती का नित्य पाठ मैंने वर्षों किया, पर जब श्रद्धा हट गई तो छोड़ दिया।

पर ईश्वर में मेरी श्रद्धा रही, जो बढ़ती ही गई। प्रार्थना में कुछ श्रद्धा रही, पर ज्यादा श्रद्धा काम में रही। हाथ काम, मुख राम, हिरदे साँची प्रीत—यह सूत्र कुछ ज्यादा जँचा।

जो हो, श्रद्धा रही या नहीं, पर जो अभ्यास करवाया गया, वह एक स्वभाव बन गया। एक तरफ राजस्थान का कठोर जीवन और साथ में ये माता-पिता के दिये यम-नियम, इन्होंने मेरी काफी भलाई की।

पच्चीस साल का होते-होते तो राजस्थान और राजस्थानी कष्टों से मेरा सम्पूर्ण नाता टूट गया। कलकत्ता-वास में मुख-सामग्रियों का जो अभाव अवतक था, वह सारा मिटा दिया। पर इतने दिनों के अभ्यास के बाद इन मुख-सामग्रियों में कोई विशेष लाकार्पण भी नहीं रहा।

अजीब बात है कि मनुष्य का स्वभाव कैसे बनता है। मेरा प्रयास है कि मनुष्य भी एक तरह का वृक्ष है और कई पहलुओं से मनुष्य और वृक्ष में कोई फर्क नहीं है। राजस्थान में अच्छे बाजरे तो बीज मंगाकर बंगाल की भूमि में बाँट दिये। एक नाम के बाघ राजस्थानी बाजरा बगानी बन जायगा और

उसका जागडापन भाग जायगा। कलकत्ते से गुलाब लेजाकर राजस्थान मे लगीओ, तो वह बेहद रगीला बन जायगा। बम्बई का हापुस आम का पेड बगाल मे नही पनपता। प्राय वृक्ष स्थानीय मौसम के आदी होकर अपने-आप उसी मौसम के अनु-कूल, अच्छे या बुरे, बन जाते है। वैसे ही मनुष्य भी वातावरण का गुलाम है। मैने जो बचपन मे देखा, सुना, जैसी दिनचर्या रही, जैसा समाज का वातारण रहा, जैसे साँचे मे मै ढल गया, उसपर फिर अमरीका या यूरोप की हवा का कोई असर नही हुआ।

राजस्थानी जीवन का यह अनुपम आगीर्वाद जो मुझे मिला, मेरे बाद की पीढीवालो को दुर्लभ होगा, पर उन्हे अन्य कई आगी-र्वाद मिलेगे, जो मुझे नसीब नही हुए।

मेरे बचपन मे पिलानी तीन हजार आदमियो की बस्ती का एक छोटा-सा गाँव था। अब तो बस्ती करीब पन्द्रह हजार की होगी और हरियाली भी बढ गई है। पर उस जमाने मे अन्य राजस्थानी स्थानो की तरह पिलानी के इर्द-गिर्द भी बालू के टीलो की भर-मार थी और वृक्षो का अत्यन्त अभाव था, क्योकि जलाने के लिए लोग लकडी खेतो मे से काट ले जाते थे, इसलिए वृक्ष बढने नही पाते थे। जमीन की बहुतायत थी और जोतनेवाले कम थे। साग-सब्जी तो वर्षा ऋतु मे ही थोडी-सी होती थी, अन्य फलो का नाम तो केवल कोश तक सीमित था। पीचू और पील या तो काकडी, मतीरे मौसम मे मिलते थे, जिन्हे हम आज फलो की सूची मे शुमार भी नही करते।

हमारे ग्राम मे एक बडा बट का वृक्ष था, जिसकी परिधि शायद एक फर्लाग होगी। ऊँचाई भी सभवत १५० फुट रही होगी। कई एक विरले नौजवान थे, जो बट के आरपार पत्थर

फेंक सकते थे। वट की जटाओं ने ऊपर से उतर-उतरकर, जमीन में धँसकर, वट को एक प्राचीन ऋषि-मुनि के जैसा रूप दे दिया था। इसलिए पचासो कोस तक पिलानी 'वटवाली पिलानी' कहलाती थी।

इसकी तीन हजार जनसंख्या क्या थी, यह एक तरह का परिवार था। सबको एक-दूसरे के जीवन के हर पहलू का ज्ञान था। जीवन एक तरह के प्रगल्भ तालाब की तरह था, जिसमें लहरे कभी-कभी और वह भी एक-आध ही उठती थीं। एक तो तब, जब किसीकी मृत्यु होती थी। पिलानी में वह एक असाधारण घटना मानी जाती थी। विवाह भी विशेष घटनाओं में से था और जब लड़की ससुराल जाती थी, वह भी एक अवसर माना जाता था।

लड़की की विदाई बड़ी रोचक थी। वह विदाई प्रायः प्रातः काल होती थी और उस समय का रिवाज था कि लड़की जबतक ऊँट पर चढ़कर गाँव के बाहर एक-आध फलंग न पहुँच जाय, तबतक जोर-जोर से कूका-कूक करती ही जाती थी। क्रम यह था कि जब लड़की घर से निकलती तो चारों ओर परिवार की औरतों के झुरमुट से धिरी-धिरी धीरे-धीरे चल्ती। उस जुलूम के आगे-आगे ऊँट की नकेल पकड़कर लणिहार, अर्थात् लड़की लिया लेने के लिए आनेवाला, चलता था। जबमें लड़की घर से चल्ती, नभी से उसका क्रदन गुरु होता था, और देवियों का झुरमुट विदा का गान छेद देता था। उस तरह धीरे-धीरे यह जुलूम घर में नलकर गाँव के बाहर तक पहुँचता था। सूत्री यह थी कि कूका-कूक और देवियों के विदाई-गीत एक ही स्वर में चल्ते थे। गाँव के बाहर आकर सर्गांत तो बन्द हो जाता

था, पर कूका-कूक की आवाज और भी बुलद बन जाती थी। सब औरते एक-एक करके लडकी से मिलती थी। उसे सात्वना और आश्वासन देती थी, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरा खयाल है, और शायद सभी का यह खयाल था कि लडकी का रोना बिल्कुल रस्मी था और सात्वना देना भी एक नेगचार था।

जो हो, गाँव के लोग यदि इन रस्मों से मन-बहलाव जुटा लेते थे, तो उतनी ही कारीगरी के साथ अन्य क्षेत्रों से भी मनोरजन खीचकर जीवन को रसमय बनाये रखने की फिराक में रहते थे। सौ-पचास वर्ष पहले का हिन्दुस्तान फुरसत में इतना दबा था—और आज भी बेकारी कुछ ही कम है—कि जीवन को नीरसता से बचाने के लिए लोगों को हर क्षेत्र से विनोद और मनोरजन खीचना पड़ता था, और उसके लिए बेखर्चीले और स्थानीय साधन ही जुटाने पड़ते थे। खर्चीले मनोरजन के साधन ऐसा समाज बर्दाश्त भी कैसे करे !

इस प्रयत्न में एक लाभ तो यह होता था कि हर मनुष्य के व्यक्तित्व को व्यक्त होने का अच्छा मौका मिलता था। एक नई तरह की निर्माण-वृत्ति भी जागृत होती थी, हालांकि यह वृत्ति उस समाज की आर्थिक समस्या पर कोई खास असर नहीं डाल सकी, पर आर्थिक क्षेत्र में प्रगति उन दिनों दुर्लभ थी। जबतक नये प्रकार के कल-पुर्जों के साधन उपलब्ध न हों, ऐसा पिछड़ा हुआ दीन समाज करे भी क्या !

आज तो प्लानिंग बन रहा है, विदेश से सहायता के लिए धन आ रहा है, राजनैतिक स्वतंत्रता है और विद्या-उपार्जन जोरो से हो रहा है। पर ये सब चीजे सौ-पचास वर्ष पहले कहाँ उप-

लव्व थी ? इसलिए उपजाऊ दिमाग की दौड़ ऐसे क्षेत्र में सीमित रहती थी कि जिसमें कुछ विनोद भी हो, कुछ सेवा भी हो और मन कुठित न हो। इसके फलस्वरूप लोगो में आत्मीयता थी, एकता थी, परस्पर-सहायता की भावना थी और हर चीज का मूल्यांकन केवल स्वार्थ या पैसे के मापदण्ड से नहीं किया जाता था। आज तो वह समाज गोल्डस्मिथ के 'वीरान गाँव' की तरह उजड़ गया। अनेक अच्छी बातें आई हैं और अनेक अच्छी बाने गई हैं; पर उस पिछड़ी हुई सभ्यता में रहनेवाले समाज का चित्र आज गायब है।

दवा हुआ समाज उदासी से बचने के लिए आमतौर से अतिशयोक्ति की शरण लेता है। इस कूका-कूक और विदाई-गीत की रस्म में भी वह अतिशयोक्ति ओतप्रोत थी। लड़की का रोना तो गाँव के बाहर जाते ही ऐसा गायब हो जाता था, जैसे विजली की चमक अचानक आकर अचानक चली जाती है। और विदाई-गीत की अतिशयोक्ति भी आज के लोगो को अद्भुत लगेगी।

श्रौजी श्रो गौरीरा लश्करिया—श्रौलंगड़ी लगाये र काठे चाल्याजी।—हे गौरी के लश्कर, प्रीति लगाकर वहाँ जा रहे हो ? अब यह लश्कर तो एक-आध मुर्दा ऊँट तक सीमित था, जिसपर चढ़कर लड़की मसुराल जाती थी। और यह प्रीति लगाकर जाने के उलहने में यदि कोई असलियत होती, तो लड़की और उसके वर के जाते ही वह महिलाओं की सारी टोली वेहोश हँकर गिर जाती। पर ऐसा कभी नहीं हुआ। जतना बढाव-चढाव और अतिशयोक्ति उसी बात की छाया है कि उस समय का समाज अपनी उदानी का भूगने के लिए तरह-तरह के आत्मा-भिमान-शोषक वाक्यों की शरण लेता था।

गत पाँच-सात सौ वर्ष की कविताओं से भी यही निष्कर्ष निकलता है। साँसारिक साधनों की काफी भर्त्सना इन कविताओं में की गई है, क्योंकि ये सब साधन समाज को उपलब्ध भी नहीं थे। इसलिए उनकी निन्दा करके ही सतोष माना।

मीराँ के पद गानेवाले चाहे मीराँ की भक्ति की और वैराग्य की लाख तारीफें करे, पर कोई घर-गृहस्थीवाला आज यह नहीं चाहेगा कि उसकी बहू-बेटी घर छोड़कर 'सतन ढिग बैठि-बैठि लोकलाज खो दे।' धन की निन्दा भजनो में लोग बड़े चाव से गाते हैं, पर धन के पीछे दौड़ जारी है। बात यह थी, जब सामग्रियाँ उपलब्ध नहीं थी, तब उनकी भर्त्सना हुई, जैसे लोमड़ी के खट्टे बेर। इसका अच्छा पहलू भी था, जो आज गायब होता जा रहा है। वह अच्छा पहलू व्यक्तियों के चरित्र के विश्लेषण से हमारे खयाल में आ सकता है। ऐसे व्यक्तियों की पिलानी में कमी नहीं थी।

गाँव के उन प्रमुख व्यक्तियों में प्रथम स्थान देना चाहिए स्यामी चरणदासजी को। 'स्यामीजी' इसी नाम से गाँव के लोग उन्हें पुकारते थे। वह एक मंदिर के महन्त थे। पर इतने ही से उनका हुलिया पूरा नहीं बैठता। स्यामीजी कुछ वैद्य भी थे, कुछ पंडित भी थे। श्रावण में कथा बाँचते थे। एकादशी को मंदिर में जागरण होता था, जबकि रातभर भजन गाये जाते थे। होली, जलझूलनी, अन्न-कूट को ठाकुरजी की विघ्नेष पूजा होती। इसके अलावा स्यामीजी गायक भी थे। पर पाठक इस सारी गुणावली से चौधिया न जाँय, इसलिए कुछ सफाई करना आवश्यक है। स्यामीजी का आयुर्वेद का ज्ञान दस-बारह औषधियों तक था। मेरा खयाल है कि उस जमाने की आवश्यकतानुसार ये दस-बारह

औषधियाँ काफी थीं। स्यामीजी को नाडी का ज्ञान भी था। पर नाड़ी तीतर की चाल चलती है या मयूर की, इसकी परख उन्हें थी, ऐसा उनका दावा था। सस्कृत का ज्ञान उनका अत्यन्त स्वल्प था, पर कथा-भागवत भी पढ़ लेते थे। कैसे पढ़ लेते थे, यह एक रहस्य था, जिसका उद्घाटन अभी तक नहीं हुआ। उन्हें सारंगी बजानी आती थी, पर स्वर कुछ उल्टे-पुल्टे गिरते थे। रागो का ज्ञान काफी था, पर उनका गला कफ से इतना अवरुद्ध रहता कि स्वर कही-के-कही लग जाते थे। पर स्यामीजी वेमिसालसेवक थे, इसमें अपवाद नहीं। रोज सुबह मंदिर से निकलकर गाँव का पूरा चक्कर देते थे। रोगी को देखकर दवा देते थे और कभी किसीसे न कुछ माँगा, न कोई आकाक्षा की।

स्यामीजी की दाढ़ी लम्बी थी और वह उसे बल देकर कान के चारों ओर रस्सी की तरह आँटा लगा लेते थे। उनका कहना था कि पूरे चार आँटे कान के इर्द-गिर्द उनकी दाढ़ी के आते हैं, यद्यपि किसीने मापा हो, ऐसा मुझे पता नहीं।

मैंने स्यामीजी की अनेक राग-रागिनियाँ सुनी और उनसे सीखी भी। कोई बाहर का गायक आता तो स्यामीजी उसे मुफ्त भोजन देते। स्यामीजी में मज्जाक कूट-कूटकर भरा था। निर्लोभी सेवक और हँसोड़े वेमिसाल थे। रात को १२ बजे भी किसी रोगी ने बुलाया तो स्यामीजी चले जाते थे। दवा घर की देते थे और बिना मूल्य। कथा-वार्ता में कुछ विशेष चढ़ावा नहीं आता था, पर ग्यानेभर का अन्न आ जाता था।

मंदिर में उन्हींके साथ उनकी बहन रहती थीं। उसका नाम सही था। उन्हे इस बाल का बड़ा मताप था कि लोग स्यामीजी को कुछ देने-लेने नहीं। हम लोग मंदिर जाकर और ज़ोर में कहते,

“सही दादी, राम राम,” तो कुछ खुश होती, आशा करती कि कुछ पैसा मिलेगा। पर थोड़ी दूर जाकर जब हम चिल्लाते, “सही दादी, रॉड रॉड” तो लाठी उठाकर मारने दौड़ती, पर किसीको चोट नहीं आई।

स्यामाजी जब सत्तर के लगभग होकर मरे, तो मंदिर उजड़ गया। लोगोने शोक मनाया। न कथा रही, न रहा सगीत और न जड़ी-बूटी। ऐसे बेमिसाल सेवक आज दुर्लभ है।

हमारे गाँव में एक था कनीराम तोला। वह भी बेमिसाल सेवक था। सारे गाँव की पचायत करता और सदाव्रत (यह बाबा काली कमलीवाले ने मुष्टि-अन्न की बुनियाद पर आरम्भ करवाया था, जो आज भी जारी है) का हिसाब रखता। लोगो से मुष्टि-अन्न घर-घर से एकत्र करता और गरीबो को वितरण करता, पूरा हिसाब—वही-खाता रखता, पर एक कौड़ी तनख्वाह न लेता। सम्पर्क उसका इतना अधिक था कि गाँव के एक-एक बच्चे का नाम तक जानता था। अमरकोश कण्ठाग्रवाले मिले हैं, पर तीन हजार आदमियों का पूरा हुलिया रखनेवाला तो कोई ही होता है। कनीराम में वह माहा था।

कनीराम करीब सत्तर साल की आयु पाकर मरा, पर जबतक साठ का न हुआ, कभी रेल भी न देखी, और जब देखी तब अत्यन्त उत्तेजित होकर बैठने से इन्कार किया। कनीराम चाहे आधुनिक चीजों में पिछड़ा हुआ था, सेवा में सबसे अग्रसर था।

हमारे यहाँ एक सरूपा खाती था। कारीगर था, पर कल्पना के घोड़े दौड़ाता था। उसका खयाल था कि अगर उसे सहायता मिले तो वह रेल के इंजन भी बना सकता है। छोटी-

मोटी बाहर से आई चीजों की उसने हू-ब-हू नकल करके वैसी ही बना दीं, पर रेल का इंजन उसके वित्ते के बाहर की चीज है, यह उसने नहीं माना।

एक पहलवान कमरदी इलाही था, जो रोज एक हजार दड पेलता था। खूब दूध पीता था और अच्छे पहलवानों में था। दूसरा गीगलिया एक नायक जात का जवान था, जो ऊंट लादकर पेट पालता था। किसीने मजाक में गीगलिया से कहा, 'कमरदी से कुश्ती लड़ोगे?' गीगलिया ने 'हाँ' भर ली। गीगलिया ने न कभी कुश्ती लड़ी थी, न उसे दांव-पेच आते थे। अखाड़ा खोदा गया और गाँव के सारे लोग एकत्र हो गए। कमरदी ने लगोट खींचकर कच्छा चढाया, उस्ताद की बदनामी और अखाड़े को नमस्कार करके ताल ठोकी। गीगलिया के पास न लगोट था, न कच्छा और न कोई उसका उस्ताद था। उसने महज घोड़ी के पाँयचे कसकर अखाड़े में प्रवेश किया। कुश्ती शुरू हुई। कमरदी ने पैतरे बदले, पर पहली ही झपट में गीगलिया ने कमरदी को सिर पर उठा लिया और लोगों से पूछा, 'उसे कहाँ पटकूँ?' लोग हँसी के मारे लोटपोट हो गए। कमरदी ने फिर कभी कुश्ती का नाम न लिया। मुना था, गीगलिया अपने कंधे पर ऊंट को उठा लेता था। गीगलिया बन्दूक रखता था और अच्छे निशानेबाज माना जाता था। एक राँज निशाना मार रहा था, तब बन्दूक से गोली छूटकर निशाने से बीस गज बायें खड़ी उसकी माँ के पैरों में लगी। माँ गिर गई, मरी नहीं। गीगलिया ने कहा, 'अन्न तेरी, माँ राँज दिल्लगी करते ही लोट गई!' यह कहानी वर्षों तक गाँव में प्रचलित रही, जिसमें लोगों ने पचासों घंटे दोहराया और दोहरा-दोहराकर अपने दिव्य को

वहलाया । आज के गूढ मजाकियो को ये सब बातें कटाले से भरी लगेगी, पर ऐसे-ऐसे मनोरजनो से ही जनता उस नीरस समय मे रस डालकर काल-यापन करती थी ।

हमारे यहाँ एक डाकिन थी । उसका नाम था वर्जली । वर्जली की वतौर डाकिन काफी शोहरत फैल गई थी । यहाँ-तक कि बच्चो के माँ-बाप उससे इतने डरते थे कि बच्चो को उसके सामने नही आने देते थे । कभी जब वह हमारे पास मे आती तो हमे छिपा लिया जाता था; क्योकि उसकी आँख पडने पर काफी अशुभ की आशका थी । यदि कोई बच्चा वीभार पड गया और शक वर्जली पर गया तो या तो उसकी मिन्नत करके या उसे ठोक-पीटकर जवरन उससे बच्चे पर थुकवाया जाता था । इसके माने यह थे कि वर्जली ने बच्चे पर यदि थूक दिया तो फिर उसने जो जादू बच्चे पर चलाया था, वह वापस आ-जाता था ।

मैने वर्जली को छिप-छापकर देखा था । सूरत-शकल से वह एक साधारण कुरूप बुढिया लगती थी, पर उसकी शोहरत के कारण उसको कुछ आमद भी हो जाती थी । इसलिए वर्जली ने कभी डाकिन होने से इन्कार नही किया, बल्कि लोगो के इस विश्वास को उसने प्रोत्साहन ही दिया ।

सुना था रात को वर्जली जरख (लकडवगघा) पर चढकर कुएँ की गूण पर ऊपर-नीचे सवारी पर उतरती-चढती रहती थी । पता नही, हमारे प्रात मे ऊँट, घोडे, बैल होते हुए भी वर्जली को जरख की सवारी क्यो पसन्द थी । पर यह अपने-अपने मुल्क का रिवाज और अपना-अपना शौक समझिये, क्योकि यूरोपियन डाइन को झाडू पर चढने का शौक है । खैर, यूरोपियन डाइन की सारी करतूतो का तो मुझे पता नही, पर वर्जली का

शौक था कि जो वच्चा उसके जादू से मर गया, उसे रात को गड्ढे से उखाड़कर वह जिन्दा कर देती थी और फिर वच्चे को ग्विलाती रहती थी। सुबह की बेला फिर उसे मारकर उसी गड्ढे में गाड़ देती थी। यह वर्जली डाकिन का शौक कुछ अजीब था, जिसके माने समझना आज की नवीन सन्तान के लिए मुश्किल है। पर उस जमाने के लोगो के लिए इसे समझना मामूली बात थी।

वर्जली वच्चे को जिन्दा करने से पहले वच्चे के कलेजे को निकालकर खा जाती थी। कलेजे के क्या माने होते हैं, यह अनेटोमी के ज्ञान के अभाव में किसीको पता नहीं था। पर सभी ऐसा मानते थे कि वच्चे का कलेजा डाकिन निकाल लेती है।

हमारे यहाँ एक ब्राह्मण लडका था, जो डाकिन के जादू से मर गया था। उसके परिवारवालों को पता था कि वह वच्चा डाकिन के जादू से मरा है। इसलिए जिस दिन वच्चे को गाड़ा गया था, उसी रात को वच्चे के परिवार के दस-पाँच आदमी जंगल में जा छिपे। अब वर्जली रात को जहाँ वच्चा गाड़ा गया था, पहुँची। वच्चे को निकाला और जिन्दा करके ज्योंही उसे खिलाना शुरू किया कि इन लोगो ने पीछे से वर्जली का चोटा पकड़कर उल्टे सिर धर दबोचा और वच्चे को छीनकर ले भागे। उसकी करामात यह थी कि अगर वच्चे को डम छीना-झपटी के समय फिर वर्जली देख पाती तो वच्चा जिन्दा नहीं रहता था। डम मरे हुए वच्चे को वर्जली की गोद में से किन्तु तरह बचाया, यह किस्सा गाँव के लोग बड़े चाव से पच्चीसों साल के बाद भी श्रद्धा में सुनते और चाय में चढ़ते। किंगीने उस बात का विरोध नहीं किया, न किंगीने स्मॉकी मन्टार्ट में शका की। बल्कि वच्चे के माँ-बाप मोगन्द गाकर भी उन कथा की सत्यता स्वीकार करते थे। अजीब

## वे दिन

जमाना था वह डाकिनों और भूतो का ।

इस जमाने में तो डाकिनों की फैशन उठ गई और न रहे भूत-भूतनियाँ, पर मेरे बचपन में भूत-भूतनियों की कोई कमी नहीं थी । बीसो आदमियों ने उन्हें देखा और उनसे बातें की, हालाँकि लाख कोशिश करने पर भी मैं भूत-देवता के दर्शन नहीं कर पाया । कम-से-कम इस जमाने के लोगो का सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि उनके लिए अब भूत देखने का कोई मौका ही नहीं रह गया ।

हमारे पूर्वजों में भी एक 'पित्तर' हो गए हैं । यह ध्यान देने की बात है कि पित्तर और भूत अलग-अलग हैं । भूत नालायक, कमीने होते हैं, लोगो का नुकसान करते हैं और पित्तर भले होते हैं । हमारे परिवार की परम्परा में भी कुछ सहारा लगाया होगा कि हमारे पूर्वजों में पित्तर हुए । यह पित्तर रात को सफेद कपड़े पहनकर और कभी-कभी सफेद घोंडे पर चढ़कर निकलते थे और हर पहलू से हमारी रक्षा में तैनात रहते थे । मेरी माँ को इनका बड़ा भरोसा था । एक मरतबा शाम को मैं देरी तक गलियों में खेलता रहा और जब वापस लौटा तो पिताजी को क्रुद्ध देखकर वापस भागकर किसी एक फूटे मकान में जाकर छिप गया । अब शुरू हुई दौड़-धूप मुझे खोजने की । लोग चिल्लाते और पुकारते उस टूटे मकान के पास से निकल जाते थे, पर किसीने भीतर घुसकर नहीं देखा कि मैं मजे में खड़ा सबको देख रहा हूँ ।

खैर, लोगो की इस परेशानी को देखकर, न मालूम क्यों, मुझे बड़े जोर से हँसी आई और मैं बाहर निकल पड़ा । मुझे हाथोहाथ गोदी में चढ़ाकर मेरी माँ के पास पहुँचाया गया और, पता नहीं क्यों, वजाय पीटने के मेरा काफी दुलार हुआ ।

पीछे से मैंने सुना कि मुझे किसी कारण पित्तर ने छिपा लिया था। लोगो ने विना किसी झिझक के मेरी माँ को बताया कि उन्होंने एक सफेद कपड़ेवाले मनुष्य को उस फूटे मकान के पास देखा था। फिर तो उन पित्तर को प्रसन्न करने के लिए खीर बनी, जो मैंने भी बड़े चाव से खाई।

अफसोस है कि भूतो और पित्तरों का यह समाज आज गायब हो गया, रुठ गया या बेकार हो गया। जो हो, ये सब वाक्ये गाँव के लोगो को व्यस्त रखने के लिए काफी मसाला दे देते थे।

हमारे यहाँ कहावत थी .

सीयाळे खाटू भलो  
ऊनाळे अजमेर;  
नागाणो नित को भलो  
सावण बीकानेर।

उन दिनों, जबकि लोगो का अन्ध प्रदेशों का ज्ञान परिमित था, मुमकिन है, ऊपर का यह ख्याल ठीक हो। तीन सौ साल पहले तो अजमेर के आसपास के प्रदेशों में काफी बड़े जंगल थे और आवू भी पाम में ही था। इसलिए गर्मी की लू में बचने के लिए 'उनाळे अजमेर' ठीक हो सकता है। पर श्रावण की मासे राजस्थान में भी विशेषता रही है और पिलानी भी उस विशेषता में बरी नहीं था।

आज तो तुलना कुछ बारीकी में होने लगी है, इसलिए श्रावण में जब तापमान २५ में ऊपर रहता है, उमन बहुत ज्यादा रहती है, कीड़े-मकोड़ों और मच्छरों का जोर रहता है तो हवा-पानी और मौसम की दृष्टि में पिलानी में या राजस्थान में आक-

र्षण कम रह गया है। पर हमें उन लोगो की नजर से देखना चाहिए, जो लू खाते-खाते तग आगए थे और पपीहे की तरह वर्षा की उडीक करते थे।

वर्षा के राजस्थान में अनेक आकर्षण है। प्रचण्ड गर्मी के बाद बादलो की काली और रुपहरी शकल के साथ उतार-चढाव, बूँदो की रिमझिम, बिजली की कडक, मोरो का मेह की गरज पर नाच, किसानो का हल ले-लेकर निकलना, खेतो में फिर आठ महीने के बाद चहल-पहल—ये सब बातें राजस्थानी के लिए कुछ अनोखी है। वर्षा जब आती थी, बच्चे नालियो के पानी में और गलियो की नालियो में भी क्रीड़ा करने उलट पडते थे। सारे साल का अन्न एक ही ऋतु में पैदा होता है, यदि अकाल न पडा तो। इसलिए भी वर्षा ऋतु का महत्त्व राजस्थान में अन्य प्रदेशो से कही काफी अधिक है।

हमारे यहाँ भी एक पचास बीघे का खेत था, जिसे किराये के हलो से हम लोग जुतवाते थे। बाजरी तो प्रधान फसल है। उसे बोते ही थे। पर बाजरी के साथ गँवार (गौ-अहार), मूँग, मोठ, चौला, काकडी, मतीरे के बीज भी बोये जाते थे। और इन सब चीजो के अकुरित होने से लगाकर फसल कटने तक हम लोग हर दिन की प्रगति से अपने-आपको ब्यौरेवार वाकिफ रखते थे। जब बाजरे के सिट्टे लगते थे, उस समय तक काकडी और मतीरे भी तैयार होने आ जाते थे। तब मित्रो के साथ खेतो में एक तरह की पिकनिक होती थी, जिसमें उत्साह, आनन्द और उत्तेजना का कोई ठिकाना नहीं रहता था। शाम को घर आते तब ऊँट पर गँवार-फली, वाजरे के सिट्टे और मतीरे लादकर घर ले आते थे। अब तो इन चीजो का रस राजस्थानियो के दिल

से भी निकल गया, पर उस पुरानी पृष्ठभूमि पर ये सब चीजें दुर्लभ थीं, जिन्हे प्राप्त करने की लालसा बनी ही रहती थी।

पर यह चित्र तो हुआ वर्षा होने पर फसल अच्छी हो उसका; इसके विपरीत जब अकाल पडता था तो सब मुर्झा जाते थे। मेरी याद में और गायद सारे हिन्दुस्तान में १९५६ संवत्-जैसा अकाल नहीं पड़ा। इससे पहले सुना था कि संवत् १९०० और १९०१ में लगातार दो अकाल पडे थे। इनका नाम लोगो ने 'सैया' और 'भैया' रखा। ये अकाल, कहते हैं, इतने भयंकर थे कि १९०१ में किसी घर में चक्की की आवाज सुनकर १९०१ का दुर्भिक्ष 'भैया' १९०० के दुर्भिक्ष 'सैया' से कहता था—  
चाकी चालें रैं सैया, माणस बोलें रैं भैया !

इसके बाद भी एक-आध भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा। पर छप्पनिये अकाल ने सब अकालो को नीचा दिखाया। इसकी भयंकरता भय को भी डरानेवाली थी। छप्पन में यो कहना चाहिए कि बरसात हुई ही नहीं। आषाढ गया, श्रावण गया, जब भादो गया तब तो लोगो के छक्के छूट गए। कुछ हिस्सो में, जहाँ पानी न्वारा है, वहाँ तो कुण्डों का भी पानी सूख गया। सारा बागड, जो राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा है, भादो में डुल पटा और अन्य प्रदेशो में जानें लगा। पर जाना भी आसान नहीं था। जिन पशुओं के बल पर गाड़ो में सामान लादकर बालद चली थी, वे पशु गक-गक करके मरने लगे। उनके बाद तम्बर आया मनुष्यों का। भूख के मारे लोग बच्चे बेचने लगे, पर लेनेवाला कहाँ ! लोगो की कमर में रुपये बँधे पडे रहे और भूख के मारे मरते गए।

मैंने अपनी आँखो वीरों मुँहें हमारे गाँव के आगपारा मट्टे देगे और सँकटो गोपटियाँ बिलरी हुई देगी। लोग समझ न पाये

कि क्या हो रहा है। यातायात की उन दिनों कमी थी। रेल तो थी नहीं, ऊँट-बैल चारे के अभाव में मर गए। अन्न करीब ६ रुपया मन मिलता था, पर पहुँच नहीं पाता था।

मेरे पिताजी ने इन लोगों को काम देने के मतलब से कई जगह कच्चे तालाब और कुओं की मरम्मत करवानी शुरू की, पर कोई दवा सफल नहीं हुई। लाखों आदमी राजस्थान में मरे। लोगों के देखते-देखते यह एक अनहोनी घटना थी। इतनी भूख पर भी कोई लूट-खसोट या डाका नहीं पडा। लोग चुपचाप ईश्वर की शरण में जाते थे। किसी-किसी घर में तो मुर्दा जलाने-वाला भी नहीं बचा।

इस दुर्भिक्ष के समय पिलानी में जो कोई डुलकर आया, उसे सदाव्रत की तरफ से कनीराम तोला एक मुट्ठी अन्न दे देता था और हमारे परिवार की तरफ से भी कुछ-न-कुछ प्रबन्ध था। उत्तरप्रदेश से अच्छी तादाद में किसारी और मटर आयात कर ली गई थी और हर भूखे को एक-एक मुट्ठी दोनों अन्नो की बाँट देते थे। खानेवालों को पकाने तक की फुर्सत नहीं थी। इसलिए मटर और किसारी को कच्चा ही फाँक जाते थे।

क्षुधा की पीड़ा का यह रोमाचकारी दृश्य मैंने बचपन में ही देखा। मैं उस समय केवल पाँच साल का था, पर मेरे चारों ओर क्या हो रहा है, इसका-मुझे अच्छी तरह भान था। भूखे लोगों का त्रास और जगह-जगह मुर्दे और खोपड़ियों का टलना, यह भयानक दृश्य था, जिसने मेरे हृदय पर काफी चोट की। कुछ गरीब लड़के मेरे साथी थे। उन्हें मैं अपने यहाँ से कुछ और भी अन्न दे देता था। उन साथियों में एक-आध आज जिन्दा हैं और हमारे यहाँ कुछ कार्य भी करते हैं।

पर छप्पन जितना भयकर दुर्भिक्ष था, सत्तावन वैसा ही चिरस्मरणीय सुकाल हुआ। छप्पन में पशु राव मर गए थे और इसलिए खेती कैसे जोतेगे, यह भी एक समस्या थी। सत्तावन में आपाढ में ही बादल छाने लगे, पर वर्षा नहीं हुई। लोगों की चिन्ता बढ़ी। लोगों ने सतृष्ण आँखों से बादलों की ओर देखा— आगा और भय के साथ। यदि फिर अकाल पड़ा तो? और वर्षा हुई भी तो खेती कैसे बोयेगे? इसी उधेड़-वुन में थे कि श्रावण में इन्द्र उमड़ पड़ा, मूसलाधार वर्षा हुई और उसके बाद चाही-चाही वर्षा हुई समय पर; न कम, न अधिक। वर्षा होते ही नर-ककाल खेतों में दौड़ गए और मर्द और स्त्री मिलकर पशु की तरह हल खीचने लगे। पर पूरी खेती न होने पाई। इधर भगवान् बरसा तो ऐसा बरसा कि जहाँ खेती नहीं जोती गई, वहाँ भी वाजरी, मूँग, मोठ उग पड़ी। वाजरा बढ़ा तो ऐसा बढ़ा कि कई-कई बूँट १५-२० फुट लम्बे गये। एक-एक बूँट में सात-सात सिट्टियाँ लगी। लोगों को फसल पकने तक का धीरज नहीं था। इसलिए कच्ची वाजरी मूँद-मूँदकर खाने लगे और ऐसे ही काकड़ी और मतीरे।

मूखी हुई हड्डियों में जान आई और मास-चर्बी जो सूख गई थी, वह मनुष्यों के वदन पर फिर आने लगी। आसोज आते-आते तो लोग मोटे-नाजे हो गए। वाजरी इतनी सस्ती हो गई कि कोई लेनेवाला नहीं मिला, पर इन्द्र चुप नहीं रहा। गाध तक बरसता ही रहा। फसल कूट गई, पर फिर अपने-आप पनप गटे और मिट्टे माघ तक चलते रहे।

भगवान् की नीना अग्रपांग है। छप्पन का अकाल और सत्तावन का सुकाल, ये राजरानी हृद्यों पर एक अमिट छाप छोड़

## वे दिन

गए हूँ ।

इस पृष्ठभूमि और इस वातावरण में मैं जन्मा और पला । इसकी मुझे खुशी है । भविष्य की सन्तान को यह अवसर गायब ही मिले, क्योंकि उस समय के जनमनेवालों ने काफी फेर-बदल देखा । रगमच पर कई नये पर्दे पड़े और कई सिमटे । मेरे बचपन में भारत परतत्र था । एशिया के मुल्क भी पिछड़े हुए थे । सारे आलम में इगलिस्तान का डका बजता था । रानी विक्टोरिया के राज में सूर्य कभी अस्त नहीं होता था । अग्रेजों की यश पताका शिखर पर पहुँच चुकी थी और शान के साथ फहरा रही थी । इसके बाद स्वतन्त्रता का सग्राम शुरू हुआ, वह भी मैंने देखा । अग्रेजों की ढलती आई, मेरे देखते-देखते रूस पनपना और उन्नत हुआ । भारत को आजादी मिली और अग्रेजी यूनियन जैक की जगह तिरंगा झंडा चढ़ गया । अन्य मुल्कों को भी आजादी मिली । गांधीजी के सम्पर्क में मैं आया और अन्य नेताओं को भी नजदीक से देखा । उनसे बहुत-कुछ सीखा । उनकी सेवा करने का भी मौका मिला ।

इस अनोखे समय और वातावरण में जन्म लेना, पनपना और जिंदा रहना, यह एक बड़ा मुअवसर मुझे मिला ।

मेरी शिक्षा की कहानी आज के उन्नत माने जानेवाले युग में एक अजीब-सी कथा लगेगी। जब मैं चार ही साल का था, तब सरस्वती और गणेश-पूजन के बाद, बड़े समारोह के साथ, मुझे पाठशाला भेजा गया। हम लोग उस जमाने में उस स्थान को पाठशाला तो जायद ही कहते थे। बोलचाल की भाषा में इसे 'साल' कहा जाता था और यह साल भी एक अद्भुत जगह थी।

एक पुरानी टूटी-फूटी मडी में एक 'गुरु' पचासक लड़कों को 'नीचे धरती ओर ऊपर आकाश' ऐसे एक खुले चौगान में धरती पर, बिना किसी जाजम या दरी के विछात के, बैठाकर पढाते थे। चूँकि ऊपर कोई छत नहीं थी, इसलिए धूप में बचने के लिए दीवार की आड़ में क्लास लगती थी, और जब वर्षा होती, तब पाठशाला बन्द कर दी जाती थी।

पाठ्यक्रम की पुस्तकों के नाम पर तो तांवा थी। गायद इन शब्द का अर्थ भी गुरु नहीं जानते थे। स्लेट भी सब बच्चों के पास नहीं होती थी। जिनके पास स्लेट नहीं थी, उनके पास एक पट्टिया होती थी, जिनपर टेंट की सोर विछाकर लकड़ी के 'बरने' से लड़के कुछ अंक तिरा लेते थे।

अक्षर लिखे जाते थे, अक्षर नहीं। अक्षर-ज्ञान राजस्थान में उन्

जमाने मे अनावश्यक समझा जाता था । शिक्षा का आरम्भ होता था 'अको' से । पट्टी-पहाडा, सर्वैया, डेढा, ढाँवाँ, पौना, कनकैया, जोड, बाकी, गुणाकार, भागाकार, जबानी हिसाब—बस, यहाँ तक पहुँचे कि शिक्षा समाप्त । इसके बाद अक्षर-ज्ञान कराया जाता था—वह भी बिना मात्रा के अक्षर, जिन्हे 'मोडा' कहते थे । इन मोडा अक्षरो का भी कोई निश्चित स्टैण्डर्ड नही था । जैसी जिसकी लिखावट, वैसा ही 'मोडा' अक्षर । इसका कुछ ज्ञान होने के बाद आदतन हरएक को सभी तरह के मोडा अक्षर पढने का अभ्यास हो जाता था । बस, यही उस जमाने की शिक्षा का क्रम था, जो करीब तीन-चार साल मे समाप्त हो जाता था ।

कुछ गुरु ऐसे भी माने जाते थे, जिन्हे लीलावती के त्रैराशिक का ज्ञान था; पर इस ज्ञान को किसीने कसौटी पर नही कसा, क्योंकि त्रैराशिक पढनेवाले शिष्य ही कहाँ थे ।

मैने भी इसी क्रम का अनुसरण किया ।

पर तीन-चार साल के बाद एक रोज अचानक एक नई घटना घटी । जब लडके सुबह-सुबह 'साल' पहुँचे, तो देखा कि गुरु नदारद है । बात यह हुई कि गुरु की किसी विधवा से लाग-फाँस थी, और वह रात ही को गाँव छोडकर उस विधवा के साथ ऊँट पर चढकर भाग गया । यह एक उत्तेजनाप्रद घटना थी । गाँव मे इसे लेकर बडा शोरगुल मचा । गली-गली मे इसकी चर्चा होने लगी । लडको मे भी कुतूहल जाग उठा, और कानाफूसी चलती रही । पर एक बात हुई, वह 'साल' सदा के लिए बन्द हो गई ।

मेरे दादाजी और पिताजी को अब चिन्ता हुई मेरे शिक्षण की । नया प्रबन्ध क्या हो, इस उधेडबुन मे पडकर बडी खोज-

खाज के बाद एक नया गुरु बुलाया गया। इसका नाम था कानसिंह। यह जाति का राजपूत था, बुड्ढा था, खूब सफ़ेद दाढी थी। इसका ज्ञान भी उतना ही माना जाता था, जितना कि प्रथम गुरु का। कानसिंह ने आकर हमारे एक छोटे-से पुराने मकान में पाठशाला खोल दी। कानसिंह पाँच रुपया मासिक तनख्वाह पर नियुक्त होकर आया था। मुड्ढे पर बैठकर वह बेत के जोर से पाठशाला चलाने लगा। पचास के करीब लडके पाठशाला में जुट गए। मैंने भी इस पाठशाला में अपनी अधूरी शिक्षा कानसिंह के सहारे से 'पूरी' की। दरअसल तो हर शिक्षा अधूरी ही रहती है, पर जवानी हिसाब-किताब सीखने के बाद सात ही माल की अवस्था में तो मैं दक्ष मान लिया गया। बाहर के लोग आकर यदि पूछते कि अढाई सेर का घी, तो एक मन का क्या दाम ? तो मैं चट से सही उत्तर दे देता था। यह उस जमाने में कोई साधारण विद्या नहीं मानी जाती थी।

पर अब, बदलते हुए जमाने में, काल-धर्म के अनुसार, अंग्रेजी की भी कमी महसूस होने लगी। वह कमी कानसिंह से नहीं पूरी हो सकती थी। वह बेचारा अंग्रेजी से तो कोसों दूर था। हिन्दी के अक्षर-ज्ञान में भी सरासर बेकसूर था। इसलिए अब तब यह हुआ कि कानसिंह को हटाकर कोई अंग्रेजी-पढा मास्टर रखा जाय। इन विचार के परिणामस्वरूप मास्टर रामविलास को बुलाया गया। यह भिवानी में आये। हट्टे-कट्टे जवान और जोध की मूर्ति। तनख्वाह इनकी पच्चीस रुपये मासिक थी। रामविलास मास्टर ने स्कूल को एक नये ढाँचे में ढाला और अब यह स्कूल नया रूप लेकर चलने लगा। स्कूल में घरी रमी गर्द और धड़ियान भी, जो हर घण्टे घण्टा बजाकर गाँववालों को, कितना

बजा है, यह बताती थी। गाँववालो ने इसे एक बड़ी क्रान्तिकारी घटना माना।

कानसिंह से तो लडके परिचित हो गए थे, क्योंकि उनमें स्थानीय 'बू' पुष्कल थी। पर जब रामविलास आये तो कुछ दिन लडको को उनकी खटक रही, बाद में उनके भी आदी हो गए। रामविलास की वेश-भूषा भी कुछ अंग्रेजी ठाठ की थी, और ऊपर से क्रोध की तेजी। इसलिए उनका रौब काफी जम गया।

मास्टर रामविलास कुछ मामूली-सी ही अंग्रेजी जानते थे। किसी मौलवी साहब से उन्होंने उर्दू भी सीखी थी, पर हिन्दी से वे पूरे बेदाग थे। इसलिए उस उर्दू-दाँ आबोहवा में मैंने सर्वप्रथम अंग्रेजी की प्यारेचरण सरकार की 'फर्स्ट बुक ऑफ रीडिंग' में प्रवेश किया। अंग्रेजी के स्वर और व्यंजन से ही इस पुस्तिका का आरम्भ होता था। छोटे-छोटे शब्दों के बाद इसमें छोटे-छोटे सहज वाक्यों का क्रम था। मैंने धीरे-धीरे स्वर-व्यंजन समाप्त करके मास्टरजी की सहायता से एक साल में सारी पुस्तक का अन्त कर दिया और उसी अन्त के साथ-साथ नौ साल की आयु में मेरी शिक्षा के प्रथम सोपान का भी अन्त हुआ। अंग्रेजी-शब्दों का अर्थ मास्टरसाहब उर्दू में बताते थे, इसलिए मैं भी हिन्दी की आबोहवा से बिल्कुल कोरा रहा। मुझे याद है कि 'एक्स्ट्रा-ऑर्डिनरी' शब्द के माने उन्होंने बताया थे, 'अजब तरह की चालाकियाँ'। खुदा जाने, यह अर्थ उनके दिमाग में कहाँ से आ टपका। पर मैंने तो जो बताया गया, उसे ही याद किया। पीछे, जब अंगुद्धि का पता चला, तब दुरुस्त किया। खैर, गलत-सलत कुछ भी मैंने सीखा, पर गाँव-गली के लोग तो मेरी उतनी ही इज्जत करते थे, जितनी कि किसी 'विशारद' की हो सकती है;

क्योंकि मुझे अंग्रेजी में तार लिखना-पढ़ना आ गया था, और अंग्रेजी के कुछ वाक्य भी मौके-वेमौके बक सकता था। उस गँवई 'विद्या' की प्राप्ति के पश्चात् मुझे कलकत्ते दादाजी के पास भेज दिया गया, क्योंकि गाँव के सीमित वातावरण से मेरा स्तर ऊँचा हो गया था, ऐसा मान लिया गया।

कलकत्ते जब मैं पहुँचा तब नौ साल का था। कुछ अपरिचित विदेशियों ने मेरे दादाजी से कहा कि लड़के को आगे पढ़ाना चाहिए। कुछ लोगों ने यह भी कहा, लड़का होशियार है। पर दादाजी के पास सबके लिए एक ही उत्तर था, "ज्यादा पढ़ाने से लड़का बस का नहीं रहेगा, और अंग्रेजी अधिक पढ़ने से 'किस्तान' हो जायगा।" तब भी अधिक दबाव में आकर कलकत्ते में 'विशुद्धानन्द सरस्वती विद्यालय' में मुझे दाखिल करवा ही दिया गया। इस दाखिले के लिए आठ-दस किताबें खरीदकर दे दी गईं और एक बैग भी किताबें रखने के लिए दिया गया। यह मेरे लिए अत्यन्त उलझीला अनुभव था। कहाँ मैं गाँव-गँवई का लड़का और कहाँ कलकत्ते के स्कूल का यह अद्भुत वातावरण ! दसियों अध्यापक, कई क्लासें, सैकड़ों लड़के, यह सब मुझे दिलचस्प तो लगा, पर भयावना भी लगा। लड़के भी कजकनिये, इगलियाँ गाँव के लड़कों में भिन्न। अलग वेश-भूषा। भाषा भी हिन्दी-मिश्रित। इस सबको मैं पचा नहीं पाया। तैर, मैं स्कूल में दाखिल तो हो गया, पर मन वहाँ चिपटा नहीं। इसलिए धीरे-धीरे स्कूल से गैरहाजिर होने लगा।

दादाजी तो मुझसे कभी पूछते भी नहीं थे कि मैं क्या पढ़ना था और स्कूल मुझे कैसा पसन्द आया। मेरी विद्या में उनही विद्या तो और भी निम्न स्तर की थी। इसलिए हमारे बीच यह

एक मौन समझौता बन गया कि न तो वे मुझसे पूछते कि मैं क्या पढ रहा हूँ, और न मैंने ही कभी उन्हें अपनी दिनचर्या से परिचित किया ।

असलियत तो यह थी कि मैं घर से अपना 'बैग' लेकर स्कूल के लिए रवाना हो जाता था, पर स्कूल न जाकर दिन-भर कलकत्ते की गलियों से ही मैत्री होती थी । दिन-भर चक्कर काटकर शाम को घर पहुँच जाता था । नतीजा यह हुआ कि मैंने 'विशुद्धानन्द विद्यालय' से तो कुछ नहीं पाया, पर कलकत्ते की गलियों से कलकत्ते के भूगोल का काफी ज्ञान हासिल कर लिया । मेरा खयाल है कि इस भूगोल की परीक्षा में आज भी मैं अच्छे नम्बरो से पास हो सकता हूँ ।

पर यह क्रम भी समाप्त हुआ । मेरे पिताजी मुझे बम्बई ले गए और वहाँ व्यवसाय सिखाने के साथ-साथ एक घटे के लिए एक मास्टर को तैनात कर दिया, जो अंग्रेजी की गटर-पटर रटाया करता था ।

इस तरह दो साल और बीते । इस अरसे में हिसाब-किताब, बही-खाता तो मैं सीख ही गया, कुछ अंग्रेजी के वातावरण से भी परिचित हो गया । तार तो लिखना आ ही गया था, अब कुछ टूटी-फूटी चिट्ठियों के क्षेत्र में भी दुसाहस करने लगा । पर मेरे इर्द-गिर्द तो ऐसे अनपढ़ों की मडली थी कि उनके बीच में मैं पूरा विशारद था ।

इसके बाद कुछ दिन फिर पिलानी के ही स्कूल में रहा । मास्टर रामविलास के साथ-साथ अब वहाँ मास्टर श्रीराम भी आ गए थे । हरफन-मौला और उडान के मास्टर थे वह । उडान देते ही रहते थे । कोई भी पाठ्यक्रम स्थिर नहीं रहता था । किसी

भी चीज पर उनका दिल नहीं अटकता था। आज हिन्दी, तो कल सस्कृत, परसो कुछ और। अंग्रेजी की पुस्तको की भी अजीब अदला-बदली हर महीने चलती थी। कभी तो छोटी क्लास के लडको को 'ब्लैकीज सेल्फ-कल्चर' सौपी जाती, तो कभी वापस 'इंग्लिश प्रायमर' से पाठ आरम्भ होता था। 'होरा-चक्र' और 'शीघ्रबोध', जिनसे पाठ्यक्रम का कोई सम्बन्ध नहीं था, वह भी टपक पडता था। मास्टर श्रीराम 'लघुकौमुदी' और 'अमरकोश' को भी लडको पर लादने की कोशिश में थे, पर नाकामयाब हुए। ये सारे प्रयोग होते थे नौ-दस साल की उम्र के लडको पर !

इस निरन्तर अदला-बदली के कारण कम-से-कम मेरी कई पुस्तकों और कई नये विषयो से पहचान बढी। खैर, पर इन्हे हिन्दी ठीक-ठीक आती थी। उर्दू, अंग्रेजी से भी ठीक-ठीक ठोकर खाई थी। इसका कुछ अच्छा असर भी पडा, क्योंकि इनके जरिये मैने हिन्दी में प्रवेश कर लिया और ठोकरे खाते-खाते एक साल के बाद लोअर प्रायमरी की परीक्षा को पास कर ही तो लिया। यह परीक्षा क्या थी, इसका मापदंड बताना आज कठिन है; पर गायद आज की चौथी क्लास से उसकी तुलना हो सकती है। उसके बाद मैं और पढ़ना, तो अपर प्रायमरी की परीक्षा देकर मिडिल भी पास कर सकता था।

पर अब पिताजी ने भी मान लिया कि इस 'विशारद' को व्यवसाय में डालना चाहिए। इसलिए तेरह साल की अवस्था में पिताजी के नीचे व्यवसाय करने लगा, और 'स्कूली जीवन' को तो, यदि उन जीवन की जतनी बड़ी उपमा देने की में शृष्टना करूँ, अन्तिम नमस्कार किया। यह है मेरी शिक्षा की कहानी ! पर जब व्यवसाय में पड़ा, तब मझे अपनी उस कर्मा का

स्पष्ट ज्ञान हुआ। यह अनुभव होते ही मेरी यह कमजोरी जोर से मुझे सताने लगी, और इसीके साथ-साथ जिज्ञासा की अमित जागृति हुई, जो आज भी निरन्तर जारी है।

नौ-दस साल की उम्र में 'सुखसागर' और 'भारतसार' मैं पढ़ गया था, इसके कारण हमारी प्राचीन कथाओं से मैं काफी परिचित हो गया। अब हिन्दी के ज्ञान के सहारे जो भी हिन्दी-पुस्तक मुझे मिली, उसे हजम करने लगा। उन दिनों हिन्दी का साहित्य काफी कमजोर था, पर जो भी मिला, उसीसे सन्तोष किया। बम्बई में रहने के कारण गुजराती भाषा का मुझे ठीक ज्ञान हो गया था, इसलिए हिन्दी-साहित्य की कमी को गुजराती से भरने की कोशिश करने लगा। गुजराती-साहित्य काफी पढ़ जाता था। पर जब अंग्रेजी अखबार पढ़ने का प्रयत्न किया, तो अंग्रेजी-शब्दावली का स्वल्प ज्ञान मेरे रास्ते में बाधा होने लगा। उससे युद्ध करने के लिए डिक्शनरी की मैंने शरण ली। साथ में कॉपी-बुक की भी सहायता ली। डिक्शनरी में शब्दार्थ देखकर कॉपी-बुक में उस शब्द का अर्थ लिख लेता था, और शब्द के उच्चारण और अर्थ को रट-रटकर याद करता रहता था। बम्बई में रहने के कारण लोगों को इधर-उधर अंग्रेजी में बात करते सुनता था, इससे भी उच्चारण सुधारने का मौका मिल जाता था।

इसके बाद तो सोलह साल की आयु में मैंने कलकत्ते में स्वतंत्र व्यवसाय शुरू कर दिया। इस व्यवसाय के सिलसिले में मेरा अंग्रेजों से, और अमरीकी लोगों से काफी सम्पर्क बढ़ा। इस सम्पर्क से मुझे अंग्रेजी का ज्ञान बढ़ाने का अच्छा अवसर मिला। मेरा शब्द-कोश समृद्ध होने लगा। नये-नये मुहावरे भी आने लगे

और उच्चारण भी सुधरने लगा ।

पर केवल भाषा ही तो विद्या नहीं है । महत्त्वपूर्ण विषयों का अभाव मुझे खटकने लगा । जब विदेशियों से बात करता, और वे लोग किसी गम्भीर विषय की चर्चा करते तो मैं अपने को गहरे सागर में पाता । 'हसमध्ये वको यथा' जैसी अपनी हालत देखकर मुझे शरम और परेशानी सताने लगी । इसका मुकाबला करने के लिए एकमात्र सहारा था पुस्तकों का । मास्टर या अध्यापक रखना पसन्द नहीं था । समय भी कोई निश्चित नहीं था कि उसी समय मास्टर को बुलाऊँ । इसलिए एकमात्र उपाय था पुस्तकों द्वारा ज्ञान ढूँढना । हिन्दी और गुजराती पुस्तकों की परिधि से बाहर निकलकर अब मैंने अंग्रेजी-साहित्य का आश्रय लेने का सोचा और विचार को कार्यरूप में परिणत भी कर दिया । इससे मेरा भाषा का ज्ञान भी सुधरा और नये-नये विषयों का भी ज्ञान-सन्तय होने लगा । हिन्दी, गुजराती और कुछ संस्कृत से तो मैं परिचय पा गया था, टूटी-फूटी बँगला भी आती थी । पर अंग्रेजी की कमी ज्यों-ज्यों कम हुई, त्यों-त्यों अन्य जटिल विषयों में प्रवेश करने के लिए, अंग्रेजी-साहित्य से मुझे गहायता मिलने लगी ।

इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, विभिन्न फिलॉसफियों की फिलॉसफी और साइन्स जैसे क्षेत्रों में मेरी रुचि बढ़ी और उन गति के अनुसार दार्शनिक भोजन भी जुटाने लगा । बड़े लोगों की जीवनियाँ भी जो भी सरल पृस्तक हाथ में आई, उसे चाब से पढ़ गया । रूसो, थॉरो, टॉल्स्टॉय, मुकरान, प्लाटो, आरिस्टॉटल, रोमरॉय, गॉल्डस्मिथ, टिकेन बगैरह सबको पढ़ता गया । माइस भी पढ़ गया, हालांकि दूल्-दुल् में नमजाने में कठिनाई

पढ़ी। अर्थशास्त्र के नये या पुराने साहित्य से भी परिचय करने की चेष्टा की, पर जितना पढ़ा, उससे हजम कुछ ज्यादा किया। जो पढ़ता, उसपर अपनी स्वतंत्र राय भी कायम करता। तिलक के 'गीता-रहस्य' ने हिन्दू-दर्शनो का अनुपम दिग्दर्शन कराने में मुझे सहायता दी। स्वामी दयानन्द के 'सत्यार्थ-प्रकाश' ने खडन करने की वृत्ति पर प्रकाश डाला। पर यह नहीं कह सकता कि इन पुस्तको ने मुझपर कोई प्रभाव डाला। अंग्रेजी के बाद फ्रेंच की ओर भी रुचि बढ़ी। वह भी कुछ सीखी। यह सारा क्रम आज भी चल रहा है।

जिज्ञासा जारी है। कमियों का भान है। अजरामरवत् प्राज्ञः विद्यामर्थं च चिंतयेत्। अपने-आपको मनुष्य अजर-अमर मानकर पढ़ता जाय, यह सबक मैंने सीखा। इसे सीखने से ही मनुष्य अपने अज्ञान की, अपनी तुच्छता की और ईश्वर की महानता की अनुभूति करता है।

कार्य में व्यस्त रहते हुए भी पढ़ने के लिए मुझे अब भी समय मिल ही जाता है। साल में पन्द्रह-बीस अच्छी पुस्तकें भिन्न-भिन्न विषयों पर पढ़ लेता हूँ। इसके माने यह नहीं कि पुस्तक की एक-एक पक्ति पढ़ डालता हूँ। पुस्तक के सार की तरफ अधिक आकर्षण रहता है, वनिस्वत उसके निरर्थक वनाव-शृंगार के। जैसाकि विनोबाजी ने कहा है, "मैं सन्तरे खाता हूँ, पर उसके छिलके या बीज नहीं", मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, पर उसके वनाव और शृंगार को नहीं।

शिक्षा-सम्पादन की इस मेरी अजीब पद्धति से यह पत्रका स्वभाव बन गया कि बिना शिक्षक की सहायता में ही विद्या-उपार्जन करने की कोशिश करूँ। इसलिए जो भी कुछ स्कूल

छोड़ने के बाद सीखा, वह अपने खुद के परिश्रम से और पुस्तकों की सहायता से। गुरु से सीखने के प्रति मेरी अरुचि शायद शुरू से ही रही है, और यह अरुचि अब स्वभावतया इस उम्र में और भी बढ़ गई। संगीत भी सीखा और सीखना अब भी जारी है, पर सीखा रेकार्डों की बदौलत।

कुछ ऐसा लगता है कि हमने गुरु पर आवश्यकता से अधिक बोझ लाद दिया है। गुरु का आवश्यकता से अधिक सहारा लिया है। यह मेरी समझ में मानसिक आलस्य के लक्षण है।

गुरुः ब्रह्मा, गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः ।

गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मात् श्रीगुरवे नमः ॥

यहाँ 'तस्मै' के स्थान पर 'तस्मात्' पाठ रखकर इसका अर्थ कुछ भिन्न लगाना चाहिए। अर्थात् गुरु ब्रह्मा ही है, गुरु विष्णु ही है, महेश्वर ही है और परब्रह्म ही है, इसलिए गुरु अर्थात् ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। ईश्वर कहो, परमात्मा कहो या अपनी आत्मा कहो, तात्पर्य एक ही है। मेरा खयाल है कि मनुष्य को स्वयं ही अपने-आपका गुरु बनना चाहिए। दत्तात्रेय ने पशु-पक्षियों तक से सीखा, पर स्वयं ही तो सीखा। गेलीलियो, एडिसन, वैजामिन फ्रेकलिन, जेम्स वाट, मैडम क्यूरी उन सबने नये-नये आविष्कार गुरु से सीखकर नहीं किये, खुद अपने-आप ही किये। इसलिए मनुष्य गुरु का अनावश्यक आश्रय न लेकर स्वयं अपने-आपको गुरु बनाये, तभी वह प्रगति कर सकता है। तानों की तरह स्टंट करनेवाला तो तोता ही रह जाता है।

पर मेरी इस पद्धति का अभी अनुसरण न करे; क्योंकि उनमें भय भी है। पर एक चीज, जिसका मैं जोरों में समर्थन करना चाहता हूँ, वह यह है कि जो द्वाय स्कूल या कान्ज में अध्ययन

करते हैं, वे घर पर अध्यापक को बुलाकर न पढ़ें। अमरीकी पद्धति यह है कि कालेज में प्रोफेसर छात्रों को कुछ पढ़ाते हैं और घर पर उनको पुस्तकों के अध्ययन से ज्ञान-उपार्जन करना पड़ता है, अध्यापक छात्रों को एक काल्पनिक परिस्थिति देते हैं और उनसे, उस परिस्थिति को सुलझाने का कौन-सा तरीका हो सकता है, यह पूछते हैं। इसे 'क्विज' कहते हैं। हर हफ्ते 'क्विज' छात्रों को मिलते हैं। उन्हें स्वतन्त्र अध्ययन करके उनका उत्तर भेजना पड़ता है। यही उनकी परीक्षा है। और सही उत्तर के माने हैं परीक्षा में उत्तीर्ण होना।

हमारे यहाँ की परीक्षा की पद्धति से यह विलकुल निराली है और अच्छी है, क्योंकि छात्र को यह स्वावलम्बी बनाती है। यदि छात्र उत्तीर्ण नहीं होता तो वह लम्बा अर्सा लेकर उत्तीर्ण होने की कोशिश करता है। पर हर हालत में उसे स्वतन्त्र विचार और अध्ययन करना पड़ता है। इसलिए घर पर प्रोफेसर को बुलाकर पढ़ना और उसका आश्रयी बनना, यह छात्र की स्वतन्त्र बुद्धि को नष्ट कर देता है और उसे गुलाम बना देता है। इसलिए इतनी सिफारिश तो अवश्य करूँगा कि विद्या के अर्थी स्वतन्त्र बने, गुरु के आश्रयी न बने।

मेरा यह भी मानना है कि गुरु सर्वविद् नहीं होते। गुरु भी कई अंशों में उतना ही बुद्धू है, जितने कि हम सब हैं। मैंने बड़े-बड़े विद्वानों को मूर्खता की बातें करते पाया है। एक बड़े विद्वान् ने मुझे चकित कर दिया, जब उसके मुँह से सुना कि उसकी कौटुम्बिक दुर्गा सवा रुपये का प्रसाद पाकर उसे बड़ी-बड़ी आफतों से ऐन मौके पर बचा लेती है। वैज्ञानिकों को मैंने भूत-प्रेत की बातें सुनाई हैं। इंग्लैण्ड के एक बड़े वैज्ञानिक भूतात्मा

को बुलाकर उससे वार्तालाप करने का दावा करते थे। यहाँ भी ऐसे अधभक्तों को देखा है, जो कहते हैं कि उन्हें पेसिल से लिखकर प्रेतात्मा परलोक का हाल बताती है ! भोले लोग चाहे अष्टग्रह और ऐसी-ऐसी अनहोनी बातों पर विश्वास करें, पर पढे-लिखे लोग भी ऐसी बातें करें, तो मान लेना, यह अज्ञान की निशानी है। सो मूर्खता का ठेका अपढों के पास ही नहीं है, पढे-लिखे लोग भी जादू, मंत्र, ज्योतिष, भूत-प्रेत और अन्य वहमों के उतने ही गिकार हैं, जितने कि ग्रामीण अनपढ़।

न किसी एक पुस्तक को ही सम्पूर्ण मानना चाहिए, चाहे वह कितनी ही 'आप्त' क्यों न हो। आप्त प्रमाण मानना ही चाहिए, ऐसे विश्वास में काफी खतरा है। इसलिए गुरु का वाक्य या किसी ग्रन्थ का वाक्य अभ्रान्त है, ऐसा मानने में बुद्धि का ह्रास है। मेरा आग्रह यह है कि हम निरालम्ब होकर ही जिज्ञासा की तृप्ति करें। इसके यह माने नहीं कि हम अपने अग्रज विद्वानों और महापुरुषों के अनुभव का लाभ न लें, पर लाभ भी तभी मिलेगा, जब हम हर पुराने विचार का स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय करें, स्वतंत्रतापूर्वक उसे बुद्धि की कसौटी पर कसकर स्वतंत्र निर्णय करें। इस दृष्टि से मैं महज श्रद्धा का अत्यन्त विरोधी हूँ। ईश्वर में मेरी श्रद्धा है। वह इसलिए कि बुद्धि के प्रयोग में हम देखते हैं, अनुभूति करते हैं कि कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसा कुदरत का कानून है, जो विश्व के तंत्र को सुचारु रूप से चलाना है। हायड्रोजन का आणविक वजन निरन्तर १ ही क्या रहता है, चाहे हम उसे कितना ही डलट-गुलट क्यों न करें, और ऑक्सीजन का १६ ही क्यों ? सूर्य-मण्डल के चारों ओर ग्रह निरन्तर एक ही गति से क्यों घूमते हैं ? और, जणु के प्रॉटीन के चारों ओर ग्रहों

की तरह इलेक्ट्रॉन क्यों एक ही चाल से निरन्तर घूमते रहते हैं ? यह सादृश्य क्यों है ? इसका उत्तर वैज्ञानिक भी नहीं दे सके; क्योंकि वैज्ञानिकों का निर्णय है कि साइंस की चरम सीमा से ही ईश्वर का आरम्भ होता है। यह कोरी श्रद्धा की बात नहीं है। हमारी बुद्धि बताती है कि जो कुछ विश्व का व्यवहार चलता है, वह महज आकस्मिक नहीं, बल्कि उसके पीछे कोई सत्ता है। इसे ईश्वर कहो, प्रकृति कहो, कुदरत का कानून कहो, इससे कोई बहस नहीं, पर जिसके पीछे स्वतंत्र विचार न हो, ऐसी खालिस श्रद्धा आलस्य और मूर्खता की निशानी है। बुद्धौ शरणं अन्विच्छ, तू बुद्धि की शरण ले ! जो सीखा वह पूर्ण नहीं है। 'नेति नेति' इस सिद्धान्त का कायल होने से मैं कोरी श्रद्धा का बिलकुल हिमायती नहीं हूँ।

मैंने स्कूल और कालेज की शिक्षा नहीं पाई, इसका कोई पछतावा नहीं, क्योंकि इसके लाभ और हानि को जानता हूँ। हानि तो प्रत्यक्ष है। कालेज में पढता तो कई बातें ज्यादा जानता, मेरा कुछ अशो में मार्ग सुगम होता, पर लाभ यह है कि बुद्धि को स्वतन्त्रता के साथ विचारने की आदत पड गई। अध्यापक के पास पढने से यदि छात्र में श्रद्धा हो तो अध्यापक का बुरा असर भी पड जाता है। बताया गया था कि तत्त्व पाँच होते हैं। पीछे से पता चला कि तत्त्व तो एक सौ से अधिक हैं और नये-नये भी प्रकट हो रहे हैं। अध्यापक की सिखाई गलतियों को सुधारने में समय अधिक लगता है, बनिस्बत अपनी की गई गलती सुधारने के। इसके लिए दिमाग की खिडकी खुली होनी चाहिए। अश्रद्धा से सनी हुई श्रद्धा ही मनुष्य को सस्कृत विचार देती है।

शिक्षा कैसी हो ?—इसपर भी वाद-विवाद है।

शिक्षण-क्रम के सम्बन्ध में हर मुल्क में असन्तोष रहा है। क्या परिवर्तन हो, इसपर भी भिन्न-भिन्न मत रहे हैं। पर इसका निर्णय महज विद्वानों का ही क्षेत्र नहीं है। मेरे जैसे लोगों को भी, जिन्होंने ससार की पाठ्य पुरतको से ही अनुभव प्राप्त किया है, राय देने का अधिकार तो है ही। इस अधिकार के नाते मेरा खयाल है कि कुछ मूलभूत सिद्धान्तों पर तो राय कायम हो ही सकती है। हाँ, राय देना सहज है, पर उस राय को कार्यान्वित करने के लिए क्या करना चाहिए, यह कठिन समस्या है, और यह विशेषतया शिक्षकों के क्षेत्र की बात है।

मूलभूत सिद्धान्तों में हम अपनी राय दे, तो एक तो मेरा यह आग्रह है कि छात्रों की शिक्षा एकांगी नहीं होनी चाहिए। उनका पठन विविध विषयों का होना चाहिए, अर्थात् विज्ञान या इंजीनियरिंग का छात्र महज लेवोरेटरी या वर्कशाप तक ही सीमित न रहे, उसका दायरा अन्य क्षेत्रों में भी थोड़ा-थोड़ा होना चाहिए। आजकल ह्यूमेनिटी के नाम से अन्य विषयों का भी विज्ञान और इंजीनियरिंग की शिक्षा में प्रवेग हुआ है, पर यथेष्ट नहीं। बात तो यह है कि आर्ट का छात्र थोड़ी-थोड़ी साइंस और इंजीनियरिंग जाने, और साइंस और इंजीनियरिंग के छात्र इतिहास, फिलासफी भी कुछ मात्रा में जाने, यह आवश्यक है। कुछ-कुछ सब विषयों का और अत्यधिक एक विषय का ज्ञान हाँ, पाठ्यक्रम की बुनियाद ऐसी होनी चाहिए।

आज की परीक्षा की पद्धति को बदल देना चाहिए। परीक्षा छात्र के ज्ञान की हो, न कि परचे की। छात्र की सफलता-असफलता का निर्णय उनके ज्ञान और व्यवहार, उनकी नेतृत्व-शक्ति इत्यादि से करना चाहिए।

नैतिक शिक्षा का अभाव दूर करना चाहिए। छात्र को सिखाना चाहिए कि वह जाति-पाँति और प्रात के बधनो से अपना विकासोन्मुख व्यक्तित्व खो बैठेगा। तरह-तरह के वहमो से उसे मुक्त होना चाहिए। स्वतंत्र विचार करने की शक्ति को पोषण देना चाहिए।

पर यह सब कहना आसान है, इसे कार्यान्वित करने में परिश्रम और उडान की जरूरत है। मुख्य वस्तु, जो इसमें सहायक हो सकती है, वह है अध्यापक और सस्था का वातावरण। अध्यापक का पद प्रतिष्ठा का होना चाहिए। वेतन खासा अच्छा देना चाहिए। सस्था की सफाई, सुघडाई पर भी जोर होना चाहिए।

यह सब होते हुए भी असल वातावरण तो छात्र के कुटुम्ब का है, और कुटुम्ब का वातावरण उज्ज्वल तब होगा, जबकि देश सुशिक्षित और सस्कृत होगा। ये सब चीजे अन्योन्याश्रित है।

इसके माने यह है कि धीरज से आगे बढना पडेगा। एक दिन में कोई भारी परिवर्तन हो जाय, ऐसी आशा 'आकाश-कुसुम' के समान है। पर उद्योग करना है और आदर्श सस्था स्थापित करनी है। कठिनाइयाँ तो आती ही रहेगी। संघर्ष मनुष्य का धर्म है। 'मामनुस्मर युद्ध्य च'—भगवान् के भरोसे आगे बढते जाना है। पर शायद यह विषयात्तर हो गया।

२० दिसम्बर, १९६२

## मेरे जीवन में गांधीजी

गांधीजी के साथ मेरा पहला संपर्क सन् १९१५ में हुआ, जबकि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के थोड़े ही दिनों बाद वे कलकत्ता आये थे। पूरे ३२ वर्ष, अर्थात् दिल्ली-स्थित मेरे मकान में उनके स्वर्गवास तक, यह सम्पर्क बना रहा। मैं उनके सम्पर्क में आया कैसे? भाग्य के अदृश्य हाथ बड़े रहस्यमय ढंग से सूत्र-संचालन किया करते हैं। मेरे जीवन के इस सौभाग्यशाली मोड़ का सारा श्रेय भी इन्हीं अदृश्य हाथों को है। मेरे पीछे कोई राजनैतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। इसलिए किसी विद्व-विख्यात व्यक्तित्व का कृपा-भाजन बनने की योग्यता मुझमें नहीं के ही बराबर थी। मेरा जन्म सन् १८९४ में एक ऐसे गाँव में हुआ था, जिसकी आबादी मुश्किल से तीन हजार थी। गाँव भी ऐसा, जहाँ बाकी दुनिया से सम्पर्क के लिए कोई भी आधुनिक याता-यात का साधन नहीं था। न रेल, न पक्की सड़क, न टाक-घर—दुनिया की राजनैतिक हलचलों से एकदम अराम्यद्भ। आवागमन के साधन या तो ऊँट अथवा घोड़े थे, या रथ-बहली, जो ग्रामगर अमीर लोग ही रखते थे और जिनका इस्तेमाल ज्यादातर औरतों या अशक्त लोगों के लिए होना था। छोटे दूकाने-दुकाने ही थे और ज्यादातर जागीरदारों की नवारी के ही काम आते थे। ऊँट ही

यहाँ यात्रा के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी पशु रहा है। हमारे परिवार में दो बहुत बढिया ऊँट थे और बाद में हम लोगों के यहाँ एक रथ भी था। किन्तु लोग दूर का सफर ऊँट पर करना ही पसन्द करते थे। मुझे तो उसकी सहनशीलता, धीरज और मूढता ने हमेशा अपनी ओर आकर्षित किया है। उन दिनों की याद मुझे आज भी झकझोर जाती है, जब एक बार लगातार छ दिन तक ऊँट पर सफर करना पडा था।

चार साल की उम्र में मुझे पढाने के लिए अध्यापक रखे गए, जो पढने-लिखने की अपेक्षा गणित ज्यादा जानते थे। इस तरह मेरी शिक्षा का श्रीगणेश अक-ज्ञान, जोड़-बाकी, गुणा-भाग से हुआ। नौ वर्ष की उम्र में मैंने अंग्रेजी की थोड़ी-सी जानकारी के साथ कुछ पढना-लिखना सीख लिया और फिर सिर्फ ग्यारह साल की उम्र में प्यारेचरण सरकार की 'फर्स्ट बुक ऑव रीडिंग' के साथ मेरी शिक्षा समाप्त भी हो गई।

मेरे प्रपितामह एक व्यापारी पेड़ी पर सिर्फ सात रुपये माह-वर पर 'मैनेजर' थे। उनके देहान्त के बाद मेरे पितामह ने अठारह साल की अवस्था में अपना स्वतंत्र व्यवसाय शुरू करने का निश्चय किया और वे समृद्धि की खोज में बंबई पहुँचे। बाद में मेरे पिताजी ने व्यापार को बढाया और मेरे जन्म के समय तक हमारी गणना काफी सम्पन्न परिवारों में होने लगी थी। करीब पैंतीस वर्ष से हमारा व्यापार उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ चलता आ रहा था। अतः जब मेरी उपर्युक्त शिक्षा समाप्त हुई तो मुझे भी अपने वशगत व्यापार में जोत दिया गया। लेकिन मुझे पढने का शौक था। स्कूल छोड़ने के बाद भी अपने ही ढंग से मैंने पढना चालू रखा। अध्यापक से पढना मुझे पसन्द नहीं था। इसलिए

स्कूल छोड़ने पर किताबे, अखबार और शब्द-कोश ही मेरे मुख्य शिक्षक रहे ।

इस भाँति मैंने अंग्रेजी, संस्कृत तथा एक या दो अन्य भारतीय भाषाएँ, इतिहास और अर्थशास्त्र पढ़े । मैंने काफी सख्या में जीवन-चरित तथा यात्रा-विवरण भी पढ़े, जिनका मुझे अभी भी गौक है ।

हो न हो, मेरे अध्ययन ने ही मुझे देश की राजनैतिक स्वतंत्रता के लिए प्रयत्नशील बनने तथा तत्कालीन राजनैतिक नेताओं के साथ सम्पर्क कायम करने की प्रेरणा दी थी । रूस और जापान के युद्ध ने एशियाई राष्ट्रों में उत्साह की लहरें पैदा कर दी थी और भारत भी अपनेको इससे अलग नहीं रख सका । मेरे बाल-हृदय की सहानुभूति निश्चय ही जापान के साथ थी और भारत को फिर से स्वाधीन देखने की आकांक्षा मेरे भीतर हिलोरें मारने लगी । लेकिन जिस परिवार, गाँव या जाति में मेरा जन्म हुआ था, उसको राजनीति के प्रति मेरी दिलचस्पी उतनी भली नहीं लगती थी ।

मेरे ये मनोभाव गांधीजी के प्रति मुझे आकृष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं थे । मेरी यही धारणा है कि भाग्य की दया ने ही मुझे उनके पास तक पहुँचाया ।

जब मैं सोलह वर्ष का हुआ, मैंने दलाली का अपना स्वतंत्र व्यवसाय शुरू किया । यही से अंग्रेजों के साथ मेरे सम्पर्क का प्रारम्भ हुआ । उनमें मेरे साहूकार और ग्राहक दोनों थे । उसी प्रसंग में मुझे उनकी समुन्नत व्यापारी-प्रणालियाँ, संगठन-शक्ति और अन्य अनेक विशेषताएँ देखने का अवसर मिला । साथ ही, उनका जातिगत अभिमान भी मुझसे छिपा नहीं रह सका । मैं

इनके यहाँ जाने के लिए न तो उनके लिफ्ट का ही व्यवहार कर सकता था और न इनसे मिलने की प्रतीक्षा करते समय इनकी बेचो पर ही बैठ सकता था। इस प्रकार के अपमानजनक व्यवहार से मैं तिलमिलाकर रह जाता था। इसी ठेस ने मेरे भीतर राजनैतिक दिलचस्पी पैदा की, जिसे मैं सन् १९१२ से आज तक निभाता चला आ रहा हूँ। स्वर्गीय लोकमान्य तिलक तथा श्री-गोखले को छोड़कर और कोई राजनैतिक नेता नहीं, जिसके सम्पर्क में मैं नहीं आया। देश का कोई ऐसा राजनैतिक आन्दोलन नहीं रहा, जिसमें मैंने दिलचस्पी न रखी हो, अथवा अपने ढग से उसे मदद न दी हो।

इन दिनों एक बार आतकवादियों से सम्बद्ध हो जाने के कारण मुझे काफी परेशानी उठानी पड़ी और लगभग तीन महीने गुप्तवास में रहना पड़ा। कुछ सहृदय मित्रों के हस्तक्षेप से ही मैं जेल जाने से बच सका। वास्तव में, आतकवाद के प्रति मेरा विशेष अनुराग कभी नहीं रहा और गांधीजी के सम्पर्क में आने के बाद तो उसका रहा-सहा अस्तित्व भी खत्म हो गया।

इस पृष्ठभूमि के साथ यह स्वाभाविक ही था कि मैं गांधीजी की ओर आकृष्ट होने का तकाजा महसूस करता। एक आलोचक के रूप में मैं उनके निकट आया और अतः मैं उनका अनन्य भक्त बन गया। फिर भी यह कहना बिल्कुल असत्य होगा कि गांधीजी के साथ सब विषयों पर मेरा मेल खाता था। वस्तुतः, अधिकांश समस्याओं पर मेरा अपना निजी मत था। रहन-सहन के बारे में हम दोनों में कोई साम्य नहीं था। गांधीजी एक सन्त पुरुष थे, जिन्होंने जीवन के सारे सुख-भोगों का त्याग कर दिया था। धर्म ही उनका मुख्य विषय था, जिसने मुझे

इतने आग्रह के साथ उनकी ओर खींचा। अर्थशास्त्र के बारे में भी उनका दृष्टिकोण मुझसे भिन्न था। वे छोटे पैमानेवाले उद्योग-धंधों—चर्खें, करघे, धानी आदि—में विश्वास रखते थे। इसके विपरीत, मैं काफी सुख-सुविधा की जिदगी विताता और बड़े-बड़े उद्योग-धंधों के माध्यम से देश के औद्योगीकरण में विश्वास करता था। इतने पर भी हम दोनों के बीच इतना घनिष्ठ संबंध कैसे बना रहा? मैं क्यों उनके विश्वास और स्नेह को प्राप्त करता रहा? इसके लिए मैं तो मुख्यतः उनकी महानता और उदारता का ही आभार मानता हूँ। मुझे ऐसे लोग कम ही मिले हैं, जिनमें गांधीजी का-सा आकर्षण हो और जो अपने मित्रों के लिए इतना स्नेह और अनुराग रखते हों। संसार के लिए सन उत्पन्न करना बहुत कठिन नहीं है, राजनैतिक नेता भी दुनिया में काफी पैदा होते रहते हैं, मगर सच्चे मानव इस दुनिया में कम ही मिलते हैं। गांधीजी मानवों में एक महामानव थे। ऐसी विरल विभूतियाँ धरती प्रत्येक सदी में पैदा नहीं करती और अभी तक लोगों ने गांधीजी के मानव-रूप के बारे में जाना ही कितना थोड़ा है!

मैंने कहा, बहुत-सी समस्याओं पर गांधीजी के साथ मेरा मेल नहीं खाता था, फिर भी उनका कोई आदेश मानने से मैंने कभी इन्कार नहीं किया। दूमरी ओर, उन्होंने भी मेरे विचार-मतांतर्ग को महन-भर ही नहीं किया, बल्कि उनके लिए वे मुझे उतना ही ज्यादा प्यार भी करते रहे, जितना कोई पिता अपने बच्चे को करता है। उसीलिए हमारा संबंध एक तरह से पिता-पुत्र के पारिवारिक लगाव-जंसा हो गया था, जो उनके पीढ़ी-काल तक बराबर अक्षुण्ण बना रहा।

अंतिम बार उनके जो दर्शन मैंने किये, वे उनके भौतिक अवशेष-मात्र के थे। यह भाग्य की क्रूरता थी कि जब उन्होंने अंतिम साँस ली तो मैं उनके पास नहीं था। उनके निधन के केवल दस घण्टे पूर्व ही मैं उनसे अलग हुआ था। मुझे अपने गाँव, जो दिल्ली से १२० मील दूर है, जाना पडा था। वहाँ मैं एक प्रमुख मंत्री को अपनी शिक्षा-सस्थाओ का निरीक्षण कराने के लिए ले गया था। मैंने सात बजे सुबह अपना घर छोडा था। प्रस्थान से पूर्व मैं गाधीजी के कमरे में उनसे विदा लेने गया था। लेकिन वे विश्राम की गहरी नीद में सो रहे थे, इसीलिए मैंने उन्हें जगाया नहीं। इसके दस घण्टे बाद पिलानी में मेरा पुत्र मेरे पास दौडा हुआ आया और उसने मुझे बताया कि रेडियो ने घोषित किया है—“हत्यारे ने गाधीजी को गोली मार दी।” मैं विश्वास न कर सका, लेकिन कबतक अविश्वास करता !

तत्काल दिल्ली लौट जाना सम्भव नहीं था। हमारा गाँव न तो रेल से सम्बद्ध था, न सडक से। मुझे रात वही बितानी पडी। नीद बीच बीच में उचट जाती थी। मैंने सपना देखा कि मैं दिल्ली के अपने घर में वापस चला गया हूँ, जहाँ गाधीजी रहते थे और जहाँ उनका देहान्त हुआ था। मैं उस कमरे में गया, जहाँ उनका शव रखा हुआ था। मेरे कमरे में प्रवेश करते ही वे उठ बैठे और बोले, ‘मुझे खुशी है कि तुम वापस आगए। यह गोली-काड कोई निरुद्देश्य घटना नहीं थी, वरन् एक गहरा पड्यत्र था। लेकिन मैं खुश हूँ कि उन्होंने मेरा अंत कर दिया। मैं अपना काम कर चुका हूँ और इस प्रस्थान का मुझे जरा भी दु ख नहीं है।’ कुछ देर तक हम लोग बातें करते रहे। उसके बाद उन्होंने अपनी घडी निकाली और कहा, ‘अब शव-

यात्रा का समय हो गया है। लोग मुझे ले जाने आयेगे, इसलिए मैं लेट जाता हूँ।' वे पुनः लेट गए और निःस्पंद हो गए। कैसा अद्भुत स्वप्न ! गायद यह मेरे अपने हृदय की ही प्रतिध्वनि थी।

दूसरे सुबह मैं दिल्ली लौटा और उस कमरे में गया, जिसमें उनका मृत शरीर रखा हुआ था। लाखों की जन-मेदिनी से विडला-भवन घिरा था। गांधीजी का शरीर पड़ा था शांत, अविचल। ऐसा नहीं प्रतीत होता था कि वे मर गए हैं। यही था उनका अंतिम दर्शन, जो मैंने किया। १६ जून, १९४० के एक पत्र में महादेव भाई ने मुझे लिखा था—“लार्ड लिनलिथगो के प्राइवेट सेक्रेटरी का एक पत्र आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है—‘जर्मन वायरलैस ने यह खबर प्रचारित की है कि ब्रिटेन के गुप्त एजेंट गांधीजी की हत्या करने की योजना बना रहे हैं।’ इच्छा विचार की जननी है और इसीलिए आगका है, कदाचित् जर्मनी के एजेण्ट ब्रिटेन के विरुद्ध प्रचार करने के उद्देश्य से उस तरह की कुछ योजना बनाये। पहले से ही सतर्क रहना हममें से प्रत्येक के लिए हितकर होगा। अतः गांधीजी स्वीकार करें और उनके काम में विघ्न न पड़े तो रक्षा के लिए पुलिस की पूरी व्यवस्था करने में हिज एक्सप्लेसी को बड़ी खुशी होगी।”

महादेव भाई ने इसका उत्तर दिया था—“गांधीजी ऐमा कोर्ट प्रबन्ध नहीं चाहते। जीवन-भर हत्या की धमकी से घिरे रहकर, अनुभव के आधार पर, उन्होंने यह धारणा दृढ़ बना ली है कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता तक हिल नहीं सकता। न कोई हत्यारा किसीके जीवन की अवधि कम कर सकता है और न कोई मित्र ही किसीको मृत्यु से बचा सकता है।” मझे निश्चय

पत्र में महादेव भाई ने लिखा था कि वह उत्तर वापू की ही भाषा में लिखा गया था ।

उनके अन्त के आठ साल पहले से ही घटनाएँ कितनी खूबी से अपनी छाया फैला रही थी, लेकिन इस नियति का निमित्त न तो कोई जर्मन बना और न कोई अंग्रेज ही । वह हत्यारा तो था एक भारतीय, एक कट्टर हिन्दू ।

गांधीजी को बम द्वारा मारने के निष्फल प्रयत्न के बाद सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा की बड़ी सुदृढ़ व्यवस्था की गई थी, यहाँ तक कि मेरे घर के कोने-कोने में सन्तरी तथा सादी पोशाक-वाली हथियारबंद पुलिस चक्कर काटती दीख पड़ती थी । इतनी ज्यादा सतर्कता मुझे अच्छी नहीं लगी ।

सन् १९१३ में तत्कालीन वायसराय लार्ड हार्डिज बनारस हिन्दू-विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने गये हुए थे । इसके पूर्व जब वे नई राजधानी में समारोहपूर्वक प्रवेश कर रहे थे, तो उनपर एक बम फेंका गया था । इसलिए बनारस में उनकी हिफाजत के लिए काफी बड़ी व्यवस्था की गई थी । तालाबों तक में बंदूकों और रिवाल्वरों से लैस पुलिस तैनात की गई थी । गांधीजी को यह सब आडम्बर नापसंद आया और उन्होंने सरे-आम इसकी आलोचना करते हुए कहा था कि इस तरह तो वायसराय लार्ड हार्डिज जिन्दगी में ही मौत के दिन बिता रहे हैं ।

मैंने गांधीजी के सामने इस अभिमत को दुहराया और कहा, “क्या यह अनुचित नहीं लगता कि हम प्रार्थना भी बंदूकों की छाया में करें ? आपका जीवन अत्यंत मूल्यवान् है, लेकिन उससे भी ज्यादा मूल्यवान् है आपकी कीर्ति । अतः, क्या आप इस भाँति पुलिस का अतिशय प्रवध पसंद करते हैं, जबकि आपने आजीवन

उससे घृणा की है ?”

गांधीजी ने मेरे साथ सहमत होते हुए कहा, “इस संबंध में वल्लभभाई से बातें करो, जो इस सारे प्रबन्ध का जिम्मेदार है। मैं इस प्रकार के प्रबन्धों से नफरत करता हूँ। लेकिन मुझे यह सब अपनी रक्षा के लिए नहीं, बल्कि सरकार की कीर्ति-रक्षा के लिए सहन करना पड़ता है।” मैंने सरदार से भी वाद में इस प्रसंग में बातें कीं और जैसी कि उनकी आदत थी, उन्होंने थोड़े में ही जवाब दिया, “तुम इसके लिए क्यों चिंता कर रहे हो ? यह तुम्हारा काम नहीं है, यह जिम्मेदारी मेरी है। अगर मेरा बस चलता तो विडला-भवन में प्रवेश करनेवाले हर आदमी की मैं तलाशी लेता। लेकिन बापू मुझे ऐसा नहीं करने देते।” आखिर दुर्भाग्य की त्रूर इच्छा पूर्ण हुई। जैसा कि गांधीजी की ही भाषा में महादेव ने लिखा था, कोई मित्र उन्हें नहीं बचा सका। मैं स्वयं अपनी वेल्ट में पिस्नील छिपाये हुए प्रार्थना में शामिल होता था और उनकी ओर आनेवाले हर आदमी पर नजर रखता था। लेकिन यह सब हमारा वृथाभिमान था। एक पत्ता भी ईश्वर की इच्छा के बिना नहीं हिलना।

इस घटना के लगभग दो बरस बाद ही दूसरे महान् पुरुष चल बसे, जिनके साथ भी मेरा ऐसा ही प्रगाढ़ सम्बंध था। यह थे सरदार पटेल। सरदार हर प्रसंग में महात्मा गांधी के दृढतम अनुयायी थे। आत्म-नियम के विषय में तो और भी अधिपति। वे लौह-पुरुष कहलाते थे, लेकिन उनकी टंग ऊपर से ओढ़ी हुई कठोरता के नीचे कोमलता और उदारता की अपरिमित गति छिपी रहती थी। वे भी स्वतंत्र विचार के व्यक्ति थे, तो भी हर सामने में चाहे वह राजनैतिक हों या सामाजिक, वे अपने गुरु

के चरण-चिह्नो पर ही चलते थे। व्यक्तिगत तौर पर, अकेले मे, वे उनसे झगड़ लेते थे, कितु बाहर सदैव उनका अनुकरण ही करते थे। यह कितने अचरज की बात है कि भारत मे बहुत-से बड़े-बड़े लोग गाधीजी के विचारो से असहमत होते हुए भी सदैव उनके अविचल अनुयायी बने रहे। नि सदेह, मित्रो के प्रति उनके प्रगाढ अनुराग और आत्मीय भाव ने ही इस विरोधाभासी चमत्कार को सभव कर दिखाया था। इसीलिए सरदार यद्यपि कुछ प्रसंगो पर उनसे सहमत नही होते थे, फिर भी बिना आना-कानी के प्रत्येक अवसर पर वे गाधीजी की इच्छानुसार ही चलते थे। गाधीजी की मृत्यु के बाद सरदार हृदय-रोग से पीडित हो गए। गाधीजी की मृत्यु से उनके हृदय को बडा तीव्र आघात लगा था। कोई साधारण मनुष्य होता तो शोक के इस आवेग को रोककर हल्का कर लेता, कितु सरदार ने शोक को प्रकट नही होने दिया। फलत, यह उनके हृदय मे समाकर रह गया। मै उनके सपर्क मे उनकी मृत्यु के लगभग अट्ठाईस वर्ष पूर्व आया था। तबसे अत तक हम दोनो का स्नेह-सपर्क अक्षुण्ण बना रहा।

सरदार भी मेरे ही घर मे मरे और भाग्य का यह दूसरा व्यग था कि उनके अतिम क्षणो मे भी मै उनके साथ नही था। अपनी मृत्यु के चार दिन पूर्व वे दिल्ली से बंबई चले आये थे। मन्त्रिगण तथा बहुत बडी सख्या मे उनके मित्र हवाई अड्डे पर उनको विदा देने आये थे। हवाई जहाज के दरवाजे पर एक कुर्सी पर बैठे हुए उदासी-भरी मुस्कान से उन्होने प्रत्येक का अभिवादन किया। वे जानते थे कि उनका प्रयाण-काल सन्निकट है। मै भी जानता था कि वे शीघ्र ही अनन्त यात्रा को प्रस्थान करने-वाले है, लेकिन मैने अपनेको बरबस यह विश्वास दिलाया कि

नहीं, अंत अभी इतना निकट नहीं है। इसके चार रोज बाद तो उन्होंने हमेशा के लिए ही विदा ले ली। अंत में सरदार का भी मृत शरीर ही मुझे देखने को मिला।

महादेव देसाई का सन् १९४२ में आगाखाँ-महल में देहान्त हो चुका था। यह महल उस समय कारागार में परिवर्तित कर दिया गया था। वह मेरे अभिन्न मित्र थे। अपने प्राण उन्होंने अपने गुरु की गोद में छोड़े। उस समय उनका कोई मित्र उनके निकट नहीं था। सहृदयता की तो मानो वह मूर्ति थे। महादेव का निर्माण महात्माजी के द्वारा हुआ था, किंतु यह कहना भी गलत नहीं होगा कि कुछ अंशों तक महादेव ने भी महात्माजी को अपने साँचे में ढाला था। महादेव देसाई का व्यवित्तत्व भी बड़ा आकर्षक और स्नेहशील था। वह बड़े विद्वान् एव हृदय-ग्राही थे। जब कभी बापू किसी बात की जिद पकड़ लेते तो सिर्फ़ सरदार और महादेव ही उन्हें अपने पथ से विचलित कर सकते थे। कभी बापू क्रोधावेश में झुकते और कभी मुक्त कहकहों के बाद।

कल्पना कीजिए, यदि ये तीनों आज कुछ वर्षों का और आयुर्वल लेकर पूर्ण स्वस्थ जीवित रहते तो कैसा होता भारत का इतिहास ! किंतु यह तो निरुद्देश्य कल्पना है। मेरा विश्वास है कि कोई भी मनुष्य अपना काम पूरा करके ही इहलोक से प्रस्थान करना है। इसलिए इन मृतात्माओं के प्रति शोक करना निष्प्र-योजन है। अब तो उत्तरदायित्व का भार आज की ओर भविष्य की पीढ़ी पर है।

१८ जुलाई, सन् १९३५ को मैं श्री वाल्टरिन में जदन में मिला था। वार्तालाप के निगमित में उन्होंने निम्नलिखित

अभिमत प्रकट किया था—“लोकतंत्र की अपनी खास खामियाँ होती हैं। लेकिन अबतक की शासन-पद्धतियों में यह सर्वोत्तम सिद्ध हुई है। ईश्वर को धन्यवाद है कि इस देश में अधिनायक-तंत्र (तानाशाही) नहीं है। श्रेयोन्मुख अधिनायकतन्त्र अपने तरीके पर अच्छी चीज है, लेकिन तब तो ऐसे अधिनायक-तंत्र में आपको निष्क्रिय बैठे रहने के सिवा और कुछ नहीं करना रहता। आज यह नहीं हो सकता। लोकतंत्र में आप सबको काम करना पड़ता है, और यही है लोकतंत्र की सबसे अच्छी खूबी। यदि हर व्यक्ति काम करेगा तो भारत में यह प्रयोग अवश्य कृतकार्य होगा। यदि प्रत्येक आदमी काम नहीं करेगा तो लोक-तंत्र का यह प्रयोग कभी सफल नहीं हो सकेगा। लोकतंत्र में एक वर्ग ही दूषित हो सकता है। इंग्लैंड या भारत में ऐसे वर्ग मौजूद हैं, जो दूषित होंगे ही, किंतु हमें इन वर्गों के आधार पर सारी जनता का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, और कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, उसे तो यह बात महसूस कर ही लेनी चाहिए कि देशहित का अभी बहुत बड़ा क्षेत्र उसके सामने पड़ा है।”

लोकतंत्रात्मक सरकार की स्थापना का दायित्व ग्रहण करने के बाद बापू ने १८ जुलाई, १९३७ को मुझे लिखा था—“हमारी वास्तविक कठिनाई तो अब शुरू होती है। हमारा भविष्य हमारी दृढ़ता, सत्य-निष्ठा, साहस, सकल्प, उद्यम और अनुशासन पर निर्भर करता है। जो तुम करते आ रहे हो, वह अच्छा है।” आखिर जो कुछ किया गया है, वह ईश्वर के नाम पर और ईश्वर में आस्था के साथ किया गया है। तुम श्रेष्ठ बने रहो। आशीर्वाद।”

श्री बाल्डविन ने कहा था—“लोकतंत्र में सबको काम

करना पडता हूँ ।” बापू ने जोर दिया कि हमारा भविष्य हमारी दृढता, सत्य-निष्ठा, साहस, सकल्य, उद्यम और अनुशासन पर निर्भर करेगा । दोनो ने एक ही बात दो ढग से कही । ये दोनो उपदेश हमारे पथ के दीपस्तम्भ बने !

## गांधीजी के साथ १५ दिन

जगल की ओर से एक बैलगाडी को तेजी से दौड़ाते हुए तीन वृद्ध किसान आ रहे थे। गांधीजी को देखकर सहसा उन्होंने गाडी रोकी। बडी फुर्ती के साथ अटपटे-से एक के बाद एक ने उतरकर गांधीजी के चरणों में अपना सिर टेका और चुपचाप जैसे आये, वैसे ही गाडी में बैठकर आगे चल दिए। न कुशल पूछी, न क्षेम। न अपना दुखडा रोया, न आँसू बहाया। वे खूब जानते हैं कि गांधीजी की हर एक साँस तो गरीब के लिए ही निकलती है, इसलिए उन्हें कहे तो क्या, और पूछे तो क्या? उनके लिए तो मौन होकर सिर झुकाना ही काफी था। कोई पढा-लिखा होता तो बीसियों बातें पूछता, उलहना देता, आलोचना करता, किंतु गरीब में इतनी कृतघ्नता कहाँ है! वह तो दूर से ही दर्शन करके सन्तुष्ट होता है। यह तो अनेक घटनाओं में से छोटी-सी एक साधारण घटना है, किंतु गरीबों के हृदयों में गांधीजी का क्या स्थान है, कैसा सिक्का है, यह जानना ही तो ऐसे ही उदाहरण उपयुक्त है। बछड़े की मृत्यु के बाद किसीने कहा था, “आज से महात्मा नहीं, मिस्टर गांधी कहो। अब तो गांधी का कोई दाम भी नहीं पूछेगा।” किंतु गरीब इस झमेले में क्यों पड़ें? अहिंसा किसे कहते हैं और हिंसा किसे कहना

चाहिए, यह तात्त्विक विवाद तो उन्हींको शोभा दे सकता है, जिन्हें बहस में अधिक रस है और काम में कम। फुरसती आदमियों के लिए वेदान्त का यह तात्त्विक विवेचन जी बहलाने का एक अच्छा साधन साबित हो सकता है। किंतु ऊँट को पापड़ से क्या काम ? आये-माल अकाल और महामारी; न खाने को पूरा अन्न, न शरीर ढँकने को पूरा वस्त्र, जमींदार की ज्यादाती, साहूकार की ज्यादाती और ऊपर से उपदेशको की हिमाकत। उन्हें क्या पता कि गरीब को रोग रोटी का है, न कि धर्म का। सुदामा की तरह गरीब को ज्ञान नहीं चाहिए, रोटी चाहिए। गांधी गरीबों को उपदेश देने नहीं जाता, गांधी उनके हृदय में प्रवेश करके उनके दुःख से दुखी होता है — गरीब बनकर रहता है और गरीबों के लिए जीता है। यही कारण है कि गरीबों के हृदय पर गांधी का एकछत्र अधिकार है। भारत के किसी छोटे-से-छोटे गाँव में जाइये और पूछिये, गांधी कौन है ? तुरत उत्तर मिलेगा कि गरीबों का भला चाहनेवाला। गांधी क्या पढ़े हैं, क्या लिखे हैं, क्या कहते हैं, यह उनके लिए व्यर्थ की चिन्ता है। गांधी बाबा अनाथों के, गरीबों के हितचिंतक हैं, इसीमें उनके लिए गांधीजी की सारी जीवनी आ जाती है। चाहे यह जीवनी सूत्ररूप से हो, किंतु संसार का अच्छे-से-अच्छा ग्रन्थकार इससे अधिक सक्षेप में और क्या कह सकता है ! थोड़े-से लोग चाहे गांधीजी को 'गो-हत्यारा' कहकर सतोष कर लें, किंतु 'गांधीजी की जय' आज भी आकाश को कँपा देती है।

आजकल गांधीजी वर्धा आये हुए हैं। वर्धा में जमनालालजी की प्रेरणा से श्रीविनोबा ने एक सत्याग्रह-आश्रम खोल रखा है और गांधीजी वही ठहरे हुए हैं। गांधीजी क्या आये, मानो घर

मे कोई बड़े-बूढ़े दादा आ गए हो। आश्रमवासी तो गांधीजी को 'बापू' ही के नाम से पुकारते हैं, किंतु बापू होने पर भी बच्चो के साथ गांधीजी बच्चो ही की तरह रहते हैं। खाना-पीना, काम-काज भी आश्रम के नियमों के मुताबिक। आश्रमवासी शुद्ध घृत के अभाव में आजकल अलसी का तेल व्यवहार करते हैं। गांधीजी ने भी बकरी के दूध की जगह अलसी का तेल खाना शुरू कर दिया है। जमनालालजी को इस फेरफार की खबर मिलते ही चिन्ता शुरू हो गई। गांधीजी इस तरह के प्रयोग कर-करके कहीं अपना स्वास्थ्य न खो बैठे, इस आशंका से जमनालालजी ने गांधीजी को समझाना शुरू किया। वहस हुई, झगडा हुआ, अन्त में जमनालालजी ने बल-प्रयोग किया—“बापू, आप यहाँ मेरी देख-रेख में हैं। जैसा मैं कहूँ, वैसा कीजिये। इन प्रयोगों के कारण आप यहाँ से बीमार होकर जायँ, यह मैं नहीं बर्दाश्त करने का।” “तो दे डालो नोटिस मुझे, यहाँ से चला जाऊँगा।” गांधीजी ने खिलखिलाकर कहा। जमनालालजी अब क्या कहते ! चुप रहे। गांधीजी का हठ कायम रहा।

अग्रवाल-पचायत ने जमनालालजी को जाति-बहिष्कृत कर रखा है। उनका सबसे बड़ा गुनाह यह बताया गया कि उन्होंने अस्पृश्यों के हाथ का खाया। जमनालालजी के कारण वर्धा में भी अग्रवालों में दो दल हैं। एक दल तो कट्टर पुराने विचार के लोगों का है, दूसरा दल भी यद्यपि पुराने विचारों का ही अनुयायी है, तो भी जमनालालजी को छोड़ना नहीं चाहता। जमनालालजी ने उन्हें समझाया कि मुझे निबाहना कठिन काम है, इसलिए आप सामाजिक मामले में मुझसे मोह तोड़ लें। किंतु जिनका प्रेम है, वे जमनालालजी को कैसे त्याग दें ? एक दिन कुछ वृद्ध

सज्जनो को अगुआ करके दूसरे दल की मंडली जमनालालजी के पास पहुँची। “जमनालालजी विधवा-विवाह में गरीब हों, अस्पृश्यों से छुआछूत न मानें, उनके लिए मन्दिर खोलें, इसमें तो हम शामिल हैं, किन्तु अस्पृश्यों के हाथ का खान-पान हमें नहीं रुचता। चाहे हमारे सन्तोष के लिए ही सही, क्या जमनालालजी हमें इतना विश्वास नहीं दिला सकते कि भविष्य में वह अछूतों के हाथ का पकाया नहीं खायेगे? जब हम लोग इतना आगे बढ़ने को तैयार हैं, तो जमनालालजी हमारे सन्तोष के लिए थोड़ा-सा पीछे क्यों न हटें?” यह सक्षेप में उनकी दलील थी। जमनालालजी कहने लगे, “आश्रम में तो सभी जाति के लोग रहते हैं। क्या मैं आश्रम में खाने से इन्कार करूँ?” “आश्रम की कौन कहता है? यह तो पुण्य-भूमि है! तीर्थस्थान के लिए कोई रुकावट नहीं। अन्य स्थानों पर आप ऐसा न करें, यही हमारी माँग है।” इस तरह बहस होती रही। अन्त में तय हुआ कि गांधीजी के सामने मामला पेज किया जाय। दूसरे दिन वृद्ध लोगों का एक शिष्टमण्डल गांधीजी के पास पहुँचा। गांधीजी ने चर्खा चलाते हुए समाज के अगुओं से बातें प्रारम्भ की। गांधीजी ने पूछा, “जमनालालजी अस्पृश्यों के हाथ का खाते हैं, इसमें आपको किसका डर है? समाज का या धर्म का?” एक वृद्ध ने कहा, “धर्म तो हम क्या समझे! समाज की रूढ़ि है कि ऐसी नहीं करना चाहिए। हम जमनालालजी की सब बातें मानते हैं, तो फिर हमारी इतनी बात जमनालालजी क्यों नहीं मानते?” गांधीजी ने कहा, “क्यों न मानें; किन्तु यदि रूढ़ि का जन्म हो तो उस रूढ़ि का नाश कर देना चाहिए। प्राचीन काल में ऐसी रूढ़ि का बन्धन था, यह तो मैं नहीं जानता। मैं तो यह जानता

हूँ कि जो स्वच्छ है, गराबी नहीं है, व्यभिचारी नहीं है, उसके द्वारा स्वच्छता से पकाया हुआ खाने-योग्य पदार्थ हमारे लिए अवश्य भोज्य है। उनको यदि हम कहे कि तुम्हारे हाथ का हम नहीं खायेगे तो क्या हमारे साथ वे रहेंगे ? वे अवश्य हमारा त्याग कर देंगे। मैं तो केवल उनकी धमकी से भी नहीं डरता, किन्तु यदि हमारे दोष के कारण वे हमारा त्याग कर दें तो मैं उसे कैसे बदरिक्त कर सकता हूँ ? जो अपवित्र रहते हैं, मुर्दे का मास खाते हैं, गराबी है, उनके हाथ का खाने को तो मैं नहीं कहता। उनसे तो मैं कह सकता हूँ कि पहले तुम अपनी बुराइयाँ दूर करो तो मैं तुम्हारे हाथ का खाऊँ। किन्तु जो स्वच्छ है, उनके हाथ का तो न खाने से धर्म का नाश हो जायगा। आपमें यदि साहस न हो तो आप चाहे ऐसा न करें। जमनालालजी को आशीर्वाद तो दें, क्योंकि वह तो धर्म ही के लिए ऐसा करते हैं। आप इनको क्यों पीछे हटाना चाहते हैं ? चाहो तो जमनालालजी से प्रतिज्ञा करा लो कि जो शौचादि को न माने, उस ब्राह्मण या अज्ञाह्मण किसीके भी हाथ का वे न खाये। किन्तु इससे थोड़े ही आपका काम बनेगा। आप तो पचो के त्रास से भयभीत हैं और इसलिए जमनालालजी से आग्रह करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि समाज को तो मैं भी मान लेता हूँ, हमें हर बात में समाज से नहीं लडना चाहिए। किन्तु आपका समाज कैसा समाज है ? यदि गगोत्री मैली हो जाय तो क्या फिर गंगा का पानी स्वच्छ रह सकता है ? आज के पच कहाँ रह गए ? पच तो गगोत्री है, और जैसे गगोत्री का पवित्र प्रवाह गंगा में बहता है, वैसे ही पच समाज को पवित्र प्रेरणा और न्यायवृद्धि देते हैं। किन्तु वर्तमान के पच तो राक्षसी प्रथा के पुजारी हैं। आज के पच पाखड से, स्वार्थ

से, क्रोध से और द्वेष से भरे हुए हैं। मेरी तो यह भविष्यवाणी है, आप इसे मानिये कि आज के पंचों का अन्याय हम नहीं मेट सके तो इस समाज का नाश हो जायगा। पंच न्याय कहाँ करते हैं ? धर्म की बड़ी-बड़ी वाते बनाने से न्याय नहीं हो सकता। वर्तमान के पाखण्डी पंचों से तो डरना भी अन्याय है। उनके जुल्म का सामना करके मरना ही अच्छा है। पंच-गगोत्री मैली हो गई है। इसे शुद्ध करने के लिए हरएक को मर-मिटना चाहिए। यह धर्म के नाम पर पाप फेलाया जाता है। उसीका जमनालालजी सामना कर रहे हैं। उन्हें आप आशीर्वाद दे। आगे की पीढी तो कहेगी कि जमनालालजी ने धर्म को बचा लिया। नाखों अछूता को हिन्दू-समाज में रख लिया। रावण के दस सिर क्या थे, यह तो उसकी दस तरह की दुष्ट बुद्धि थी। उसी दुष्ट बुद्धि का सामना विभीषण ने किया।

“आप यदि सामना कर नहीं सकते, इतना साहस नहीं है, तो जमनालालजी आपको नहीं कहते कि आप भी उनके साथ चले। जमनालालजी तो कहते हैं कि आप उनके साथ न चल सके तो उन्हें छोड़ दें, किन्तु आप उनका मोह क्यों करते हैं ? उन्हें भी अग्रवाल-समाज के सुधार का मोह छोड़ देना चाहिए। जो सन्यासी हो गया, उसे कान बाँधता है ! वह तो अब व्यापक समाज की सेवा ही कर सकते हैं। उसीमें अग्रवाल-समाज की भी सेवा आ जाती है। आप जमनालालजी को छोड़ दें, किन्तु उनके लिए प्रेम कायम रखें और पंचायत के जो लोग विरोधी हैं, उनके प्रति भी विरोध न करें। हम क्रोध को अक्रोध में और अशान्ति को शान्ति में ही जीत सकते हैं। पंचायत के लोग क्रोध के पात्र नहीं हैं, दया के पात्र हैं। वे तो अवश्य ही नमसते हैं कि

हम समाज का भला कर रहे हैं। उन्हें क्या पता कि वे धर्म के नाम पर जुल्म करना चाहते हैं। इसलिए आप तो उनसे भी प्रेम करो और जमनालालजी को आशीर्वाद दो कि वह धर्म की रक्षा और अन्याय का सामना करने में कृतकार्य हो।”

गांधीजी का वक्तव्य समाप्त होने पर सब लोग चुप हो गए। सन्नाटा-सा छा गया, किसीसे उत्तर देते नहीं बना। एक वृद्ध सज्जन ने चुपके से पगड़ी उतारकर गांधीजी के पैरो में रख दी और कहने लगे, “महाराज, आपने जो कहा, उसे सुनकर तो मैं गद्गद हो गया।” उस वृद्ध से अधिक कहते न बन पडा, किंतु पचों के त्रास से वह भी भयभीत था।

गांधीजी जब चर्खा चलाने बैठते हैं तो कातने की धुन में इतने मस्त रहते हैं, मानो त्रिलोक का राज्य मिल गया हो, और किसी भी गहन-से-गहन विषय पर उनसे बातें कीजिये, उनके कातने में कोई विघ्न नहीं पड़ता। असल में तो एक ओर सूत का अपने-आप उनके हाथ की पूनी में से निकलते जाना, दूसरी ओर उनकी अबाधित वचन-धारा का प्रवाह और साथ में चर्खे का सगीत, यह हर भावुक का मन मोहने को पर्याप्त है। मैं तो हर रोज उनके कातने के समय अपनी चक्की चलाने जा बैठता हूँ। एक दिन वही बछड़े की कथा छिड़ी। मैंने कहा, “महात्माजी, श्रीकृष्ण ने भी बछड़ा मारा था, किन्तु वह तो आलंकारिक जमाना था, इसलिए बछड़े का वत्सासुर हो गया। किन्तु इस बीसवीं शताब्दी में तो लोग सीधी-सादी भाषा में ही बोलते हैं, इसलिए आपके इस काम ने काफी हलचल पैदा कर दी। आपने बहुत-से साहस किये, किन्तु इसमें तो हद हो गई। मुझे तो मालूम होता है, आपने इससे अधिक साहस का कोई और काम अपने

जीवन में नहीं किया होगा।”

गांधीजी ने कहा, “ऐसी तो क्या बात है; मैंने तो सबकुछ सहज भाव से ही किया है।”

“तो आपने ऐसा कौन-सा काम किया है, जिसे साहस की दृष्टि में आप अपने जीवन में ऊँचे-से-ऊँचा स्थान दे सके ?” मैंने पूछा।

“इस दृष्टि से तो मैंने कभी नहीं विचार।” गांधीजी ने कहा, “किन्तु मैं समझता हूँ कि वारडोली-सत्याग्रह स्थगित करके मैंने बहुत बड़े साहस का परिचय दिया। चौबीस घण्टे पहले सरकार को चुनौती देकर ललकारना और फिर अचानक सत्याग्रह को स्थगित करना, यह अपने-आपको बेहद हास्यास्पद बनाना था; किन्तु मैं तनिक भी नहीं त्रिजका। जो सत्य था, वही मेरा राजमार्ग था और इसीलिए मेरी अपनी हँसी होगी, इस विचार ने मुझे कभी भयभीत नहीं किया। मेरे जीवन के बड़े साहसिक कामों में यह एक था, ऐसा मैं मान सकता हूँ।”

“सविनय आज्ञा-भंग अचानक बन्द करना पडा, इसमें आपको तलेग नहीं हुआ ?”

“किञ्चित् भी नहीं।” गांधीजी ने दृढता में कहा।

जिस सीता के लिए लाखों बन्दगों और राक्षसों के प्राण गये, उसे छोड़ देने में राम को कुछ हिचकिचाहट न हुई। और जिस सविनय आज्ञा-भंग के लिए हजारों लोगों को जेल-घातनाएँ मिली, उसे दाह देने में गांधीजी को कोई सकोच नहीं हुआ। नेता में लोगों ने राम को बुरा-भला कहा होगा, रानि में गांधीजी को लोगों ने गरी-बोटी मुनाई, किन्तु कौन कह सकता है कि गांधीजी ने जो किया वह ठीक न था ! अनन्त में तो बड़े

लोगो को समझने के लिए कुछ प्रयास की जरूरत पडती ही है । गांधीजी लगोटी मारकर रहते है, सस्ते-से-सस्ता खाना खाकर निर्वाह करते है, तो भी उस सबके नीचे छिपी हुई चमक 'कभी-कभी' लाखो मे चकाचौध मचा ही देती है । गांधीजी लगोटी मारकर गरीबो की तरह रहते है, इससे उनकी बुद्धि गरीब नही हो गई है । वस्तुस्थिति तो यह है कि वाज-वाज मौको पर गांधीजी के वचन और कर्म को ठीक-ठीक समझने के लिए मनुष्य को विशेष प्रयास की जरूरत पडती है । हम रोजमर्रा देखते है कि अख-बारवाने गांधीजी से वार्तालाप करके कुछ छाप देते है और पीछे गांधीजी को उसका खडन करना पडता है । कारण यह है कि गांधीजी को लोग ठीक-ठीक नही समझ सकते । गांधीजी 'अहिंसा-अहिंसा' पुकारने न कभी थके, न अब थकते है । अहिंसा के तो मानो वह अवतार बन गए है । फिर भी वछडे की प्रख्यात हिंसा करते न केवल उन्हे हिचकिचाहट नही हुई, उलटा उन्होने उसे धर्म माना । साधारण लोग सुनते ही हक्के-वक्के रह गए । किसीने आंसू वहाये, किसीने गालियाँ दी, किन्तु सावरमती के महात्मा पर उसका क्या असर हो सकता था । उन्हे तो लेना-देना है बस एक ही से । चर्खा चलाते है तो उसमे ईश्वरीय सगीत सुनते है । अलसी के तेल से मिली रोटी खाते है तो उसमे ईश्वरीय स्वाद का अनुभव करते है । दुःख मे, सुख मे, हँसने मे, रोने मे, जागने मे, सोने मे, फिरने मे अविच्छिन्न रूप से जो मनुष्य ईश्वर का अनुभव करता है, उसे जगत् की क्या परवाह !

संतन ढिग बैठि-बैठि लोक-लाज खोई,

अब तो बात फैल गई जाने सब कोई ।

यह गांधीजी का हाल है । जगत् से न उनको जर्म है, न जगत्

का भय है ।

एक दिन मैंने पूछा, “महात्माजी, आपकी उत्तरोत्तर आत्मोन्नति हो रही है, ऐसा कुछ आपको अनुभव होता है ?” शील-सकोच से गांधीजी ने कहा, “मेरा तो ऐसा खयाल है।” मैंने कहा, “महात्माजी, आपके इर्द-गिर्द की मण्डली क्या समझती है, मैं नहीं जानता, किन्तु मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि असहयोग-आन्दोलन के बाद आपकी आत्मा में बहुत चमक आ गई है।” महात्माजी मौन रहे। गायद सोचा होगा, मेरा ऐसा कहना भी तो अनधिकार था। किसीकी आत्मा चढ़ रही है या गिर रही है, उसे पहचानने की भी तो लियाकत अधिकारी में ही हो सकती है। एक बार लार्ड रीडिंग से गांधीजी की चर्चा चली थी, उसका मुझे स्मरण हो आया। गांधीजी उन दिनों जेल में थे। देश के नेताओं का जिक्र छिड़ने पर मैंने कहा, “मेरी राय में गांधीजी सरार में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं।” वायसराय ने कहा, “हाँ, यह ठीक हो सकता था, यदि उनके सगी-साथी मव-के-मव ईमानदार होते।” मैं वायसराय का मतलब समझ गया। यह कोई नहीं कह सकता कि असहयोग के दिनों में गांधीजी की सारी-की-सारी मण्डली भली थी। किन्तु गांधीजी को इससे क्या ! मैंने उन दिनों एक बार कहा था, “महात्माजी, आपके इर्द-गिर्द के लोगों में कितने बुरे आदमी भी आ गए हैं।” गांधीजी ने कहा, “मुझे क्या डर है ? मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। जो मुझे धोखा देने में अपने को दक्ष समझते हैं, वे स्वयं अपने-आपको धोखा देने हैं। मैं तां जतान के पास भी रहने का तैयार हूँ, किन्तु जतान मेरे पाग कैसे रहेगा ? जो बुरे हैं, वे स्वयं मुझे त्याग देंगे।” हुआ भी ऐसा ही। आज महात्माजी की मण्डली में उने-गिने लोग बचें हैं।

शुरू से आजतक के उनके जीवन पर दृष्टिपात करे तो सारा चित्र आँखो के सामने नाचने लगता है। राजा ने छोड़ा, रौलट-एक्ट के जन्म के समय, प्रजा ने छोड़ा, बारडोली के निश्चय के समय। हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, जैन, आर्यसमाजी, सनातनी, जात-पाँत, मित्र-स्नेही, सबने—किसीने कभी, किसीने कभी—महात्माजी को समय-समय पर छोड़ दिया। युधिष्ठिर स्वर्ग में पहुँचे तो केवल एक कुत्ता साथ में निभा। महात्माजी के स्वर्गारोहण तक कौन उनके साथ टिक सकेगा, यह भविष्य के गर्भ में है। पर एक बात है, सबने एक-एक करके समय-समय पर गाधीजी को छोड़ दिया। पर फिर-फिरकर वही लोग गाधीजी से चिपटे ही रहते हैं। मैंने एक दिन कहा, “महात्माजी, आप इतनी तेजी से दौड़ लगा रहे हैं, मैं नहीं समझता, अन्त तक बहुत व्यक्ति आपके साथ रह सकते हैं।” गाधीजी ने कहा, “यह तो मैंने बीस साल पहले ही सोच लिया था और मुझे तो इसीमें सुख है।” मैंने कहा, “यदि प्राचीन समय होता और भारतवर्ष के बाहर आप पैदा हुए होते, तो इतनी तेजी की चाल लोग बर्दाश्त न करते। या तो ईसा की तरह आपको सूली पर चढ़ना होता, अथवा सुकरात की तरह जहर का प्याला पिलाया जाता। किन्तु यह तो ऋषियों का देश है और बीसवीं शताब्दी है, इसलिए लोगो ने आपकी महात्मापन की उपाधि छीनकर ही सन्तोष कर लिया है।”

गाधीजी ने हँसकर धीरे से कहा, “तो चढा दे लोग मुझे भी सूली पर। मैं भी तैयार हूँ और प्रसन्नता के साथ तैयार हूँ।” पास बैठे लोगो ने लम्बी साँस ली। मेरे तो मन में आया कि इस मिश्रित धर्म से तो कहीं अन्धकार ही अच्छा है, जो अवतार को निकट ला देता है। आज न तो अधर्म का ह्रास ही होता है और

न अवनार ही आता है। यह दशा तो असहनीय है, किन्तु कोई क्या करे।

. . .

गांधीजी के यहाँ त्याग का गुणगान रात-दिन रहना है। कम-से-कम कितने रूपों में निर्वाह हो सकता है, इसीका प्रयोग होता रहता है। गांधीजी भी अलसी के तेल का प्रयोग इसलिए करते थे कि जिममें जीवन-निर्वाह का खर्च कम-से-कम हो। उनके इस आचरण के कारण वातावरण ही ऐसा बन गया है कि उनकी मण्डली में जीवन-निर्वाह की आवश्यक-से-आवश्यक सामग्रियों का उपयोग करना भी गुनाह-सा हो गया है। सेठ जमनालालजी का चीका भी मेठाई से शून्य है। वेमसाने की स्वादहीन एक तरकारी, मोटे टिक्कड़, दूध-दही तो औपध के रूप में—यह रोजमर्रा की रमद है। किंगी मोटे मरीज के लिए तो आश्रम का भोजन या जमनालालजी का चीका रामवाण औपध है। किन्तु हरिभाऊ उपाध्याय-जैसे अघमरे ब्राह्मण के लिए भी वहाँ वजन बढ़ाने की कोई गुजाइश नहीं। किमी आश्रमवासी बालक या बालिका के चेहरे पर मैंने शारीरिक ओज के चिह्न नहीं पाये। संन्यासाश्रम का आदर्श भी यही था कि कम-से-रम खाओ, अधिक-से-अधिक उपजाओ, अर्थात् अल्प मात्रा में जीवन-निर्वाह कर अधिक-से-अधिक सगार की सेवा करो। यह स्वेच्छा का त्याग था। आश्रमवासियों की भी यह स्वयं-निर्मित केंद्र है। किन्तु भारत के जननाधारण को आश्रमवासियों में अधिक कहां मिलता है? भारतवर्ष के प्रत्येक मनुष्य की आय का औसत गोखले ने दो रुपये माह्वार निश्चित किया था। किंगी किंगीने इतने ज्यादा ता अन्दाजा किया। किन्तु भारतवर्ष को मन्त्र प्राग विद्वानेवाने

अंग्रेज भी ४॥ ६० माहवार से अधिक की आय नहीं साबित कर सके। भारतवासी की आय ४॥ ६० और अंग्रेज की ५०-६० प्रतिमास !

आश्रमवासी बेचारे कम-से-कम खर्च करके भी १५ ६० माहवार से कम में गुजर नहीं कर सकते और भारत के दरिद्रनारायण ४॥ ६० माहवार में किसी तरह कीड़े मकोड़े का जीवन व्यतीत करते हैं। आश्रमवासियों ने तो अपने-आप अपने ऊपर कैद लगाई है, सुख को तिलाजलि दी है, देग के लिए फकीरी ली है, इसलिए हरिभाऊजी के अधमुए गरीर को देखकर तरस खाना बेकार है। किन्तु देश के जनसमुदाय ने कब सन्यास-दीक्षा ली थी, जो उनकी गरीबी को हम सन्तोष समझ बैठे हैं ? उनका सन्तोष क्या है, बुढ़िया का ब्रह्मचर्य है। उन्हें सन्तोष सिखाना उनकी गरीबी की निर्दय हँसी उड़ाना है। मैंने गाधीजी से कहा, “महात्माजी, त्याग तो आपको और आपके चलेचाँटियों को ही शोभा दे सकता है, किन्तु देश के असह्य दरिद्रों को त्याग की कौन-कौन-सी गुजाइश है ? वे तो पहले से ही आधा पेट भोजन करते हैं और फिर वे लोग समझ बैठे कि ४॥ ६० माहवार या इससे भी कम में निर्वाह करना ही हमारा कर्तव्य है, तो फिर स्वराज्य की भावना को प्रोत्साहन देना फिजूल है। स्वराज्य की भावना दो ही कारणों से देग में पैदा हो सकती है—या तो धार्मिक असन्तोष के कारण, या आर्थिक वेदना के कारण। यूरोपीय देशों में पेट की चिन्ता ने स्वराज्य की भावना को जाग्रत रखा। यहाँ धार्मिक असन्तोष ने समय-समय पर सुधर्मियों के राज्य की भावना को प्रोत्साहन दिया। किन्तु अंग्रेजों ने न हमारे मन्दिर गिराये, न मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ी। इसलिए स्वराज्य की भावना तो

तभी पैदा हो सकती है, जब हम यह महसूस करे कि हमारी आर्थिक हीनावस्था बिना स्वराज्य के नहीं सुधर सकती। किन्तु यदि इस दारिद्र्य को ही आवर्ण माने तब तो फिर स्वराज्य के लिए कोई क्या लडे। इसलिए मेरी बुद्धि में तो वहाँ यह अपने-आप धारण की हुई गरीबी आश्रमवासियों एवं अन्य कार्यकर्त्ताओं के लिए भ्रूषण है, जनता की बेवस गरीबी, गरीबों का और देण का दूषण है। उन्हें तो हम यह कहे कि तुम्हारे पास जीवन-निर्वाह की सामग्री स्वल्प है, उसको मर्यादा के भीतर बढ़ाने का उद्योग करना तुम्हारा धर्म है।”

महात्माजी ने कहा, “मैं गरीबों से जीवन की आवश्यक सामग्री घटाने को कहा कहता हूँ? आज गरीब जितने में निर्वाह करता है, वह तो हमारे लिए शरमाने की बात है। वर्तमान गरीबों का जीवन तो पशुओं का जीवन है। उनके सामने त्याग की बातें करना तो निर्दयता है। जिनके पास काफी सामग्री है, या जो रोना करना चाहते हैं, मैं तो उन्हें ही गरीब बनने का उपदेश करता हूँ।”

मैंने कहा, “आपका साहित्य पढ़ने में तो कुछ भ्रम पैदा हो सकता है। आप अलसी के तेल पर निर्वाह करे और आपकी मण्डली आपका अनुकरण करे, तो फिर लोग शायद यह भी समझ सकते हैं कि देण का हर मनुष्य कम-से-कम खाकर जीये।”

गांधीजी ने कहा, “लेकिन मेरा यह साहित्य गरीबों के लिए थोड़े ही है। जब गरीब लोग पढ़े-लिखे होने लगेंगे और मेरा साहित्य पढ़ने लगेंगे, तो शायद मुझे कुछ थोड़ा-सा फेरफार करना पड़े। किन्तु आज तो मैं त्याग का गुणगान धनी या मध्यम वर्ग के लोगों के लिए ही करता हूँ। गरीबों को त्याग क्या मुझाऊँ, वे

तो परवशात् त्यागी वन बैठे हैं। उन्हें तो इससे अधिक की आवश्यकता है।”

मैंने पूछा, “आपकी राय में हर मनुष्य को खाने, पहनने और सुख से रहने के लिए कितने व्यय में निर्वाह करना चाहिए ?”

गाधीजी ने कहा, “जितने में सुखपूर्वक स्वस्थ रहते हुए निर्वाह कर सके।”

“यानी रोटी, दाल, भात, तरकारी, फल, घी, दूध, सूती-ऊनी कपड़े, जूते ?”

गाधीजी ने कहा, “जूते की आवश्यकता मैं इस देश में नहीं समझता, शायद खडाऊँ की आवश्यकता हो। घी तो ज्यादा नहीं चाहिए।”

मैंने पूछा, “दन्तमजन, साबुन, ब्रश इत्यादि ?”

गाधीजी ने कहा, “अरे, इसकी कही आवश्यकता हो सकती है ?”

मैंने पूछा, “घोडा ?”

सब लोग हँसने लगे।

मैंने फिर पूछा, “खैर, आपकी राय में गरीब आदमी का वजट कितने रुपये का होना चाहिए ?” सौ रुपये माहवार से कम में कैसे कोई सुखपूर्वक गुजर कर सकता है, यह तो मेरे जैसे मनुष्य की बुद्धि के बाहर की बात थी। इसलिए मैंने सौ रुपये का तख्मीना रखा। हरिभाऊजी ने कहा, “मैंने साधारण आदमी का वजट गढ़कर देखा था, पचास रुपये प्रतिमास काफी है।” महात्माजी को तो पचास रुपये भी ज्यादा जँचे। “पच्चीस रुपये माहवार तो काफी है।”—यह उन्होंने अनुमान लगाया। मैंने कहा, “यह तो असम्भव है।”

गाधीजी ने कहा “अच्छा, जो स्वास्थ्य के लिए चाहिए, उतनी सामग्री का तख्तीना कर लो। यदि पच्चीस रुपये से ज्यादा आता है तो भी मुझे क्या उज्र है। किन्तु मैं जानता हूँ कि पच्चीस रुपये माहवार हर मनुष्य को खाने को मिले तो यहाँ रामराज्य आ जाय।”

“और यदि किसी-किसीको पचास रुपये से ज्यादा मिल जाय तो ?” मैंने पूछा।

“ज्यादा मिल जाय तो उसका उपभोग करे,” गाधीजी ने उत्तर दिया। “किन्तु वह तो फिजूलखर्ची है। ऐसे मनुष्यों को तो मैं त्याग का ही उपदेश करूँगा।”

मैंने पूछा, “महात्माजी, यदि प्रत्येक मनुष्य की आय दो सौ रुपये ओसत या इससे भी अधिक प्रतिमास हो जाय तो आपका क्या उज्र हो सकता है ?”

महात्माजी ने आवेग के साथ कहा, “उज्र नहीं हो सकता है ! उज्र तो हो ही सकता है। मसार से प्रकृति जितना पैदा करती है, वह तो उतना ही है कि हर मनुष्य को आवश्यक वस्त्र और जीवन-निर्वाह की अन्य आवश्यक सामग्री सुखपूर्वक मिल जाय, किन्तु प्रकृति मनुष्य के अपव्यय के लिए हगिज पैदा नहीं करती। उसके मानी तो यह है कि यदि एक मनुष्य आवश्यकता से अधिक उपभोग कर लेता है तो दूसरे मनुष्य को भूखा रहना पड़ता है और इसलिए जो अधिक उपभोग करता है उसे मैं लुटेरे की उपमा देता हूँ। इस हिसाब से पचास रुपये में अधिक जो अपने लिए खर्च करते हैं, वे लुटेरे हैं। इंग्लैण्ड एक छोटा-सा देश है। वहाँ के साठे तीन करोड़ आदिमियों के भोग-बिलास के लिए आज मारा एजिया उजाड़ा जा रहा है। किन्तु भारत के बत्तीस करोड़ मनुष्य

यदि दो सौ माहवार या अधिक खाजाने का प्रयत्न करे तो ससार तवाह हो जाय । भगवान् वह दिन न लाये कि भारत के लोग अग्रेजो की तरह उपभोग करना सीखे । किन्तु यदि ऐसा हुआ तो ईश्वर ही रक्षा करेगा । साढे तीन करोड की भोग-पिपासा मिटाने मे तो यह देश मरा जा रहा है, बत्तीस करोड आदमियो के भोग की भूख मिटाने मे तो ससार को मरना होगा ।”

मैने कहा, “महात्माजी, यदि पाँच सौ या सौ रुपये से अधिक खानेवालो को लुटेरे समझे तब तो मारवाडी, गुजराती, पारसी, चेद्री इत्यादि सब लुटेरे है ।”

महात्माजी ने गम्भीरता से कहा, “इसमे क्या शक है । वंशयो के हितार्थ प्रायश्चित्त करने के लिए ही तो मैने वैश्यपन छोडा है ।”

## उत्कल में पाँच दिन

जब गांधीजी ने उत्कल में पैदल पर्यटन शुरू किया तो सुना कि वे सवेरे-सांझ छाँह में चलते हैं, आम्र-कुर्जों में टिकते हैं, तारों-जड़े आसमान के नीचे सोते हैं। खाने को खेतों से ताजा तरकारी मिलती है, आम तो ऊपर ही लटकते रहते हैं, तोड़ लिये और खा लिये। दूध सामने दुहा और पी लिया। गांधीजी के साथ कुछ दिन रहने का आनन्द और उसीके साथ ऊपर-नीचे, दाये-बाये, प्रकृति के सुहावने दृश्यों का यह मनमोहक विवरण किसके लिए लुभावना न होगा ! आखिर मैं भी पहुँच गया। पहुँचते ही देखता हूँ कि गांधीजी पाँच फुट लम्बी-चौड़ी एक तंग कोठरी में बैठे लिख रहे हैं। एक लडका पंखा झल रहा है। बाहर छाया में लोग दरियों पर डधर-उधर पड़े हैं, कोई न्हा रहा है, कोई सो रहा है।

गांधीजी ने कहा, “अच्छे समय पर पहुँचे। कल रात तो वर्षा के मारे परेशानी रही। रात-भर कोई न्योया नहीं। एक तंग कोठरी में पच्चीस जनों ने घँटकर रात बिताई।” मुनते ही मेरा माथा ठनका। गांधीजी ने मेरी ओर इशारा करके एक भाई से कहा, “अच्छा, उनके माने का क्या प्रबन्ध है ?”

मैंने कहा, “जी, दूध लिया करता हूँ।”

## उत्कल में पाँच दिन

किसीने आहिस्ते से कहा, “दूध तो नहीं है।

अपनी परेशानी छिपाने के लिए मैंने कहा, “कोई चिन्ता नहीं, आमो से काम चल जायगा।”

श्री मलकानीजी मेरे अज्ञान पर मुस्कराते हुए कहने लगे, “यहाँ आम कहाँ ?”

मैंने साहस करते हुए कहा, “देख लेगे।”

“खा लेगे, ऐसा तो नहीं।” गाधीजी ने कहा, “अच्छा नहा तो लो।”

कुएँ पर गया। अन्दर झाँका तो पानी में कीचड़ भरा था। ऐसा पानी पीने की तो कौन कहे, पाँच घंटे में भी सूग आती थी। किसी तरह साफ-सूफ करके पोखर की पाज पर दरी डालकर सो रहा। सोचा, खाने-पीने को नहीं मिलता तो न सही, सो तो ले। दो घण्टे बाद एक स्वयंसेवक दो गाँवों में ‘हॉड’ कर पाँच बकरियाँ दुहाकर आध सेर दूध लाया। उसे हसरतभरी निगाह से देखकर मैं पी गया। पीने के बाद ही ध्यान आया कि न मालूम ये पाँच बकरियाँ कितने बच्चों का मन भरती। पेट तो आध सेर दूध से कितनो का क्या भरता! फिर लम्बी साँस लेकर लेट रहा। बकिमबाबू ने भारतवर्ष की वन्दना में इसे ‘सुजला सुफला शस्यश्यामला’ कहा है। उत्कल में भी जल की कमी नहीं। सुफला भी है। भूमि उपजाऊ भी है, पर न ‘सुखदा’ है, न ‘वरदा’। यहाँ बाढ़ खूब आती है। शान्तनु जैसे पुत्र पैदा करता था और गंगा उन्हे बहा ले जाती थी, वैसे ही उडिया वोता है और बाढ़ सबकुछ बहाकर ले जाती है। जहाँ हम लोग बैठे थे, वहाँ बाढ़ आने पर पुरसो पानी चढ़ जायगा। खेती नष्ट हो जायगी। पशु मर जायँगे। घर से निकलना मुश्किल हो जायगा। बीमारी

फैल जायगी। लोग बेमीत मरेगे। बाढ के चले जाने पर लोग थके-माँदे फिर खेती करेगे। फिर झोपड़ियों की मरम्मत करेगे और फिर बाढ से लडने की तैयारी में लगेंगे।

गायद बाढ की मार से उड़िया इतना शिथिल हो गया है कि अब उसमें उत्साह नहीं। गायद दुख को भूलने के लिए ही उसने अफीम की लाग भी लगा ली है। उसकी आँखों में न तेज है, न हृदय में उत्साह। बाढ-निवारण के लिए सरकार ने एक कमेटी वैठाई। उसने कुछ अच्छी अच्छी सिफारिशें भी की, पचासो लाख का खर्च बताते हैं। यदि इन सिफारिशों पर चला जाय तो उड़िये के जीवन में एक नई स्फूर्ति आ जाय, एक नई आशा पैदा हो जाय। पर फुर्सत किसे है? बाढ-निवारण कमेटी की जाँच-रिपोर्ट आज सरकारी अलमारियों की शोभा बढा रही है। सुना, सिफारिशों को अमल में लाने से कुछ जमींदारों की भी क्षति है, इसलिए भी आगे बढने में रुकावट है। मध्यप्रान्त से पानी चलता है, जो उत्कल में आकर बाढ उत्पन्न करता है। रेल न थी, तब पानी सीधा समुद्र में जा गिरता था। अब रेल और नहरों के बनने के बाद उसकी पाज के कारण पानी को रुकावट मिल गई है, ऐसा इस विषय के विशेषज्ञ लोग कहते हैं। दुःखी, दरिद्र, दीन उत्कल की यह करुण कहानी किसका दिल नहीं बहला देगी! यमलोक में पहुँचने के लिए वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। उत्कल में भी वैतरणी नदी है, मानो यह नाम उत्कल और यमलोक का सादृश्य दिखाने के लिए ही किसीने रखा हो। फर्क इतना ही है कि यमलोक में भूख नहीं लगनी, उत्कल में लगती है।

ऐसे प्रदेश में गांधीजी क्या आये, मानो भगवान् ही आ

गए। उत्कल में गोपबाबू का, मेहताबबाबू का, जीवरामभाई का अलग-अलग आश्रम है। गांधी-सेवाश्रम नाम का एक और आश्रम है। ये सभी आश्रम उड़ीसा की सेवा में रत हैं। जैसे हाथी की खोज में सभी खोज समा जाती है, वैसे ही बाढ़ों में जितनी सस्थाएँ सेवा के लिए उत्कल में पहुँचती हैं, उनके बारे में उड़िया यही समझता है कि ये गांधीजी के ही आदमी हैं। अब तो गांधीजी स्वयं आ गए, इसलिए उड़िये के हर्ष का क्या ठिकाना ! उड़िया समझता है, अब दुख दूर होगा। इसलिए गांधीजी के सामने कीर्तन करता है, नाचता है, स्त्रियाँ ऊलू-ध्वनि करती हैं। दो-दो हजार आदमी साथ में चलते हैं, प्रार्थना में हजारों मनुष्य आते हैं और बड़े जतन से ताँबे के टुकड़े, पैसे-अधेले-पाई लाते हैं, जो गांधीजी के चरणों में रख जाते हैं। भोजने यत्र सन्देहो धनाशा तत्र कीदृशी। पर उड़िया भूखा है तो भी गांधीजी को देता है। बीस-बीस कोस से चलकर आने-वाले नरककाल का धोती की सात गाँठों में से सावधानीपूर्वक एक पैसा निकालकर गांधीजी के चरणों में रख देने का दृश्य सचमुच रुलानेवाला होता है।

वर्षा आरम्भ होते ही पैदल यात्रा में रुकावट आने लगी। गाँवों में झोपड़ियों की तो वैसे ही कमी रहती है और गांधीजी का दल ठहरा सौ-डेढ सौ आदमियों का। जबतक वर्षा नहीं, तबतक तो आकाश के नीचे सो लेते थे। अब झोपड़ियों की जरूरत पड़ने लगी और रात को कष्ट होने लगा। कीड़े-मकोड़े, कानखजूरे बुरी तरह लोगों के विस्तरों पर चक्कर काटने लगे। एक दिन डेरे के पास ही बड़े-बड़े चार साँप भी देखने में आये। रात को ओस के मारे सबके कपड़े भीग जाते थे। लोगों के

बीमार होने की आशका होने लगी, किंतु गान्धीजी के वातावरण में किसीको फिक्र न थी। मुझे लगा, मैं गांधीजी से कहूँ कि यदि वर्षा में यह दौरा जारी रहा तो मण्डली में बीमारी फैल जाने की आशका है।

भद्रक से जब हम लोग बारह मील की दूरी पर एक गाँव में पड़ाव डाले पड़े थे, मैंने इसकी चर्चा छेड़ी। गांधीजी को बात जंची। कहने लगे, “अच्छा, तो कल एक ही मजिल में हम भद्रक पहुँच जायेंगे।”

मेरे लिए तो एक मजिल में बारह मील तय करना कठिन काम था। इसीलिए मैंने मोटर से जाना निश्चित किया। गांधीजी अपने दल के साथ मुझसे अर्धघण्टा पूर्व चले और यद्यपि मैं मोटर से चला तो भी गांधीजी मुझसे आध घण्टे पहले ही भद्रक-आश्रम में पहुँच गए। रास्ते में लोगों से पूछने पर पता चला कि गांधीजी बड़ी तेजी से चलते जा रहे थे और उनको पकड़ने के लिए उनके साथवालों को उनके पीछे-पीछे दौड़ना पड़ रहा था। पैंसठ वर्ष की अवस्था में गांधीजी की यह शारीरिक शक्ति अद्भुत चित्त प्रसन्न करती है। इसका रहस्य उनका संयमी जीवन है। दिन-भर में करीब एक सेर दूध और दो छटांक गहद, उबली हुई तरकारी और कुछ आम—यह उनका सारा भोजन है। रात को आमतौर से वह दो-तीन वजे नींद से उठ जाते हैं और जब संसार मोता है तब वह जागते हुए काम करते रहते हैं। इतना शारीरिक परिश्रम इस उम्र में अवश्य ही अद्भुत चीज है। जब इतनी फुरती के साथ गांधीजी को बारह मील की मजिल तय करते देखा, तो मैंने मन-ही-मन मन्त्र की कि भगवान् हमारे भले के लिए उन्हें लम्बी उम्र दें। जो लोग

गाधीजी के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कुछ जानना चाहते हो, वे जान ले कि इन वर्षों में गाधीजी को मैंने इतना स्वस्थ कभी नहीं देखा। देश के लिए यह सौभाग्य की बात है।

उत्कल के सेवकों के विषय में कुछ लिखना आवश्यक है। इनमें गोपबन्धु चौधरी और श्री जीवरामभाई, दो के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। दोनों मानो सेवा के साक्षात् अवतार हैं। गोपबन्धु तो असल वैष्णव हैं। परदुःखे उपकार करे, तोये मन अभिमान न आणे रे। वह अपने जमाने में डिप्टी कलेक्टर कर चुके, किन्तु सेवा के लिए सबकुछ छोड़ दिया। अभिमान तो मानो इनको छू नहीं गया। जीवरामभाई का यह हाल है कि लाखों रुपये छोड़कर सेवक बने। हम लोग जब सो जाते थे, तब यह रात को अकेले डेढ़ सौ आदमियों का पाखाना साफ करते थे।

इस यात्रा में हास्य-रस की भी कमी नहीं थी। मि० व्यूटो (Buto) एक जर्मन युवक है, जो यात्रा में गाधीजी के साथ घूमते थे। गाँव में खाने की योही कमी थी। मि० व्यूटो हट्टे-कट्टे जवान और बचपन से मास पर पले हुए। इसीलिए अध-भूखे रहते थे, पर अत्यन्त प्रसन्न। एक तहमद पहनकर फिरते थे। जवान तो है ही, मूँछे अभी आई नहीं। गाँववाले पडाव के चारों तरफ सैकड़ों की सख्या में सुबह से शाम तक झाँकते रहते थे कि उन्हें गाधीजी का दर्शन हो जाय। इस बीच तरह-तरह की चर्चा करते थे। एक ने व्यूटो की तरफ अगुली उठाकर कहा कि मीरा वहन यही है। सबको हँसी आ गई। कोई कहता, जवाहरलाल भी साथ आया है। गांधीजी कौन-से है, यह भी दर्गकों के लिए पहली थी। एक ने मीरा वहन को देखकर कहा—

यही गांधीजी हैं । दूसरे ने किसी अन्य की ओर इशारा करके कहा—नहीं, गांधीजी यह हैं । तीसरे ने कहा—नहीं, गांधीजी तो महात्मा हैं । वह सबको दिखाई नहीं देते ।

गांधीजी के दल के लिए ऐसी-ऐसी बातें रसायन का-सा काम देती रहती थी । किसीने बताया कि मीरा वहन एक मर्तवा जनाने डिब्बे में यात्रा कर रही थी । इतने में टिकट-कलक्टर टिकट देखने आया । मीरा वहन का सिर तो मुड़ा हुआ है ही । टिकट-कलक्टर आया, उस समय ओढ़नी सिर पर से उतर गई थी । टिकट-कलक्टर ने समझा कि यह पुरुष है और कहने लगा —“आपको पता है, यह जनाना डिब्बा है ?” मीरा वहन ने तुरन्त ओढ़नी सिर पर खींची । टिकट-कलक्टर बेचारा झेपकर चलता बना । हम लोगो ने यह कहानी सुनी तो हँमते-हँसते आँखों में आँसू आ गए ।

उत्कल की यह यात्रा हँसी और रुलाई का एक अद्भुत सम्मिश्रण थी ।

२२ जून, १९३८

## गांधीजी : मानव के रूप में

गांधीजी का और मेरा प्रथम सम्पर्क १९१५ के जाडो मे हुआ। वे दक्षिण अफ्रीका से नये-नये ही आये थे और हम लोगो ने उनका एक बृहत् स्वागत करने का आयोजन किया था। मैं उस समय केवल बाईस साल का था। गांधीजी की उस समय की शकल यह थी सिर पर काठियावाडी साफा, एक लम्बा अँगरखा, गुजराती ढग की धोती और पाँव बिल्कुल नंगे। वह तस्वीर आज भी मेरी आँखो के सामने ज्यो-की-त्यो नाचती है। हमने कई जगह उनका स्वागत किया। उनके बोलने का ढग, भाषा और भाव बिल्कुल ही अनोखे मालूम दिये। न बोलने मे जोश, न कोई अतिशयोक्ति, न कोई नमक-मिर्च, सीधी-सादी भाषा।

१९१५ मे जो सम्पर्क बना, वह अन्त तक चलता ही रहा और इस तरह बत्तीस साल का गांधीजी के साथ का यह अमूल्य सम्पर्क मुझ पर एक पवित्र छाप छोड गया है, जो मुझे सदा स्मरण रहेगा। उनका सत्य, उनका सीधापन, उनकी अहिंसा, उनका शिष्टाचार, उनकी आत्मीयता, उनकी व्यवहार-कुशलता, इन सब चीजो का मुझपर दिन-प्रतिदिन असर पडता गया और धीरे-धीरे मैं उनका भक्त बन गया। जब समालोचक था तब भी मेरी उनमे श्रद्धा थी, जब भक्त बना तो श्रद्धा और भी बढ गई। ईश्वर की दया है कि बत्तीस साल का मेरा और एक महान्

आत्मा का सम्पर्क अन्त तक निभ गया। मेरा यह सद्भाग्य है।

गांधीजी को मैंने सन्त के रूप में देखा, राजनैतिक नेता के रूप में देखा और मनुष्य के रूप में भी देखा। मेरा यह भी खयाल है कि अधिक लोग उन्हें सन्त या नेता के रूप में ही पहचानते हैं। लेकिन जिस रूप ने मुझे मोहित किया वह तो उनका एक मनुष्य का रूप था—न नेता का, न सन्त का। उनकी मृत्यु पर अनेक लोगो ने उनकी दुःख-गाथाएँ गाईं हैं और उनके अद्भुत गुणों का वर्णन किया है। मैं उनके क्या गुण गाऊँ ! पर वे किस तरह के मनुष्य थे, यह मैं बता सकता हूँ।

मनुष्य क्या थे, वे कमाल के आदमी थे। राजनैतिक नेता की हैसियत से वे अत्यन्त व्यवहार-कुशल तो थे ही। किसी से मैत्री बना लेना, यह उनके लिए चन्द मिनटों का काम था। द्वितीय गोलमेज कान्फ़ेस में जब वे इंग्लैंड गये थे तब उनके कट्टर दुश्मन सैम्युअल होर से मैत्री हुई तो इतनी कि अन्त तक दोनों मित्र रहे। लिनलिथगो से उनकी न निभी, पर इसमें दोष सारा लिनलिथगो का ही था; गांधीजी ने मैत्री रखने में कोई कसर न रखी थी। जिनसे गांधीजी मैत्री रखते, छोटी चीजों में वे उनके गुलाम बन जाते थे। पर जहाँ सिद्धान्त की बात आती, वहाँ डटकर लड़ाई होती थी। लेकिन उसमें भी वे कटुता नहीं लाते थे। लन्दन में जितने रोज रहे, बिना सैम्युअल होर की आज्ञा के कोई वक्तव्य या व्याख्यान देना उन्होंने स्वीकार नहीं किया। लिनलिथगो में भी कई बातों में ऐसा ही सम्बन्ध था।

निर्णय करने में वे न केवल दक्ष थे, वरन् साहसी भी थे। चीरीचीरा के कांड को लेकर सत्याग्रह का स्थगित करना और हिंसालय-जितनी अपनी बड़ी भूल मान लेना, इसमें काफी साहस

की जरूरत थी। सत्याग्रह स्थगित करने पर वे लोगो के रोप के शिकार बने, गालियाँ खाईं, मित्रो को काफी निराश किया, पर अपना दृढ निश्चय उन्होने नहीं छोडा। १९३७ मे कांग्रेस ने जब गवर्नमेन्ट बनाना स्वीकार किया तब गांधीजी के निर्णय से ही प्रभावित होकर कांग्रेस ने ऐसा किया। गांधीजी ने जहाँ कदम बढ़ाया, सब पीछे चल पडे। कांग्रेस-नायक मे उस समय झिझक थी, वे शंकाशील थे। १९४२ मे, जब क्रिप्स आये, तब हाल इसके विपरीत था। कांग्रेस के कुछ नेता चाहते थे कि क्रिप्स की सलाह मान ली जाय और क्रिप्स-प्रस्ताव स्वीकार किया जाय, पर गांधीजी टस-से-मस न हुए, बल्कि उन्होने 'हिन्दुस्तान छोडो' की धुन छेडी और लड पडे। इस समय भी उन्होने निर्णय करने मे काफी साहस का परिचय दिया।

मुझे याद आता है कि राजनीति मे उस समय करीब-करीब सन्नाटा था। लोगो मे एक तरह की थकान थी, नेताओ मे प्राय एकमत था कि जनता लडने के लिए उत्सुक नहीं।

बिहार से एक नेता आये। गांधीजी ने उनसे पूछा, "जनता मे क्या हाल है? क्या जनता लडने को तैयार है?" बिहारी नेता ने कहा, "जनता मे कोई तैयारी नहीं है, कोई उत्साह नहीं है।" पीछे रुककर उन्होने कहा कि मुझे एक कथा स्मरण आती है। एक मर्तबा नारद विष्णु के पास गये। विष्णु ने नारद से पूछा, "नारद, ज्योतिष के अनुसार वर्षा का कोई ढग दीखता है?" नारद ने पचाग देखकर कहा कि वर्षा होने की कोई सभावना नहीं है। नारद ने इतना कहा तो सही, पर विष्णु के घर से बाहर निकले तो वर्षा से सुरक्षित होने के लिए अपनी कमली ओढ ली। विष्णु ने पूछा, "नारद, कम्बल क्यों ओढते हो?" नारद ने कहा,

“मैंने ज्योतिष की बात बताई है, पर आपकी इच्छा क्या है, यह तो मैं नहीं जानता। अन्त में जो आप चाहेंगे, वही होनेवाला है।” इतना कहकर उन विहारी नेता ने कहा, “बापू, जनता में तो कोई जान नहीं है, पर आप चाहेंगे तो जान भी आ ही जायगी।” यह विहारी नेता थे सत्यनारायणवावू। जो उन्होंने सोचा था, वही हुआ। जनता में लड़ने की कोई उत्सुकता न थी, पर विगुल वजते ही लड़ाई ठनी तो ऐसी कि अत्यन्त भयंकर।

पर यह तो मैंने उनकी नेतागिरी और राजकौशल की बात बताई। इतने महान् होते हुए भी किस तरह छोटे की भी उन्हें चिन्ता थी, यह आत्मीयता उनकी देखनेलायक थी। यही चीज उनके पास एक ऐसे रूप में थी कि जिसके कारण लोग उनके वेदाम के गुलाम बन जाते थे। उनके पास रहनेवाले को यह डर रहता था कि बापू किसी भी कारण अप्रसन्न न हों; और यह भय इसलिए नहीं था कि वे महान् व्यक्ति थे, वरन् इसलिए कि मनुष्य में जो सहृदयता और आत्मीयता होनी चाहिए, वह उनमें कूट-कूटकर भरी थी।

बहुत वर्षों की बात है। करीब बार्डेन साल हो गए। जाड़े का मौसम था। कड़के का जाड़ा पड रहा था। गांधीजी दिल्ली आये थे। उनकी गाड़ी मुबह चार बजे स्टेशन पर पहुँची। मैं उन्हें लेने गया। पता चला कि एक घंटे बाद ही जानेवाली गाड़ी से वे अहमदाबाद जा रहे हैं। उनके गाड़ी से उतरते ही मैंने पूछा, “एक दिन ठहरकर नहीं जा सकते ?” उन्होंने कहा, “क्यों ? मझे जाना आवश्यक है।” मैं निराश हो गया। उन्होंने फिर पूछा, “क्यों ?” मैंने कहा, “घर में कोई बीमार है। मृत्यु-शय्या पर है। आपके दर्शन करना चाहती है।” गांधीजी ने कहा, “मैं अभी

चलूँगा।” मैंने कहा, “मैं इस जाड़े में ले जाकर आपको कष्ट नहीं दे सकता।” उन दिनों मोटरे भी खुली होती थी। जाड़ा और ऊपर से जोर की हवा, पर उनके आग्रह के बाद मैं लाचार हो गया। मैं उन्हे ले गया, दिल्ली से कोई पन्द्रह मील की दूरी पर। वहाँ उन्होंने रोगी से बात कर उसे सान्त्वना दे दिल्ली-क्रेटूनमेट पर अपनी गाड़ी पकड़ ली। मुझे आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा व्यक्ति मेरी जरा-सी प्रार्थना पर सुबह के कडाके के जाड़े में इतना परिश्रम कर सकता है और कष्ट उठा सकता है ! पर यह उनकी आत्मीयता थी, जो लोगो को पानी-पानी कर देती थी। मृत्यु-शय्या पर सोनेवाली यह मेरी धर्मपत्नी थी।

परचुरे शास्त्री एक साधारण ब्राह्मण थे। उन्हे कुष्ठ था। उनको गांधीजी ने अपने आश्रम में रखा सो तो रखा, पर रोज-मर्रा उनकी तेल की मालिश भी स्वयं अपने हाथों करते थे। लोगों को डर था कि कहीं कुष्ठ गांधीजी को न लग जाय। पर गांधीजी को इसका कोई भय न था। उनको ऐसी चीजों से अत्यन्त सुख मिलता था।

’४२ के शुरू में मैं वर्धा गया। कुछ दिन बाद उन्होंने मुझसे कहा, “तुम्हारा स्वास्थ्य गिरा मालूम होता है। इसलिए मेरे पास सेवाग्राम आ जाओ और यहाँ कुछ दिन रहो। मैं तुम्हारा उपचार करना चाहता हूँ।” मैंने कहा, “वर्धा ठीक है। सेवाग्राम में क्यों आपको कष्ट दूँ ?” मुझे सकोच तो यह था कि सेवाग्राम में पाखाना साफ करने के लिए कोई मेहतर नहीं होता। वहाँ पर टट्टी की सफाई आश्रम के लोग करते हैं। जहाँ मुझे ठहराना निश्चित किया गया था, वहाँ की टट्टी महादेव भाई साफ किया करते थे। मैंने उन्हे अपना सकोच बताया कि क्यों मैं

सेवाग्राम नहीं आना चाहता था। मैं स्वयं अपनी टट्टी साफ नहीं कर सकता और यह वर्दाश्त नहीं कर सकता कि महादेव भाई-जैसा विद्वान् और तपस्वी ब्राह्मण उस काम को करे। गांधीजी को मेरा सकोच निरा वहम लगा। पाखाना उठाना क्या कोई नीच काम है ? महादेव भाई ने भी मजाक किया, परन्तु मेरे आग्रह पर मेहतर रखना स्वीकार कर लिया गया। आगाखाँ-महल में जब उनका उपवास चलता था तो मैं गया। बड़े बेचैन थे। बोलने की शक्ति करीब-क़रीब नहीं के बराबर थी। मैंने सोचा कि कुछ राजनैतिक बातें कहेगा, पर आश्चर्य हुआ। पहुँचते ही हम सबकी कुशल-मगल, छोटे-मोटे बच्चों के बारे में सवाल और घर-गृहस्थी की बातें। इसीमें काफी समय लगा दिया। मैं उनको रोकता जाता था कि आपमें शक्ति नहीं है, मत बोलिये, पर उनको इसकी कोई परवाह नहीं थी।

इस तरह की उनकी आत्मीयता थी, जिसने हजारों को उनका दास बनाया। नेता बहुत देखे, सन्त भी बहुत देखे, मनुष्य भी देखे, पर एक ही मनुष्य में सन्त, नेता और मनुष्य की ऊँचे दर्जे की आत्मीयता मैंने और कहीं नहीं देखी। मैं अगर गांधीजी का कायल हुआ तो उनकी आत्मीयता का। यह सबक है, जो हर मनुष्य के सीखने के लायक है। यह एक मिठाम है, जो कम लोगों में पाई जाती है।

गांधीजी करीब पाँचे पाँच मन्त्रीने इस मर्तवा हमारे घर में रहे। जैसा कि उनका नियम था, उनके साथ एक बड़ी बरगत आनी थी। नये-नये लोग आते थे और पुराने जाते थे। भीड़ बनी रहती थी। घर तो उनके ही सुपुर्द था। किन्तु मेहमान उनके ऐसे भी आने थे, जो मुझे पसन्द नहीं थे, जो उनके पानवालों को भी

पसन्द नहीं थे। बम गिरने के बाद बहुतो ने उन्हें बेरोक-टोक भीड़ में घुस जाने से मना किया। सरदार वल्लभभाई पटेल ने उनके लिए करीब तीस मिलिटरी पुलिस और पन्द्रह-बीस खुफिया बिडला-भवन में तैनात कर रखे थे, जो भीड़ में इधर-उधर फिरते रहते थे, पर मैं जानता था, इस तरह से उनकी रक्षा ही नहीं सकती। जो लोग आते थे उनकी झड़ती लेने का विचार पुलिस ने किया, मगर गाधीजी ने रोक दिया। हर सवाल का एक ही जवाब उनके पास था—“मेरा रक्षक तो राम है।”

उपवास के बाद उनका हाजमा बिगडा। मैंने कहा, “कुछ दवा लीजिये।” फिर वही उत्तर—“मेरा वैद्य राम है।” “मेरी दवा राम है।” कुछ अदरक, नीबू, घृतकुमारी का रस, नमक और हींग साथ मिलाकर उनको देना निश्चय किया। आग्रह के बाद साधारण खान-पान की चीज समझकर उन्होंने इसे लेना स्वीकार किया। पर वह भी कितने दिन! अन्त में तो राम ही उन्हें अपने मन्दिर में ले गए।

उनके अन्तिम उपवास ने उनके निकटस्थ लोगो में काफी चिन्ता पैदा की। उपवास के समय मैंने काफी बहस की। मैंने कहा, “मेरा आपका बत्तीस साल का सम्पर्क है। आपके अनेक उपवासो में मैं आपके पास रहा हूँ। मुझे लगता है कि आपका यह उपवास सही नहीं है।” पर गाधीजी अटल थे। यह कहना भी गलत है कि गाधीजी आसपास के लोगो से प्रभावित नहीं होते थे। बुद्धि का द्वार उनका सदा खुला रहता था। बहस करनेवाले को प्रोत्साहन देते थे, और उसमें जो सार होता उसे ले लेते थे, चाहे वह कितने ही छोटे व्यक्ति से क्यों न मिलता हो। बार-बार बहस करते-करते मुझे लगा कि उनके उपवास के टूटने के

लिए काफी सामग्री पैदा हो गई है। मुझे बंवाई जाना था। जरूरी काम था। मैंने उनसे कहा, "मैं बंवाई जाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि अब आपका उपवास टूटेगा, न टूटनेवाला हो तो न जाऊँ।" मैंने यह प्रश्न जान-बूझकर टटोलने के लिए किया। उन्होंने मजाक शुरु किया। कहा, "जब तुम्हे लगता है कि उपवास का अन्त होगा तो फिर जाने में क्या रुकावट है? अवश्य जाओ, मुझसे क्या पूछना है?" मैंने कहा, "मुझे तो उपवास का अन्त आया लगता है, पर आपको लगता है या नहीं, यह कहिये।" उन्होंने मजाक जारी रखा और साफ उत्तर न देकर फदे में फंसने से इन्कार किया। मैंने कहा, "नचिकेता यम के घर पर भूखा रहा तो यम को क्लेश हुआ; क्योंकि ब्राह्मण घर में भूखा रहे तो पाप लगता है। आप यहाँ उपवास करते हैं तो मुझपर पाप चढ़ता है। इसलिए अब इसका अन्त होना चाहिए।" गाधीजी ने कहा, "मैं कहाँ ब्राह्मण हूँ!" "पर आप तो महाब्राह्मण हैं।" इसपर बड़ा मजाक रहा। मैंने कहा, "अच्छा, आप यह आशीर्वाद दीजिये कि मैं शीघ्र से-शीघ्र आपके उपवास टूटने की खबर बंवाई में सुनूँ।" फिर भी उनका मजाक तो जारी ही रहा। मैंने कहा, "अच्छा, यह बताइये कि आप जिन्दा रहना चाहते हैं या नहीं?" उन्होंने कहा, "हाँ, यह कह सकता हूँ कि मैं जिन्दा रहना चाहता हूँ। बाकी तो मैं राम के हाथ में हूँ।" उपवास तो समाप्त हुआ, लेकिन राम ने उन्हें छोड़ा नहीं।

एक दीपक बुझ गया, पर हमारे लिए रोजनी छोड़ गया।

## सबसे निराले

पंडितजी को दूर से तो मैं वैसे कई सालों से देखता आ रहा था, पर पहले-पहल मेरी मुलाकात उनसे १९२४ में हुई। गांधीजी अपने अपेडिक्स के ऑपरेशन के बाद जेल से छूटकर आये थे और स्वास्थ्य-लाभ के लिए जुहू में ठहरे हुए थे। एक रोज मैं गांधीजी से मिलने को जुहू गया, तो बातों-ही-बातों में उन्होंने मुझसे पूछा, “क्या जवाहरलाल को जानते हो ?” “दूर से ही देखा है, कभी मिला नहीं हूँ।” मैंने कहा। “तो मिल लो और मैत्री करने की कोशिश करो।” मैं गांधीजी के पास से उठकर पंडितजी के पास गया। वह बरामदे में एक कोने में बैठे थे। वह दृश्य मुझे स्पष्ट याद है। उनके चेहरे पर ताजगी थी, सौन्दर्य था और जवानी थी। मुझे ऐसा भी स्मरण है कि उनके हाथ में गीता की पुस्तक थी, जिसका वह अध्ययन कर रहे थे। उस समय जो पहली छाप मुझपर पड़ी, उससे मुझे लगा कि मैं उनके हृदय में शायद ही कभी प्रवेश कर सकूँ।

मैं स्वनामधन्य पंडित मोतीलालजी के पास काफी उठा-बैठा हूँ। लाला लाजपतराय और पंडित मालवीयजी की भी सेवा मैंने की। बापू के चरणों में बत्तीस साल तक रहा। पर पंडित जवाहरलालजी मुझे इन सबसे निराले दीखे हैं। मालवीयजी एक निर्मल जल के सरोवर-जैसे लगते थे, जिसमें प्रवेश करने में मुझे

कभी झिझक नहीं होती थी। बापू ऐसे लगते थे, जैसे गंगा की पवित्र धारा। इसमें स्नान करने से सुख और शान्ति मिलती थी और पाप और परिताप से मुक्ति मिलती थी। इन दोनों ही जलो में गोता लगाना मुझे आसान मालूम देता था। पर पंडितजी मेरी दृष्टि में सदा एक अगाध समुद्र रहे हैं, जो विशाल है, बृहत् है, अपनी ओर खींचता है, अपने लिए श्रद्धा पैदा करता है, और प्रभावान्वित भी करता है, पर जिसका अवगाहन भयप्रद है।

गन् १९२४ के बाद पंडितजी के काफ़ी परिचय में आया। उनका काफ़ी अध्ययन किया। उनके साहित्य को पढ़ा। पर मैं नहीं कह सकता कि मैं आज भी उन्हें जान पाया हूँ। पंडितजी मेरे लिए सदा ही समुद्र की तरह 'अनवधारणीयभीदृवतया रूपमियत्तया वा' रहे हैं।

एक बार मैंने स्वर्गीय महादेव भाई देसाई से पूछा था, "महादेव भाई, जवाहरलालजी को जानते हो? जानते हो तो बताओ वे क्या हैं?" उन्होंने कहा, "जवाहर ग्रीक फिलास्फर है। वह सौन्दर्य का उपासक है। वह कभी सौन्दर्यहीन काम नहीं कर सकता।"

गोल्डस्मिथ ने कहा है—“सुन्दर वह है जो सुन्दर करता है।” सम्भव है, महादेव भाई का तात्पर्य 'सत्यं सुन्दरम्' से रहा हो। जो सुन्दर है, वह सत्य भी होना चाहिए, कल्याणकारी भी होना चाहिए।

मैंने समालोचक बनकर पंडितजी का अध्ययन किया है और मुझे लगता है, पंडितजी के सग्वन्ध में महादेव भाई का निवृत्त अक्षरशः सही है। पंडितजी चाहे एक क्षण के लिए आंबंग में आ

जायँ, पर उन्हें उनकी न्याय-बुद्धि कभी नहीं छोड़ती। एक विशिष्ट पुरुष ने मुझसे एक मर्तवा कहा था, “जवाहरलाल क्रांतिकारी नहीं, एक उच्चकोटि का लिवरल है, जो हर चीज के दोनो पहलुओ को मद्देनज़र रखकर निर्णय करता है और कभी-कभी दोनो पहलुओ को इतना तौलता और मापता है कि स्पष्ट निर्णय मे भी कठिनाई पाता है।” इन सब वर्णनो के बाद मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, जब गाधीजी ने अपनी मृत्यु के कुछ ही दिन पहले मुझसे एक बार कहा, “जवाहर विचारक है, सरदार कारक है।”

पंडितजी के भीतर जो मथन और सघर्ष चलता रहता है, उसकी छाप हर बारीकी से अध्ययन करनेवाले पर पडे बिना नहीं रहती। हर चीज के स्पष्ट निर्णय मे जो एक विचारक को कठिनाई पडती है, उसका आभास उसकी भाव-भगी से मिलता है। पंडितजी हँसते है तो भी एक तरह की उदासी उनके चेहरे पर से कभी नहीं हटती। दिलीप के बारे मे कालिदास ने कहा है कि उसमे वृद्धत्वं जरसा विना था। पंडितजी मे वृद्धत्व जरसा विना और विना बाल्येन चापल्यं दोनो है। नम्रता है तो आवेश भी है। उत्साह है तो थकान भी है। दिल गरीब है तो तबीयत रईसाना भी है। हठ है, पर समन्वय है। बहादुर है तो लोकमत के सामने झुकते हैं। कुशाग्रबुद्धि है, पर उनमे सीधापन भी है। यह सब द्वन्द्व इस तरह से भीतर संग्राम करते है कि इसका प्रतिबिंब पंडितजी के चेहरे पर आ ही पडता है।

साधारण मान्यता है कि पंडितजी को धर्म मे कोई श्रद्धा नहीं है, न उन्हें ईश्वर मान्य है। कभी-कभी पंडितजी के सार्व-जनिक उद्गारो से इस कथन का समर्थन भी होता है। पर इसमे भीमतभेद की काफी गुजाइश लगती है। धर्म क्या है और ईश्वर

क्या है, इसकी सम्पूर्ण व्याख्या के बाद ही यह निर्णय हो सकता है कि पंडितजी के ईश्वर-सम्बन्धी मन्तव्य क्या है। पर गांधीजी इस कथन का भी विरोध करते थे। वहस में एक बार उन्होंने मुझसे कहा, “जवाहर नास्तिक नहीं है। जो मनुष्य कहता है, आजादी अवश्य मिलेगी, उसके इस कथन का आधार विज्ञान नहीं, श्रद्धा है। और श्रद्धा आस्तिकता का प्रदर्शन है, नास्तिकता का नहीं।” यह सही है। कुछ दिन पहले इलाहाबाद-साइम-कांग्रेस में व्याख्यान देते समय पंडितजी ने कहा, “मे पन्तजी से सहमत नहीं हूँ, जब वह कहते हैं कि कुदरत का कानून अस्थायी है। असल में तो कुदरत का कानून अटल और अजेय है। मनुष्य उसे समझने में और उसपर विजय पाने में अवतक निष्फल रहा है। जो कुछ हुआ है, वह इतना ही कि मनुष्य कुदरत से सहयोग करके उसका उपयोग करता रहा है।” यह नास्तिकता नहीं, परले मिरे की आस्तिकता है।

साधन और साध्य में सामंजस्य को गांधीजी ने अपने प्रवचनों में काफी महत्त्व दिया है। अच्छे ध्येय के लिए भी बुरे साधनों का प्रयोग त्याज्य है, इसपर गांधीजी ने जितना भार दिया है, उतना हमारे प्राचीन लोगों ने गायद ही दिया हो।

राजनैतिक दांवपेंच हर युग में चलते रहे हैं और हमारे पूर्वज भी इन दांवपेंचों में बचते न थे। देव-दानवों के सघर्ष में देवों की गिन्ती आई तो वामन ने बलि का घोषा दिया। उनके पहले द्विष्णु ने मोहिनी बनार देवों में अमृत चुराया। राम ने छिपकर बाली को मारा। जैसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। भाग्य की भविष्य की परराष्ट्र-नीति इन दांवपेंचों का निरस्तार करेगी, ऐसा मानने की भी कोई गुंजाइश नहीं। पर गांधीजी इस पैतरे-

बाजी से परे थे और उस नीति का जवाहरलालजी पर भी प्रभाव पडा है, ऐसा उनके अनेक उद्गारो से पता चलता है। गाधीजी का यह स्वर्ण-नियम स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद कभी कसौटी पर नहीं चढा। जवाहरलालजी यदि इसको व्यावहारिक रूप में सफल कर दिखायेंगे तो अवश्य ही हमारी एक अद्भुत विजय होगी।

जवाहरलालजी एक महान् व्यक्ति हैं। उनमें महत्ता क्या है, इसका विश्लेषण कष्टसाध्य है। सोना या हीरा महज अपने बुनियादी तत्त्वों के कारण ही कीमती नहीं होता। कहते हैं, जो तत्त्व हीरे में है, वे कोयले में भी है। पर कोयला कोयला ही है और हीरा हीरा ही। पंडितजी में अभय है, न्यायबुद्धि है, कुशाग्रता है, तेजस्विता है, विद्वत्ता है और ऊँचे दरजे की साहित्यिक कला-कुशलता है। पर उन्हें किस चीज ने बडा बनाया, यह बताना असम्भव है। बात यह है कि वह बडे हैं और इस देश को उनकी सेवा की अत्यन्त आवश्यकता है।

फरवरी, १९४६

## जमनालालजी

सोमवार की बात है। जमनालालजी से मिले दो-तीन दिन हो गए थे। मैं तो था सेवाग्राम में और जमनालालजी वर्धा में। मैंने सोचा, चलो, जमनालालजी को यहाँ बुला लें और कुछ डधर-उथर की बातें भी कर लें। इसलिए मैंने सन्देश भिजवा दिया कि जरूरी काम है, मिल जाइयेगा।

उस दिन जमनालालजी की तबीयत खराब थी। सिर में कुछ चक्कर आ रहे थे। मेरा सन्देश उन्हें मिला तब दोपहर की कड़ी धूप थी। सन्देश मिलने पर उन्होंने जानकीदेवी से कहा, “घनश्यामदास के पास कोई जरूरी काम नहीं है। आज बापू का मौनवार है, इसलिए मालूम होता है, वह अकेला ऊब गया है और महज दिलवहलाव के लिए मुझे बुला भेजा है। पर मैं तो जाऊँगा।” जानकीदेवी ने कहा, “कोई जरूरी काम नहीं है तो न जाइये। उसे क्या पता, आपकी तबीयत आज ढीली है।” पर जमनालालजी का स्वभाव ही ऐसा था कि वे अपने शरीर को काम परवाह करते थे। जब उनका ज्यादा ढूँढ़ देखा तो जानकीदेवी ने कहा, “थच्छा, जाना है तो शाम को जाइये। इस दोपहर की धूप को तो टाल दीजिये।”

जानकीदेवी का आग्रह मानकर जमनालालजी दोपहर के

बजाय शाम को सेवाग्राम पहुँचे। मैंने उन्हें देखते ही मजाक में कहा, “वहाँ बिना काम आप पड़े थे, इसलिए मैंने यहाँ बुला लिया। कोई काम तो नहीं था।” जमनालालजी ने भी हँसकर कहा, “देखो, मैंने तो जानकी से पहले ही कह दिया था कि कोई काम नहीं है। पर तो भी चला आया, हालाँकि आज मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी।”

तबीयत की खराबी का जिक्र आते ही मेरी हँसी गायब हो गई। मैंने कहा, “आप आये ही क्यों? मुझे कुछ काम की बातें भी करनी थीं। अब नहीं करूँगा। फिर करेगे। आप फौरन लौट जाइये।” तो भी वे बैठ गए। कुछ इधर-उधर की बातें कीं। मालूम हुआ, उन्हें कुछ चक्कर आ रहे थे। मैंने कहा, “आप जाइये। स्वस्थ होने पर फिर बातें कर लेंगे।”

मुझे पता भी नहीं था कि जमनालालजी का इन दिनों रक्त-दबाव बढ़ गया था। ऐसा पता होता तो चक्कर का नाम सुनते ही मैं चौकन्ना हो जाता। मैंने पूछा भी नहीं कि रक्त-दबाव की शिकायत तो नहीं है?

“बृहस्पतिवार को आऊँगा।” जमनालालजी ने कहा।

बृहस्पति को सेवाग्राम और वर्धा के बीच की पहाड़ी पर सुबह साढ़े सात बजे हम मिलेंगे, ऐसा निर्णय हम दोनों ने कर लिया और जमनालालजी वर्धा के लिए चल पड़े। जाते-जाते महादेव भाई से कह गए, “महादेव, कुछ चक्कर-सा आता है। घनश्यामदास का वारंट गया, इसलिए चला आया। पर जाता हूँ।” महादेव भाई ने कहा, “विश्राम लीजिये!” उन्हें पता था कि जमनालालजी को रक्त का दबाव अधिक था, उस समय दबाव ज्यादा था या कम, इस जाँच की कोई आवश्यकता भी

उस समय उन्हें महमूस नहीं हुई ।

जाते-जाते जमनालालजी ने सोचा, वापू को भी तो नमस्कार कर चले । गांधीजी की कुटी की तरफ गये तो पता चला कि गांधीजी भोजन के लिए भोजनालय की तरफ चले गए हैं । इस-लिए विना नमस्कार किये ही अपने तंगि की ओर चल दिये । गांधीजी ने जाते हुए जमनालालजी की पीठ देखी । गांधीजी का मौन था, इसलिए उन्होंने इन्हे पुकारा नहीं, हालाँकि गांधीजी की इच्छा हुई कि जमनालालजी मिल जाते तो ठीक था । जमनालालजी उनसे मिले नहीं, इसलिए गांधीजी को यह भी पता नहीं चला कि उस दिन जमनालालजी कुछ रुग्ण थे और उन्हें चक्कर आ रहे थे ।

नांगे में बैठे-बैठे फिर जमनालालजी ने पुकारकर मुझसे कहा, “वृहस्पति को आऊँगा ।”

“पूरा आराम लीजियेगा, जल्दी न कीजियेगा ।” मेने उत्तर में कहा ।

बुध को जमनालालजी विलकुल स्वस्थ थे । सुबह टहलने गए । मित्रों से कहा, “आज तवीयत विलकुल दुरुस्त हूँ ।” दो दिन तक उन्होंने उपवास किया था । उसका काफी अच्छा असर हुआ । बुध को वाह्व बजे उन्होंने भोजन किया और तीन घंटे बाद इस मसाल से विदा ले ली ।

वृहस्पति को साढ़े सात बजे सुबह मेवाग्राम और चर्चा के बीच की पहाड़ी पर हमारी भेंट होनेवाली थी । वीन में यह दृष्टटना हो गई । तो भी जमनालालजी जिन्दा ही हैं, ऐसा लगता था । मैं सुबह उस पहाड़ी पर टहलने गया, जहाँ हम दोनों ने मिलना नय किया था । “जमनालालजी ! ओ ! ओ ! ओ !

जमनालालजी ।” कई मर्तवे मैंने जोर की आवाज दी । पर सिवा जगल की प्रतिध्वनि के और कोई उत्तर नहीं मिला ।

जमनालालजी सचमुच हमसे बिदा हो चुके थे ।

मैंने महादेव भाई से कहा, “महादेव भाई, क्यों नहीं मैंने जमनालालजी से पूछा कि आपको रक्त का दबाव तो नहीं है? यदि मैंने प्रश्न किया होता तो मुझे उनकी बीमारी का भेद खुल गया होता और हम लोग सावधानी से उनका उपचार करते ।”

महादेव भाई ने कहा, “क्यों नहीं मैंने जानते हुए भी कि उनको अधिक रक्त-दबाव की शिकायत है, उनकी उसी समय हमारे सेवाग्राम के डाक्टर से परीक्षा करवा ली ? यदि मैं ऐसा करवा लेता तो मुझे पता चल जाता कि उनका रक्त-दबाव काफी ऊँचा है और उन्हें सेवाग्राम से जाने नहीं देना और लिटाकर रखता ।”

“क्यों नहीं” गाधीजी ने कहा, “जमनालाल सेवाग्राम आकर भी मेरी तरफ आया ? यदि वह मुझसे मिलता तो अवश्य अपने चक्कर की बात मुझे कहता और मैं उसी समय उसे सेवाग्राम में कैद करके पूरा विश्राम लेने के लिए बाध्य करता ।”

पर इस ‘क्यों नहीं’ का उत्तर कौन दे ? कितनी बार हम ‘क्यों नहीं’ कहते हैं, पर इसका उत्तर तो यह है

अभूतपूर्वो न च केन दृष्टो,

हेस्म. कुरगो न कदापि वार्ता ।

तथापि तृष्णा रघुनन्दनस्य,

विनाशकाले विपरीतबुद्धि ॥

—सोने के मृग भी कभी हुआ करते हैं—साधारण मनुष्य को भी यह ज्ञान तो है । फिर राम-जैसे महापुरुष को यह अविदित

थोड़े ही था कि सोने के मृग नहीं होते । फिर रामचन्द्रजी-जैसों को स्वर्णमृग-चर्म की तृष्णा क्यों ? पर बात तो यह है कि जब कोई दुर्घटना होनेवाली होती है तो निर्णय भी विपरीत हो जाता है—

यत्पूर्वं विधिना ललाटलिखितं तन्माजितु कः क्षमः !

## महादेव देसाई

महादेव भाई से मेरा परिचय पहले-पहल कब हुआ, यह तो आज मुझे स्मरण भी नहीं है। लम्बे अरसे की घनिष्ठ मैत्री की तह में वह तिथि दब-सी गई है। पर महादेव भाई के मीठे सस्मरणों पर दृष्टिपात करता हूँ तो मुझे विश्वास नहीं होता कि वह मर गए—और फिर जब यह पाता हूँ कि हमारे लिए वह आज सदा के लिए अप्राप्य हो गए है तो एक लम्बी आह निकल पड़ती है। मरण इस जीवन का नैसर्गिक अन्त है और मृत्यु का अंत जीवन ही होगा, ऐसा भी मान लेना चाहिए। पर तो भी स्वजन की—और सो भी सुजन की—मृत्यु अवश्य ही छलकते हुए हृदय पर मुँदनी-सी छा देती है। तभी तो भर्तृहरि ने कहा है—‘पता नहीं, यह जगत् जहर है या अमृत ।’

महादेव भाई के सस्मरण लिखना मेरे लिए आसान भी है तो कठिन भी। इतने संस्मरण है कि कहाँ से आरम्भ करूँ और कहाँ अंत करूँ, और सारे-के-सारे सस्मरण अत्यन्त सुखदायी है। मुझे याद नहीं आता जब महादेव भाई को मैंने रूठा हुआ पाया हो या क्रुद्ध देखा हो। हँसी तो उनके चेहरे पर आठों पहर खेलती रहती थी। महादेव भाई भावुक श्रद्धालु होते हुए भी व्यावहारिक थे। वह हर पल कार्य में तत्पर रहते थे। वह निरालस्य थे।

ज्ञान के वह भंडार थे। गम्भीर होते हुए भी मजाक की उनमें कमी नहीं थी। बापू के मंत्रिपद को उन्होंने बड़ी शान के साथ सुगोभित किया और अन्त में बापू की सेवा करते-करते मर गए। राजाजी ने सच कहा है, “महादेव भाई की मृत्यु से बापू अनाथ हो गए हैं।”

किसी एक सम्मानित पुरुष को पत्र लिखते समय महादेव भाई ने लिखा था, “मैं बापू का मंत्री, सेवक और पुत्र का एक सम्मिलित पुलिदा हूँ।” मैंने महादेव भाई को इन तीनों रूपों में देखा है। मुझसे तो महादेव भाई का घनिष्ठ भाईचारा था, अतः मेरे लिए उनका मन्त्रित्व कोई खास मानी नहीं रख सकता था। पर तो भी, मेरे पास भी महादेव भाई बापू के मंत्री बनकर आ सकते हैं, इसका एक मर्तवा मुझे दिलचस्प अनुभव हुआ और उसके कारण महादेव भाई की योग्यता का मैं और भी कायम हो गया।

बहुत वर्षों की बात है। गांधीजी दिल्ली आये हुए थे और हरिजन-निवास में ठहरे थे। उन्हीं दिनों कवि-सम्राट् टैगोर भी ‘विश्वभारती’ के लिए धन-संग्रह करने के दौरे पर निकले थे। वह भी दिल्ली आ पहुँचे। कवि-सम्राट् का कार्यक्रम यह था कि जगह-जगह वह अपनी कला का प्रदर्शन करें और बाद में लोगों से धन के लिए प्रार्थना करें। गांधीजी को यह चीज चुभ-सी गई। एक इतना बड़ा पुरुष ‘गुरुदेव’ उस बुढ़ापे में जगह-जगह धन एकत्र करने के लिए—आर. सी. भी कुछ साठ हजार रुपयों के लिए—अपने नाट्य और नृत्य का प्रदर्शन करें, यह गांधीजी को असह्य लगा। मैं तो गांधीजी में रोज ही मिलता था, पर मुझमें उन्होंने इसका कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन उनकी धैर्यता बढी

जाती थी और जब उसे वह बर्दाश्त न कर सके तो महादेव भाई से उन्होंने अपना सारा दर्द बयान किया ।

पहर रात बीती थी । मैं अभी सोया नहीं था । सोने की तैयारी में लेट गया था । बत्ती बुझा दी थी । अचानक किसी के पाँव की आहट पाकर मैं सचेत हो गया । “कौन है ?” मैंने पूछा । महादेव भाई ने कहा, “मैं हूँ ।” महादेव भाई चुपचाप मेरे कमरे में आकर मेरी खटिया के पास बैठ गए । “महादेव भाई, तुम । रात को कैसे ? सब मगल तो है न ?” “हाँ, सब मगल है । कुछ सलाह के लिए आया हूँ ।” मैं खटिया पर से उठने लगा । महादेव भाई ने कहा, “लेटे रहिये, लेटे-लेटे ही बातें कर लीजिये, उठने की कोई जरूरत नहीं ।” मैंने फिर उठना चाहा, पर अन्त में महादेव भाई के आग्रह से लेटा ही रहा । “हाँ, तो क्या है ? कहो ।” मैंने पूछा । वस, फिर तो महादेव भाई का प्रवचन चला । मुझमें शक्ति नहीं कि मैं उसे लिपिबद्ध कर सकूँ । जिस ओज और कला के साथ उन्होंने गाधीजी की मर्म-वेदना का चित्र खींचा, वह देखनेलायक था । सारा दृश्य मेरी आँखों के सामने नाचने लगा । महादेव भाई की वाणी में भावुकता थी, मृदुता थी और थी तेजस्विता ।

गुरुदेव का गुणगान और हमारा दुर्भाग्य कि गुरुदेव को थोड़े-से धन के लिए इस बुढापे में नाचना पड़े तथा बापू की अत-वेदना—इन सब चीजों का मर्मस्पर्शी चित्र हृदयगम करते ही मुझे रुलाई आने लगी ।

“बापू ने कहा है कि घनश्यामदास से कहो, वह अपने धनी मित्रों को लिखे कि कुल छह जने दस-दस हजार की रकम गुरुदेव को देकर हिंदुस्तान को इस गर्म से वचाले और गुरुदेव को

निश्चिन्त करके शांतिनिकेतन वापस भेज दें।” महादेव भाई ने अपने अभिभाषण की समाप्ति में कहा।

“महादेव भाई, वापू की पीड़ा को मैं समझ सकता हूँ, पर तुम इतनी रात गये, ठिठुरते जाड़े में, यहाँ क्यों आये ? वापू स्वयं भी निर्णय कर सकते थे। मैं किसके पास भिक्षा माँगने जाऊँ ? वापू से कहो कि जो देना हो, मुझसे मँगा ले और गुरुदेव को दे दे।” मैंने ऐसा कहा तो सही, पर इसका श्रेय तो महादेव भाई को ही था, क्योंकि उनके शांत, पर मार्मिक अभिभाषण ने मेरे लिए दूसरा कोई निर्णय छोड़ा ही न था।

एक चतुर कलाकार मिट्टी के लौदे को जिस तरह अपनी अंगुलियों की करामात से जी-चाहा रूप दे देता है, उसी तरह महादेव भाई ने लोगों के दिल पर मनमाना असर डालकर उसे अपने अनुकूल बना लेने की शक्ति प्राप्त कर ली थी और वह शक्ति अद्भुत थी। उनकी लेखनी में भी वही ओज था। पर जवान में भी कम करामात न थी। पारंगत मंत्री को कभी विनम्र तो कभी रुखा, कभी सहनशील तो कभी असहिष्णु, कभी भावुक तो कभी व्यावहारिक बनना पड़ता है। महादेव भाई एक कलाकार की तरह आवश्यकतानुसार इन सब भावों का प्रदर्शन कर सकते थे।

ठक्करवापा जब सत्तरवें वर्ष में पहुँचे तो उनके कुछ मित्रों ने उनकी ‘मंगल-सत्तरी’ मनाने का निश्चय किया। और वह निश्चय भी नितान्त निर्जीव था। सत्तरी के उपलक्ष्य में सत्तर-सौ—यानी सात हजार—रुपया इकट्ठा करना, उतना ही निश्चय था। गांधीजी ने मुना तो कहा, “ठक्करवापा की सत्तरी में केवल सत्तर सौ ? न तो सत्तर हजार, न सात लाख। कम-से-कम

सत्तर हजार तो इकट्ठा करना ही है।” पर सत्तर हजार भी प्रस्तावको को पहाड़-सा लगा। सत्तरी के दिन नजदीक आने लगे, पर धन एकत्र न हो सका। अन्त में गाधीजी ने महादेव भाई को बंबई भेजा। अब तो धन बरसने लगा और दो दिन में एक लाख बीस हजार एकत्र हो गया।

कुछ साल बीते, गुजरात में अकाल पड़ा। तब फिर गाधीजी ने महादेवभाई को बंबई धन-एकत्र करने के लिए भेजा। निश्चय किया था कोई तीन लाख इकट्ठा करना, पर इकट्ठा हो गया कोई सात-आठ लाख। सबसे आश्चर्य तो यह था कि महादेव भाई को ऐसे लोगो से भी अच्छी रकम मिली, जो अपनी कजूसी के लिए बाजीमार समझे जाते थे।

सचमुच महादेव भाई गाधीजी के महज एक मंत्री ही नहीं, बल्कि एक दूसरे शरीर बन गए थे। गाधीजी के विचारों को उन्होंने इतना पी लिया था और उन्हें इतना हजम कर लिया था कि वह गाधीजी के मंत्री ही नहीं, ऐन मौके पर गाधीजी के सलाहकार और सचालक तक बन बैठते थे।

कुछ ही दिनों पहले एक विलायती अखबार का प्रतिनिधि मौजूदा परिस्थिति पर गाधीजी का एक वक्तव्य लेने के लिए आया। गांधीजी ने खाते-खाते महादेव भाई को वक्तव्य लिखाना आरम्भ किया। मैं देख रहा था कि महादेव भाई की कलम इस सिफ्त के साथ चलती थी कि गाधीजी की जबान से जो भाषा निकलती थी, उससे दो-एक शब्द आगे उनकी कलम निकल जाती थी, अर्थात् गाधीजी अमुक शब्द के बाद किस शब्द का प्रयोग करेंगे, इसका महादेव भाई को अंतर्ज्ञान था, जिसके कारण उनकी लेखनी अपना काम कर चुकती थी। पर जहाँ गाधीजी

की जवान से कोई अनुपयुक्त शब्द निकला कि महादेव भाई की लेखनी रुक जाती थी। कुछ अपनी नापसदगी उस शब्द के संबन्ध में महादेव भाई जाहिर करते थे, कुछ वाद-विवाद, फिर समझौता और फिर लेखनी का प्रवाह जारी। यह एक दिलचस्प दृश्य होता था। पर इसके अलावा मैंने यह भी देखा है कि गांधीजी गुजराती या हिन्दी में व्याख्यान दे रहे हैं और महादेव भाई प्रेसवालों के लिए उसका अंग्रेजी में उल्था करते जाते हैं, और कलम गांधीजी की जवान के साथ-साथ दौड़ती जाती है। यह करामात हर मनुष्य में नहीं होती।

गांधीजी के अनन्य उपासक होते हुए भी महादेव भाई के अपने स्वतंत्र विचार थे। गांधीजी के विचारों का विरोध करने की उनमें क्षमता थी। गांधीजी से भिड़ जाने की उनमें शक्ति थी और गांधीजी पर उनका खूब असर पड़ता था। वह कभी-कभी वापू की कड़ी आलोचना करते थे, पर शुद्ध भक्ति-पूर्वक। लेकिन जहाँ गांधीजी ने एक अंतिम निर्णय किया कि बस, महादेव भाई अडिग निश्चय के साथ गांधीजी की योजना में कूद पड़े। सशय-कल्लोल में खेलना उन्हें पसन्द नहीं था।

गांधीजी की चेष्टाओं और वेश-भूषा की महादेव भाई ने कभी नकल नहीं की। उन्हें कभी 'उपगांधी' बनने का शौक पेश नहीं हुआ। आजीवन वह गांधीजी के अनन्य अनुचर रहे और उनके विचारों को रोम-रोम में भरकर उनके साथ अभिन्न भी हो गए थे।

दो-तीन सालों में कई मर्तबा महादेव भाई ने गांधीजी से बहस करके उनके उपवास-संबंधी विचारों पर प्रहार किया। कई मर्तबा उन्होंने गांधीजी के उपवास-सम्यन्धी निर्णयों को

बदलवाया भी था ।

कहाँ ऐसे मन्त्री होते हैं, जो मन्त्री भी हो और सलाहकार भी हो, जो सेवक हो और पुत्र भी हो ।

शायद सबको इसका पता भी न हो कि महादेव भाई ने कई साल पहले गीता का अंग्रेजी में अत्यन्त प्रामाणिक अनुवाद कुछ टीका के साथ किया था । ज्ञान का भंडार तो महादेव भाई का अनुपम था ही । जितना उन्हें पश्चात्य दर्शन का ज्ञान था, उतना ही हमारे शास्त्रों का भी था । इसलिए गीता के अनुवाद के वह अवश्य ही शास्त्रीय अधिकारी थे । अपने किये हुए अनुवाद के कई अंग उन्होंने मुझे समय-समय पर सुनाये, जो मुझे अत्यन्त आकर्षक लगे । वह अनुवाद अबतक छपा ही नहीं । कई मर्तबा मैंने उन्हें उसे छपाने का तकाजा किया, पर असल बात तो यह थी कि गांधीजी की टहल-चाकरी से उन्हें इस अनुवाद को छपाने की फुर्सत ही नहीं मिली । गांधीजी के सम्बन्ध में समय-समय पर लिखी हुई इतनी टीपे (नोट्स) उनके पास थी, वे गांधीजी की वृहत् जीवनी के लिए एक अत्यन्त उपयोगी मसाला हैं । मैं कहा करता था, “महादेव भाई, बापू का वृहत् जीवन-चरित कभी तुम्हें ही लिखना है ।” और महादेव भाई बड़े उल्लास के साथ हामी भी भरते थे, पर वह दिन नहीं आया । मन की मन ही माँहि रही ।

पर महादेव भाई की मृत्यु अचानक हुई है, ऐसी बात नहीं है । काल भगवान् का पहला न्यौता तो उन्हें पाँच साल पहले ही आ गया था । गांधीजी के अत्यन्त आग्रह से उन्होंने उस समय विश्राम लिया और मृत्यु की भेट से बचे । राजकोट-प्रकरण के जमाने में फिर उन्हें दूसरा न्यौता मिला । इस समय

वहाँ से दिल्ली में आकर मेरे पास दो महीने रहे और फिर रोग-मुक्त हुए। इसके बाद तो गांधीजी के आग्रह करने पर भी उन्होंने विश्राम लेने से इन्कार किया। आठेक महीने पहले फिर अचानक रोग ने उनपर आक्रमण किया, पर लाख कहने पर भी दो सप्ताह से ज्यादा उन्होंने विश्राम नहीं लिया।

कुछ समय पहले की बात है। जेठ की दुपहरी थी। गांधीजी के साथ कड़ी धूप में चलते-चलते उन्हें बेहोशी आ गई थी। इसका विवरण सुनकर महादेव भाई से मैंने कहा, “महादेव भाई, यह शर्म की बात है कि बूढ़े बापू तो धूप में चल सकें और तुम बेहोश हो जाओ। कुछ दिन मेरे साथ रहकर विश्राम कर लो और सुदृढ़ बन जाओ।”

पर महादेव भाई की दीर्घदृष्टि के सामने कांग्रेस का आन्दोलन था। गांधीजी के उपवास की आशंका थी। इसलिए उनको न थी विश्राम में रुचि, न थी उन्हें फुर्सत। उपवास की आशंका से महादेव भाई काफी त्रस्त थे। उन्होंने मेरे तकाजे के उत्तर में कहा, “मैं तीन महीने भी विश्राम ले लूँ, तो भी मैं कहीं बापू की बराबरी करने लायक बनूँगा ! मुझसे कहीं धूप में चला जायगा ? मैं कहीं लंबी जिदगी पाऊँगा ? अच्छा हो, मैं तो काम करते-करते ही बापू की गोद में सिर टेके मर जाऊँ !”

और जैसे भगवान् ने भी कहा—‘एवमस्तु !’

कैसा था वह रतन, जो चला गया !

व्यासजी ने कहा था कि करोडो पोथियो मे जो बताया गया है, वही मै आधे श्लोक मे बता देता हूँ—परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् । अर्थात्—परोपकार ही पुण्य है और दूसरो को पीडा देना ही पाप है । ठक्करबापा को केवल इतने ही कथन से पर्याप्त चित्राकित किया जा सकता है कि इस आधे श्लोक मे बताये धर्म को उन्होने अपने जीवन मे पूरी तरह से ओत-प्रोत किया है ।

बापा के संसर्ग मे मै किस सन् या तारीख मे आया, यह तो मुझे स्मरण नही, पर इतना अवश्य याद है कि उस समय उनका अमृतलाल ठक्कर ही नाम चलता था और पिछडे हुए लोगो की सेवा करना उनका पेशा था । बापा की उपाधि तो उन्हें पीछे से मिली, जो नितान्त सार्थक है ।

कहते है, ठक्करबापा गृहस्थ थे और इजीनियर भी थे । सुना है कि अफ्रीका मे रेल की पटरियाँ डालने का काम उनके सुपुर्द किया गया था, जिसे उन्होने अच्छे शऊर के साथ पूरा किया । पर उनकी जीवन-ज्ञाँकी, रहन-सहन या वेग-भूषा से उनका गृहस्थ होना या इजीनियर बनकर रेल की पटरियाँ बिछाना कुछ अनोखा-सा लगता है । ठक्करबापा के असली माने तो उनके जानकारो

के लिए इतना ही है कि वह एक शुद्ध, विनम्र और गरीबों के नि स्वार्थ सेवक है, जिनमे न थकान है और न अभिमान। सेवा मे विघ्न आने पर उन्हे अवश्य रोप होता है, पर क्षणिक; और लोगो के दु ख से उन्हे चोट लगती है, वह स्थायी। उनकी कोई फिलासफी है तो सेवा की, और भक्ति है तो गरीब, पीडितों की।

मेरा गाढ संबंध ठक्करबापा से हुआ १९३२ मे। वापू जब यरवडा मे आमरण उपवास की दीक्षा लेकर मृत्यु-ञ्जया पर लेटे थे, तब हम लोग श्री अम्बेडकर से बातचीत करके किस तरह हरिजन-गुत्थी को सुलझावे, इस चिन्ता मे डूबे पडे थे। समय बीतता जाता था और वापू का शरीर धीरे-धीरे अस्ताचल की ओर डूबता जा रहा था। कुछ लोग सीटो की खीचतान मे थे, जिनपर हम लोगो को रोप आता था। उस समय कितनी सीटें न्यायानुकूल हरिजनो को मिले, इसका हिसाब निकालने का भार ठक्करबापा पर रखा गया और उन्होने इस भार को पक्षगात-रहित होकर उठाया। पूना-पैकट का प्राण हरिजनों को दिया हुआ मताधिकार है, जो ठक्करबापा की कृति है। इस दस्तावेज पर हम लोगो ने आख मूँदकर हस्ताक्षर किये।

उसके बाद जब 'हरिजन-सेवक-संघ' गठित करने का प्रस्ताव हुआ ओर मुझे उनका सभापति बनने का आवेग हुआ, तब इसी वर्त पर मैंने उसे स्वीकार किया कि सब का मन्त्रित्व ठक्करबापा को सौंपा जाय। मत्रह माल इस तरह ठक्करबापा के ममर्ग में बीते। जिसकी स्मृति मुझे चिरस्थायी रहेगी।

ठक्करबापा के मन्त्रन्व मे अधिक लिखना बेकार है। कागज कागम और स्याही उनकी कृति का नया वर्णन दे सकती हैं ! मेरा यह मद्भाग्य है कि मुझे एक माधु का संगर्ग मिला।

किसीके जीवन का चित्र खींचते समय अमुक व्यक्ति कब जन्मा, उसने कब-कब क्या-क्या किया, इस चक्कर में फँसना फिजूल समय गँवाना है, क्योंकि किसीके भी जीवन के सम्बन्ध में जानना तो हमें इतना ही है कि उसमें कौन-कौन-सी खूबियाँ थी, जिनसे कि हम कोई सबक सीखें।

कहने के लिए तो जन्म से मृत्यु तक हर मनुष्य के जीवन में एक अविच्छिन्न शृंखला बतायी जाती है, जो हर मजिल में उसके व्यक्तित्व को व्यक्त करती रहती है। तात्पर्य ऐसा कहनेवाला का यह है कि जो व्यक्ति जन्म के समय था, वही जवानी में है और मृत्यु के समय भी वही रहेगा। किसीके मन्तव्य या विश्वास को ठेस लगाना, यह अभिप्राय कदापि नहीं है, पर जो जन्मा था वही युवा हुआ और वही वृद्ध होकर मरेगा, यह प्रमाणित करना ज़रा कठिन है, क्योंकि मनुष्य हर घड़ी और हर अवस्था में सतत बदलता रहता है। ज्यो-ज्यो आयु बीतती है, न तो वह पुराना शरीर ही रहता है और न वह पुराना मन और बुद्धि ही।

आत्मा क्या है ? उसे तो हम देख नहीं पाते, इसलिए उसके तर्क-वितर्क में न पड़ना ही अच्छा है। पर इस कथन की भी कोई बुनियाद नहीं कि आत्मा जीवन-भर 'अपरिवर्तनशील' रहती है।

कहनेवाले यह भी तो कहते हैं कि आत्मा एक शुद्ध, बुद्ध, अनादि वस्तु है, जो सदा, सब जगह और सबमे एकरस हो व्याप्त रहती है, भिन्न-भिन्न व्यक्तियों में भिन्न-भिन्न नहीं। यदि ऐसा ही हो, तो फिर मनुष्य अपनी निजी आत्मा की अलग हस्ती का दावा भी कैसे करे ! इसलिए जिसमे हम कल मिले थे, आज भी वह वही है, यह शुद्ध सत्य नहीं कहा जा सकता।

जो हो, प्रस्तुत प्रसंग तो मणिवेन का हे ओर कहना यह है कि वह कव जन्मी, कैसे पली, क्या शिक्षा पाई, उसने कैसे त्याग को अपनाया, ये अनावश्यक प्रश्न हैं; क्योंकि जिस मणिवेन की मैं बात करना चाहता हूँ, वह मणिवेन तो वह है, जो इन कुछ सालों में जनता के सामने आई, और वह सचमुच एक अद्भुत चरित्रवाली तपस्विनी है, जिसका जोड़ ढूँढना आसान नहीं।

१९४५ की जाड़े की बात है। दिल्ली में कड़ाके की सर्दों पड़ती थी। आकाश स्वच्छ रहता था और दिन में धूप प्रखर होते हुए भी प्रिय लगती थी। उसी जाड़े में सरदार वल्लभभाई पटेल राज-प्रकरण को लेकर दिल्ली आये थे। मणिवेन भी साथ थी। वैसे तो मैं सरदार और मणिवेन दोनों को वर्षों पहले से जानता था, पर १९४५ के बाद के पाँच वर्षों में पिता-पुत्री में जो निकट संपर्क हुआ, उसीसे उनके हर पहलू का अध्ययन करने का मुझे विज्ञेय अवसर मिला।

रात को हम लोग रोज कमरा बन्द करके अंगीठी जलाकर नापते थे। सरदार को हम लोगों पर इसी कारण तरस आता था। वे स्वयं तो एक खादी का कुरता और एक गर्म जाकेट में ही कड़ाके की सर्दों का सामना कर लेते थे और मणिवेन की आवश्यकता तो और भी कम थी। खादी की एक मोटी गफ़द गाड़ी

और एक सफेद जाकेट इतना ही उसके लिए पर्याप्त था, चाहे कैसा ही हडकप जाडा क्यों न पड रहा हो ।

कुछ-कुछ अधपके बाल, कद की नाटी और वजन की अत्यन्त हल्की, जीर्णकाय मणिबेन यदि मुँह पर सफेद पट्टी बाँध लेती तो वह जैन साध्वी में भी खप सकती थी । व्यवस्था-प्रिय मणिबेन हर चीज को अपने कमरे में व्यवस्थित रखती थी और सरदार की भी व्यवस्था करती थी । बाप-बेटी समय के इतने पाबन्द थे, मेजवान की सुविधा-असुविधा का उन्हें इतना खयाल रहता था कि उसे सकोच में डाल देते ।

सरदार के दिमाग की मशीन हर समय काम करती ही रहती थी । उनको जीर्ण जुकाम की शिकायत सदा बनी रहती थी । इसलिए नाक को रूमाल से बार-बार साफ करते रहते थे और नाक को बार-बार खुजलाते हुए कमरे में टहलते रहते थे । बैठने की आदत उन्हें कम थी । टहलते-टहलते अचानक कह देते—“बुलाओ अमुक को !” नया आदमी शायद इसका अर्थ भी न समझे । किसे और कहाँ से बुलाओ ? पर मणिबेन जानती थी कि वह सबोधन उसके लिए है और बुलाने के माने हैं अमुक को टेलीफोन पर बुलाना । कभी-कभी टेलीफोन पर आमंत्रित वह सज्जन पूना में होता था, तो कभी बबई, कलकत्ता, नागपुर या पेशावर में, पर मणिबेन ने सबके टेलीफोन के नम्बरों की अपने दिमाग में एक पक्की नोड कर रखी थी, जिसके कारण बिना कुछ हिचकिचाए वह अपने काम पर जम जाती । मेरे मन पर उसकी इस अद्भुत कार्यक्षमता की यह पहली अमिट छाप पड़ी ।

मणिबेन के जीवन का क्या लक्ष्य रहा है, सो तो शायद वह भी ठीक तरह से न बता सके, क्योंकि मनुष्य जबतक अपने-आप

का अध्ययन नहीं करता, तबतक स्वयं भी नहीं जानता कि वह क्या है। पर एक चीज स्पष्ट है। मणिवेन के जीवन का ध्येय उसका अपना 'पिता' रहा है। सरदार को उनकी छाया भी सूर्यास्त के उपरान्त विश्राम के समय छोड़ देती थी, पर मणिवेन का पहरा रहता था चौबीस घंटे। उसकी नजर सरदार सोते हो या जागते हो, काम करते हो या विश्राम करते हो, हर समय उनपर सजग होकर गड़ी रहती थी और सरदार की हर क्रिया के पीछे प्रच्छन्न रूप से चलती रहती थी। कितनी ही गुप्त मन्त्रणा या किसीके साथ निजी मुलाकात ही क्यों न हो, मणिवेन मूर्ति की तरह सरदार के निकट सदा प्रस्तुत रहती थी, जैसे वह सरदार का ही अविच्छिन्न अंग हो।

कानून का तकाजा था कि कैबिनेट-मीटिंग में मंत्री की हैसियत से केवल सरदार ही शरीक हों। इसलिए सरदार कैबिनेट के भीतर अकेले जाते और मणिवेन बाहर बैठ जाती थी। सरदार ससद में जाकर बैठते तो मणिवेन ऊपर गैलरी में जा बैठती। मणिवेन को इसका कोई क्षोभ नहीं था, क्योंकि वह एक तरह से सरदार के पास ही रहती थी। तन न सही, मन तो था ही।

सरदार का नित्य का अभ्यास था कि सुबह चौच-स्नान के बाद टहलने जायें। टहलना उनका तेजी के साथ होता था। तीन मील सुबह और दो-तीन मील शाम को। घर में भी जब कोई काम न हो तो घूमते ही रहते थे। शायद घूमने से उनके विचारों में चञ्चलता ज्यादा आ जाती थी। पहाड़ों पर जब जाते तब तो सरदार दोनों बेलों पर दस-बीस मील का भी चक्कर लगा लेते थे। पर मणिवेन भी इन सब घूम-टहल में अपनी हड्डियों के पिंजर को दौड़ानी हुई साथ ही रहती थी। मुझे आश्चर्य होना था कि

इतना कम खानेवाली मणिबेन को बीस मील चलने का यह बल कहाँ से मिलता था । अन्न से नहीं, यह उसके दृढ मानस से मिलता था । जो हो, इस दौड़ में सरदार से एक कदम, सिर्फ एक ही कदम पीछे, मणिबेन को मैं पाता था ।

सरदार को जबसे हृदय-रोग का आक्रमण हुआ, तबसे उनका टहलना भी चला गया और साथ ही गया मणिबेन का भी टहलना । अब सरदार ने टहलने के बदले केवल मोटर का घूमना जारी रखा । इसके साथ मणिबेन का भी कार्यक्रम बदल गया ।

मैं रोज सुबह सरदार के साथ घूमने के लिए उनके घर जाता तो सरदार को पाता स्नानघर में स्नान करते और मणिबेन को स्नानघर के दरवाजे के सामने चर्खा कातते । मणिबेन की एक आँख चरखे पर तो दूसरी आँख रहती थी स्नानघर के दरवाजे पर । और भीतर से पानी की कलकल की, खॉसने की या खडाऊँ की, जो भी आवाज आती, उन सबके सकेत मणिबेन को याद थे । सरदार की हर गति का उसके पास एक कोष था, जो उसे कठाग्र था और जिसके अर्थ केवल वही जानती थी । पानी की एक तरह की आवाज के माने थे सरदार मुँह धो रहे हैं, दूसरी तरह का शब्द हुआ, अब शरीर पर पानी डाल रहे हैं, अब गमछे से शरीर पोछते हैं, अब धोती पहनते हैं, तो अब खडाऊँ की आवाज आई और सरदार स्नानघर से निकलेगे । बस, मणिबेन का चर्खा बन्द, और सरदार की चप्पल स्नानघर के दरवाजे के सामने जा सजी । स्वयं उठी कि सरदार निकले । “अच्छा, आ गए चलो,” और चली मणिबेन पीछे-पीछे । चरखे से सूत इतना निकालना कि जिससे निजी और सरदार के सारे कपड़े उसीमे से बन जायँ । इतना काम, फिर भी किसी चीज का व्यक्तिक्रम नहीं । ऐसी गजब की

रही है मणिवेन ।

शारीरिक भोगों का त्याग कइयो ने किया । कइयों के पास भोग की सामग्री ही नहीं थी, फिर भी बिना त्याग किये ही त्यागी कहलाये । पर सरदार ने सचमुच में त्यागा, क्योंकि बैरिस्टरी पास करके उन्होंने सग्रह किया, अग्रेजी ठाट का जीवनक्रम चलाया, वच्चों को पादरियों के स्कूल में भेजकर विद्यारम्भ कराया, पैसे कमाये और फिर त्यागा, और त्यागा तो ऐसा कि फिर मुँह मोड़कर नहीं देखा ।

राजसत्ता आई, तो भी उनकी जीवन-शैली में कोई फर्क नहीं पड़ा । वही सादा जीवन, वही रहन-सहन, वही खान-पान और वही वेश-भूषा । पर मणिवेन का त्याग तो और भी उत्कृष्ट, क्योंकि सरदार ने तो भोग करके त्यागा, मणिवेन ने तो भोग को छुआ ही नहीं । इसका मणिवेन को खयाल हो तो अभिमान भी हो, पर न खयाल है और न अभिमान ।

“वीरवल, ला कोई ऐसा नर; पीर, वावर्ची, भिन्ती, खर ।” मणिवेन ऐसी ही ‘पीर’, ‘वावर्ची’, ‘भिन्ती’, ‘खर’ रही है । घर की देखरेख में वावर्ची कहो या चाकर । सफाई तो घर में ऐसी कि कचन-सा आँगन । धूल खोजने पर भी न मिले । खर्च कम-से-कम, पर राजाओं-महाराजाओं, राजदूतों और मेहमानों को ग्विलाने-पिलाने में कोई कजूसी नहीं ।

सरदार के साथ संसद में जाकर सरदार के व्याख्यान के नोट ले, सरदार की डाक मणिवेन के हाथों से गुजरे, मुलाकात की नोध भी मणिवेन रने और रात को दिन की सारी डायरी लिखे । ऐसी ‘पीर’, रात को सरदार को सुलाकर पीछे सोये और उनके उठने के पहले उठे । एक ही शरीर में वह सरदार की पुत्री,

चाकर, मंत्री, धोबी और अगरक्षक रही ।

सरदार की अगरक्षा मे मणिबेन ने बहुतो को तग किया, बहुतो को क्षुब्ध किया । कुछ लोगो को अपमानित भी किया । पर मणिबेन को इसका कोई खयाल नही, क्योकि उसने अपनी जान मे किसीका अपमान किया ही नही । उसकी दृष्टि एकागी रही और वह थी सरदार की रक्षा ।

मणिबेन की पितृ-भक्ति यदि मूक थी, तो सरदार का पुत्री-वात्सल्य भी मूक था । दोनो एक-दूसरे की भक्ति और स्नेह को पहचानते थे और इसकी स्वीकारोक्ति दोनोही की मूक होती थी । पर मणिबेन एक बार बीमार पडी तो सरदार की जबान का ताला टूट पडा—“यह मरी, तो मै मरा .” पर वे तो पहले ही चल दिये ।

सरदार जब मृत्यु-शैया पर पड़े तो मणिबेन ने स्पष्ट जान लिया कि अब उनका अन्त आ गया है । सरदार ने समझ लिया कि अब मृत्यु का द्वार खुल गया है । वे मृत्यु-शैया पर पड़े गुन-गुनाते रहते थे—“मगल मदिर खोलो, दयामय ।” पर पिता-पुत्री का वह मौन जारी ही रहा । सरदार ने कभी पुत्री से नही कहा, “मै अब जाऊँगा और तुम्हे यह करना है ।” और न मणिबेन ने यह पूछा, “तुम्हारे पीछे से कोई आदेश है क्या ?” दोनो-के-दोनो ईश्वरवादी ठहरे, इसलिए भविष्य भगवान् को सौंपकर निश्चित रहा करते थे । मणिबेन अपने कर्तव्य से कभी नही घबराई ।

“जिस दिन का मुझे डर था, वह अब आ रहा है”—कहकर उसके कुछ आँसू गिर पडे । मैने ढाढस देते हुए कहा, “ऐसा क्यों मानती हो ?” पर मै तो एक साल से मानता था कि उनका अन्त

आ रहा है ।

सरदार १९४५ के जाड़े में दिल्ली आये और १९५० के जाड़े में दिल्ली से उन्होंने अन्तिम विदाई ली । दिल्ली छोड़ने के पहले सरदार ने अपने मित्रों से, एक-एक करके सबसे, आखिरी भेट की । वे जानते थे कि यह अन्तिम विदा थी, मित्रों से और दिल्ली से भी । मणिवेन भी यह जानती थी । पर उसने अपना धीरज कभी नहीं खोया । “ईश्वर को जो स्वीकार है वही होगा, इसमें घबराने की क्या बात है”—यह कहकर वह सन्तोष कर लेती । विदा के दिन सरदार को पहुँचाने के लिए हवाई अड्डे पर सब मित्र-बांधव आये थे । सरदार अपने प्लेन के दरवाजे के पास एक कुर्सी पर बैठकर मुस्कराते हुए सबसे नमस्कार करते रहे और विदा लेते रहे । मैं उस समय का उनका वह चेहरा भूल नहीं सकता । शरीर अत्यन्त दुर्बल और नितान्त अगस्त हो गया था । चेहरा पीला पड़ गया था । पेट में असह्य पीड़ा थी, पर सरदार मन को कडा करके कुर्सी पर बैठे-बैठे मखौल करते जाते थे । और हँस-हँसकर सबसे अन्तिम विदा ले रहे थे । उनके पास अब कुछ दिन या घंटे बाकी थे । मणिवेन उनके पीछे खड़ी उनकी अंग-रक्षा के ध्यान में शान्त-चित्त निमग्न थी । उसको भविष्य की कोई चिन्ता नहीं थी । बम्बई पहुँचकर सरदार केवल तीन दिन जिन्दा रहे । ‘मंगल मंदिर’ के द्वार खुल गए ।

पर सरदार के प्राण निकले, तब भी मणिवेन ने अगना विवेक अक्षुण्ण रखा । दर्गको की एक बड़ी भीड़ त्रिडला-हाउस में घुस आई और हर कमरे में आदमी घुस गए । व्यवस्था-प्रिय मणिवेन को यह अव्यवस्था अग्वरी और सरदार के गूत शरीर को छोड़कर व्यवस्था-स्थापन में लग गई । जब मित्रों ने कहा, “सरदार

का दाह चौपाटी पर होना चाहिए," तो उसने कहा, "मेरी दादी सोनापुर गई। बम्बई का हर गरीब सोनापुर जाता है, मेरा बाप भी और कहां जायगा।" फिर भी मित्रो ने आग्रह किया, पर मणिबेन अचल रही। आखिर दाह चौपाटी में न होकर, सोनापुर में ही हुआ।

कथाओं में पिता-भक्त पुत्र मिलते हैं। राम तो थे ही और श्रवणकुमार भी उसी श्रेणी के थे। पति-परायणा सावित्री, सीता और अनेक देवियाँ इस देश में ही गईं। भाइयों में भरत का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। तुलसीदास ने कहा है, जो न होत जग जनम भरत को, सकल धरम धुर धरनि धरत को। किन्तु पिता पर अनन्य निष्ठा रखनेवाली कुमारी मणिबेन-जैसी कोई दूसरी नहीं सुनी।

कल्पना भी एक अजीब चीज़ है। सरदार यदि गांधीजी से न मिले होते और अपना साहबी ठाट न छोड़ते तो क्या? मणिबेन भी शायद इंग्लैंड में जाकर पढ़ती; और जैसे अन्य सम्पत्तिशाली लोगों की पुत्रियाँ अन्त में शादी करके अपना गृहस्थ-स्थापन करती हैं, वैसे ही वह भी करती। पर इससे देश को क्या मिलता। असलियत तो यह है कि.

अधिष्ठानं तथा कर्त्ता  
करणं च पृथग्विधम्।  
विविधाश्च पृथक्चेष्टा  
दैवं चैवात्र पचमम् ॥  
न्याय्य वा विपरीतं वा  
पचंते तस्य हेतवः ॥

अर्थात्— इस संसार का गाड़ा अकस्मात् चलता है, चाहे उसे दैव कहे या ईश्वर !

वैसे तो मेरे जन्म के करीब पैंतीस साल पहले से हीरा हमारे यहाँ नौकर था, पर जब मैं तीन साल का हुआ, तभी से मैं उसे पहचानने लगा। शायद इससे पहले मैं उसे पहचानने लगा होऊँ, पर उसकी आज मुझे कोई स्मृति नहीं है। इस हिसाब से मेरे लिए तो हीरा का जन्म उसी समय हुआ जबकि मैं तीन साल का था, हालाँकि हीरा मुझसे करीब बावन वर्ष बड़ा था।

तो हीरा को जब मैंने पहले-पहल जाना, उस समय मुझपर उसकी क्या छाप पड़ी, यह बताना मेरे लिए टेढ़ा काम है। पर प्रयत्न करता हूँ तो मुझे फिर एक मर्तवा उस मुद्गर और धुँधले अतीत में प्रवेश करना पड़ता है और प्रवेश करने पर मुझे लगता है कि मैं एक ऐसे स्थान में पहुँच गया हूँ, जहाँ चारों ओर केवल कुहरा-ही-कुहरा है। दस कदम के बाद तो—यदि हम काल को भी कदम से नापें तो—एक ऐसा प्रगाढ़, पर स्वच्छ और धवल अन्धकार है, जो लाख कोशिश करने पर भी हमारे स्थूल और सूक्ष्म चक्षुओं को विलकुल अंधे बनाये रखता है। पर यदि हम एक कदम आगे देखने का प्रयत्न करें तो सिवा धुँधलेपन के और कोई चीज सामने—अत्यन्त सामने—नहीं है, उसे भी—जैसी है वैसी देखने के लिए—आँखें फाड़-फाड़कर एकटक देखना हूँ तो

भी उसकी रूप-रेखा स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ऐसे उस सुदूर अतीत में दृष्टि बेकार बन जाती है।

पर जो चित्र आँखों पर उस समय खिंच गया है वह एक ऐसे फोटो की तरह है, जो किसी अनाड़ी चित्रकार ने खींचा हो और जिसे खींचने में न तो उस चित्रकार ने कैमरे की दृष्टि को ठीक एकाग्र किया हो और न रोशनी ही सही दी हो। हम लाख उस चित्र की रूप-रेखा दुरुस्त करने की कोशिश करें, पर हमें उसमें कामयाबी नहीं होती। उस अतीत काल की स्मृति की एक ऐसे सपने से भी तुलना की जा सकती है, जो जिस समय आता है, उस समय तो साफ-सुथरा—सामने मानो नाटक खेला जाता हो और उस नाटक में हम भी अभिनय करते हो—ऐसा लगता है, पर आँखें खुलते ही स्मृति फीकी पडने लगती है। और जब हम ससार के कोलाहल और दिन की धक्कामुक्की में फँस जाते हैं तब तो वह चित्र हमारी आँखों से बिलकुल गायब हो जाता है।

बाल्यकाल के कच्चे दिमाग पर खिंचा हीरा का वह धुँधला-सा चित्र। रूप-रेखा सारी अस्पष्ट और ऊपर समय की रफ्तार की घिसावट।

समय की रफ्तार तो मानो रात-दिन का अविच्छिन्न प्रपात। रही-सही रूप-रेखाओं को और भी धुँधला बना दिया। पर हीरा का चित्र तो फिर भी सामने खड़ा ही रहा। और जो चित्र पहले-पहल अस्पष्ट रूप से दिमाग के पटल पर पड़ा, वह फिर ज्यो-ज्यो पटल-चित्र आगे चला, स्पष्ट बनता गया। और बाद के चित्र ने पहले के चित्र की रूप-रेखाओं को स्पष्ट करने में सहायता पहुँचाई। इस तरह हीरा का चित्र सुस्पष्ट बन

गया ।

मैं बता चुका हूँ कि हीरा, जब उसे मैंने पहले-पहल जाना, तबतक बावन साल का हो चुका था और करीब पैंतीस साल हमारे यहाँ नौकरी करते भी उसे हो गए थे । मैंने बाद में सुना कि हीरा के माँ-बाप उसके बचपन में ही मर गए थे और वह बचपन से ही हमारे यहाँ आकर नौकरी करने लगा था । हीरा को अपने बाल्यकाल की कोई स्मृति नहीं थी, पर उसका खयाल था कि उसके माँ-बाप सवत् १९०० के भयंकर दुर्भिक्ष में विना अन्न के, भूख के मारे, मर गए थे ।

स० १९०० और १९०१ ये दोनों साल अत्यन्त भीषण दुर्भिक्ष के थे । सुना है, इन दोनों सालों में राजपूताना में लाखों मनुष्य, विना रोटी, कुत्ते की मौत मर गए । चूँकि ये दोनों दुर्भिक्ष एक के बाद एक सटे आये, इसलिए लोगो ने इनका नाम 'सैया' और 'भैया' रखा । सवत् १९०० के दुर्भिक्ष का नाम पडा 'सैया' और सवत् १९०१ के दुर्भिक्ष का नाम 'भैया' पड़ा । इनकी भीषणता का खयाल दिलाने के लिए लोग आज भी गीतिका 'चाकी चाले रे सैया, माणस बोले रे भैया' गाते हैं, अर्थात् सैया और भैया की भीषणता के बाद "चवकी चलती है या तो मनुष्य अब भी बोल रहे हैं ।" ऐसा कथन भी आश्चर्यजनक माना गया । हीरा का खयाल था कि इन्हीं अतगन्तों में उसके माँ-बाप मर गए । और सुना कि हीरा की नौकरी पहले-पहल हमारे यहाँ केवल एक रुपया माहवार थी । पर जब मैंने उसे जाना तब तो एक रुपया, खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा भी मिलने लगा था । गादी तो हीरा ने की ही नहीं । माँ-बाप तो थे ही नहीं । उमनिंग हमारे कुटुम्ब को छोड़कर हीरा के

लिए और कोई ममत्व का स्थान नहीं रह गया था। हमारे कुटुम्ब को ही उसने आश्रय का स्थान माना और अन्त तक ऐसा ही मानता रहा।

जब मैंने पहले-पहल हीरा को देखा, तब वह साठी के नजदीक पहुँच रहा था। बाल उसके किरड़काबरे हो चले थे। पर हीरा के मन में बुढ़ापे ने प्रवेग नहीं किया था। उसे अपने व्यक्तित्व का तो अभिमान था ही, उत्साह, उमग और आशा की भी उसमें कमी नहीं थी।

हमारे यहाँ उस जमाने में दो ऊँट थे। अकस्मात् प्राय एक ऊँट काले रंग का रहता था और एक सफेद रंग का। काले को हम लोग कालिया ऊँट और सफेद को धोलिया ऊँट कहते थे। हीरा को ऊँटों का प्यार, यह वर्णनातीत वस्तु है। उसकी थाह तो, हीरा का ऊँटों की सार-सँभाल करते जिन्होंने देखा है, वे ही जानते हैं। पर मैंने यह देखा कि उन दो ऊँटों में हीरा का ममत्व धोलिये पर ज्यादा रहा करता था। इसका कारण भी था। धोलिया ऊँट और यह भी अकस्मात् तेजस्वी और आकरे स्वभाव का होता था और हीरा को इसका खूब गर्व था, क्योंकि ऐसे ऊँट हर टोले में नहीं जन्मते थे। हीरा का ऊँट और ऊँटों से कुछ भिन्न है, उसकी अपनी अलग गान है, यह प्रकट करने में हीरा कभी नहीं चूकता था। इसलिए वह जब ऊँट पर सवार होता था तो वेतकल्लुफी से नहीं। शायद उसने माना हो कि ऐसा करना यह धोलिये-जैसे प्रतिष्ठित ऊँट के लिए अपमान होगा। इसलिए ऊँट पर चढ़ने से पहले गाढ़े का पाजामा और नैनसुख की (और अगर जाड़े का मौसम हो तो रुईदार) कमरी, पाँवों में चोवदार जरी की मोचड़ी, एक पाँव में चाँदी का छैल-

कड़ा और ताँती, कमर मे तलवार और बगल मे सीगसाज— इन सब चीजो से सिंगरकर ही हीरा ऊँट पर चढ़ता था । और सीगसाज भी पूरे दुरुस्त । कूपी मे वारूद, बटुए में पटाखा और दूसरे बटुए मे शीशे की दस-बीस गोलियाँ । बटूक भरी, सिर्फ दागने भर की देर । दाढी बीच मे फाँटकर, आधी एक कान पर से और आधी दूसरे कान पर से और कान के इर्द-गिर्द अढाई आँटे (यह माप भी हीरा ने बताया था) देकर बाँधी हुई । कानो मे सोने की वीरबली और गले में हनुमानजी की मूर्ति की सोने की तख्ती । दाढी पर जाडिया । सिर पर साफ़ा और साफ़े पर चद्दर का दुमाला मारे हुए ।

इस साजवाज के साथ हीरा की ग्वल एक योद्धा की-सी लगनी चाहिए थी । पर अफसोस कि हीरा का कद ठिगना था, शरीर हलका । इसलिए लाख कोशिश करने पर भी हीरा जरा-सा 'माणस' लगता था । और ऊपर से यह दूसरा अफसोस कि हीरा राजपूत न था, जाट था । हीरा अपनी जात को बाहर अनजाने लोगो के सामने छिपाता भी था, पर लोग ताड जाते थे । इसका हीरा को दुःख था । फिर भी अपनी शान बताने मे हीरा को कभी आलस्य नहीं होता था । और इस वेग-भूपा से सजने का भी गायद यही कारण था कि हीरा अपने गर्व को छिपाना नहीं चाहता था । पर एक बात का हीरा का गर्व विलकुल मही था—घोन्किया-जैसा ऊँट चोखले-भर मे ढिंढोरा फेरने से भी मिलना असम्भव था । इसलिए जब हीरा ऊँट पर चढ़ता था, तब वह सातवे आसमान पर पहुँच जाता था ।

वैसे तो घोन्किया ऊँट हजारी में भी नहीं छिप सकता था, पर ऊँट की रयानि छिपी न रह जाय, इसके लिए हीरा अहर्निश

सावधान रहता था। इसलिए जब ऊँट पर चढ़ने का समय आता था तब तो हीरा के लिए सवारी एक असाधारण कृत्य बन जाता था। ऊँट की गोडी बाँधकर जब वह कूँची कसने की तैयारी करता, तो पहले ऊँट का मिजाज गरम करने के लिए वह ऊँट पर दो बेत जोर से फटकार ही देता था। बस, इतना क्रिया कि ऊँट ने शुरू किया अरडाना। यह तो मानो लोगो को इकट्ठा करने का आह्वान था। सटक-सटक काम छोड़-छोड़कर लोग हीरा के इर्द-गिर्द आ जमते थे, क्योंकि हीरा का ऊँट पर चढ़ना यह एक देखने लायक दृश्य होता था। ऊँट भी तो लाजवाब था। ऊँट की पीठ पर पान कटे हुए। उसके पहनने को नया मोहरा और बेलचा। उसके गले में कौड़ियो की पट्टी। नाको मे चाँदी की बाली और गिरबाण। कूँची के थड़े बनाती। पागड़े पीतल के, ऊपर लाल मजीठ की खोली चढी हुई। पूँछ बँधी हुई। कूँची पर सफेद स्वच्छ गद्दी। इस शान का ऊँट ! और वह शान हीरे की ! और ऊपर से यह सजावट !

जब कूँची माडी जा चुकती थी तब हीरा ऊँट को ठोकर मारकर खडा करता था। इसपर तो ऊँट और भी उग्र हो उठता था। अरडाना तो जोरो के साथ जारी था ही। उधर मीगणे और तरड़ा फेकना भी बेतरह शुरू हो जाता था। हो-हल्ला सुनकर गाँव के और भी लडके आ जमते थे। यह सब क्रिया हो चुकने पर हीरा ऊँट को गाँव के बाहर ले जाकर सवार होता था। एक आदमी ऊँट की गोडी दबाकर हीरा को सवारी करने में सहायता देता था। हीरा सवार हुआ कि ऊँट फलाँग मारकर जोर से उछलता था।

उस समय हीरा का अभिनय तो कमाल का होता था। एक

तरफ तो ऊँट को मानो वह किसी जिद्दी, अड़ियल, उग्र लडके को शांत करता हो, इस तरह प्यार से सम्बोधन करता था, दूसरी ओर नकेल खीचकर ऊँट को रोकता था, तो तीसरी ओर ऊँट को छिपी ठोकर मारकर उसे दौड़ाने के लिए उकसाता था। इन तीन परस्पर-विरोधी क्रियाओं का ऊँट पर तो एक ही असर पड़ता था। आखिर ऊँट तो पशु ठहरा, और सो भी गँवार पशु। तो फिर हीरा के दुलार के सम्बोधन को ग्रहण करना उसके मस्तिष्क के बित्ते के बाहर की बात थी। हीरा इसे जानता भी था, पर हीरा की भाषा तो दर्गको के लिए थी, और ठोकर ऊँट के लिए। मोहरी खीचने का तात्पर्य यह था कि लोग समझे कि ऊँट हीरा के लाख शांत करने पर उड़ जाना चाहता है और हीरा-जैसा उस्ताद चाबुक-सवार ही इसकी पीठ पर टिक सकता है।

पर इसके माने यह नहीं कि हीरा कोई साधारण रावार था, या उसका ऊँट कोई साधारण ऊँट था, बयोक़ि हीरा ने कई बार सुबह से शाम तक साठ कोस की मजिल आसानी से तय की थी।

और जितनी हीरा की चाबुक-सवारी, उतना ही उसका भूगोल का ज्ञान। हीरा दो-चार मर्तवा तो पिलानी से अहमदाबाद तक ऊँट पर ही जा चुका था। पर दो बेर जाने-मात्र से तो किसीको रास्ते का पूरा ज्ञान नहीं हो जाता। लेकिन हीरा को यह खूबी थी कि पिलानी से अहमदाबाद पहुँचने में कौन-कौन-से गाँव गे गुजरना पड़ना है, यह सब भूगोल, सविस्तार पचास साल के बाद भी, उसकी जीभ के अग्रभाग पर जमा पड़ा था। गौ-मवा राँ कोस की परिधि में तो ऐसा कोई ग्रहण या गाँव नहीं, जिनके पहुँचने के रास्ते का ज्ञान हीरा का न हो। "ग्रहा से दो कोस पर फला गाँव, उसे धाएँ छोड़ देना। फिर फला जाहूँ आ जायगा।

उसके बाद एक कुआँ, फिर एक ऊँची भर ” यह हीरा का रास्ता बताने का तरीका था । हीरा जहाँ नहीं गया, वहाँ उसने सुनकर उस स्थान का भूगोल जिह्वाग्र कर लिया था । इसी तरह हीरा बहुश्रुत भी बन गया था ।

पर हीरा के दिल में एक तमन्ना थी । उस जमाने में चोर-धाड़ियों का खूब उपद्रव था । हीरा चाहता था कि कभी उसकी धाड़ियों से मुठभेड़ हो । हीरा का ऊँट तो हवा से बातें करनेवाला था ही । उसकी बन्दूक भी हाजिर-जवाब । घोड़ा दबाने भर की देर थी । लोग कहते थे कि हीरा का शरीर चाहे छोटा हो, पर उसकी बन्दूक कभी धोखा नहीं देगी । हीरा का दावा यह था कि वह एक चुस्त निशानेबाज है । पर उसने निशाने मारने के लिए एक बड़े घड़े से, जो दो-तीन फुट लम्बा-चौड़ा हो, छोटे निशान का कभी उपयोग नहीं किया, और हीरा निशाना मारने के लिए भी तो दस-पंद्रह कदम पर ही बैठता था । जब गोली की चोट से घड़ा चूर-चूर हो जाता था तब तो हीरा मुलकता हुआ उठकर सबकी तरफ गर्व से ताकता था, मानो कहता हो—“बताओ है कोई ऐसा निशानेबाज ।”

और एक दिन कुछ बन्दूकचियों से उसने बाजी मार भी ली । हीरा ने अपने साथियों को ललकार दी कि निकाले कोई लोहे के कड़ाहे में से गोली । यह करतब न तो निशाने की अचूकता का द्योतक था, न हीरा की ताकत का प्रमाण । पर लोगो ने इस चुनौती को झेला । दगल में हीरा की गोली तो दनदनाती हुई लोहे के कड़ाहे को छेद गई । औरो की गोलियाँ चिपटी होकर कड़ाहे से टकराकर गिर गई । प्रतिपक्षियों के चेहरे उतर गए । हीरा की छाती फूलकर सवा गज चौड़ी हो गई । कहनेवालो ने

हीरा के विरुद्ध विश्लेषण करने की कोशिश की, पर इतना तो साबित हो गया कि हीरा की बन्दूक पूरी फ़रमावरदार है और मौके पर काम देगी। हीरा में आत्मविश्वास की कमी तो थी नहीं। ऊँट और बन्दूक, इन दो के जोर पर हीरा यह मिनते मानता था कि उसे डाकू मिले, और अन्त में डाकू मिले भी, पर हीरा की हार हुई। लेकिन जिन दो चीजों पर हीरा का विश्वास था, उन्होंने दगा नहीं दी। गीता में कहा है :

अधिष्ठानं तथा कर्त्ता करणं च पृथग्विधम् ।

विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैव चैवात्र पचमम् ॥

हर काम में क्षेत्र, कर्त्ता, भिन्न-भिन्न साधन, भिन्न-भिन्न क्रियाएँ और पाँचवाँ दैव, ये पाँच हेतु होते हैं। मालूम होता है कि इन साधनों में से कइयो ने तो हीरा के खिलाफ पड़्यन्त्र ही कर लिया था कि उसका मान-मर्दन हो।

वात थी भिवानी के रास्ते की। कलकत्ते से एक सज्जन आ रहे थे, जो बीमार थे। उन दिनों पिलानी का रेलवे-स्टेशन था भिवानी। ये सज्जन भिवानी उतरनेवाले थे और वहाँ से उन्हें पिलानी आना था। हीरा को भेजा गया उन्हें भिवानी से पिलानी ले आने के लिए। भिवानी ठहरा अंग्रेजी इलाक़े में। इसलिए बिना पास कोई हथियार नहीं ले जा सकता था। हीरा ने लाख कोशिश की कि बन्दूक का पास मँगा लिया जाय, पर सब लोगों ने कह दिया—“क्या डर है, ऐसे ही चले जाओ।” बन्दूक हीरा की विश्वस्त सगिनी थी। वह उसे छोड़कर अकेला नहीं जाना चाहता था, पर लाचारी !

हीरा बिना बन्दूक के गया मही, पर उसका मन उन्मना था। हीरा ने पीछे बतिया कि जब वह ग़वार होकर भिवानी की ओर

चला, तब रास्ते में उसे बिना तिलक-तोदवाला ब्राह्मण मिला। खुले केशवाली स्त्री, सो भी विधवा, मिली। घड़ेवाले के पास घड़ा रीता था। सोनचिड़ी बाएँ आ बैठी। गदहा दाहिने बोला। हरिन दाहिने से बाईं ओर निकल गया और एक सुनार भी तो मिला। पर कर्तव्यवश हीरा ने इन सबकी अवहेलना की।

हीरा भिवानी पहुँचा और उन सज्जन को सुवह गजरदम ऊँट पर पिछले आसन पर बैठाकर पिलानी की ओर चला। हीरा का कहना था कि जब भिवानी से चला तब भी सारे अपशकुन हुए और बायाँ अंग भी फडका। सुवह पौ फटते-फटते हीरा इन्दो-खले जोहड़ के पास पहुँचा और उसने देखा कि सात ऊँट, उनपर चौदह जवान, सबके पास बड़े-बड़े लट्ठ, हीरा के ऊँट को चारों ओर से घेर रहे हैं। हीरा ने देख लिया कि दाल में काला है। पर तो भी उसने ललकारकर डाकुओं से कहा, “माई के लालो, मगा तुम्हारी खराब मालूम होती है। क्या बात है?” उन्होंने कहा, “हमारे ऊँट खो गए हैं। उनकी खोजो के पीछे हम आये हैं।” हीरा को विश्वास नहीं हुआ। पिछले आसन पर बैठे सज्जन से हीरा ने कहा, “भरोसा एक ही है, वह है मेरा ऊँट। एड मारने-भर की देर है, फिर तो ऊँट उड़ेगा। आप सावधान होकर मेरी पीठ से चिपक जाइये और मैं ऊँट को टिचकारी देता हूँ। इस ऊँट को कोई नहीं पहुँच सकता।” पर पीछेवाले सज्जन ने कहा, “हीराजी, मैं इतना बीमार हूँ कि ऊँट ने जरा भी तेजी दिखाई कि मैं धम से नीचे गिरूँगा। इसलिए मेरे प्राण जायँ, इससे तो बेहतर है कि हम लुट जायँ।”

हीरा ने देख लिया कि बस होनहार बलवान है। उसने अपना लट्ठ सँभाला। ऊँट पर से कूदा और ललकारा डाकुओं

को ही। हीरा का वित्ता ही क्या था ! छोटा-सा शरीर। उसने लाठी का वार किया, एक-दो लाठी चलाई भी, पर दो-एक लट्ठ हीरा के सिर पर लगे कि हीरा जमीदोज हो गया। डाकू ऊँट ले गए।

हीरा के सदमे का क्या ठिकाना ! बन्दूक पीछे रह गई। ऊँट धाडी ले गए।

जबतक हीरा जिन्दा रहा, तबतक इस रासे को वीर और करुण मे वर्णन करता ही रहा। इस कथा को कहते-कहते हीरा रो भी देता था। पर वह कभी थकता न था। क्या तमन्ना थी और कैसा हुआ अन्त ! हीरा का दिल टूक-टूक हो गया। हीरा फिर भी ऊँटों पर चढा, बन्दूक भी लटकाई, पर उसका दिल तो टूट चुका था। लोग भी तो ताना मारने से कहा वाज आते थे, पर हीरा को रह-रहकर पछतावा होता था, "मैने बन्दूक साथ क्यों न ली ? मैने ऊँट को टिचकारी क्यों न दी ?"

इसके बाद हीरा कुछ ही साल और ऊँट पर चढा। वैसे भी साठी पार कर चुका था, और ऊपर से प्रतिष्ठा का भग। इस घटना के बाद भी ऊँटों पर कई वार भिवानी गया-आया, पर उदासी के साथ। जब-जब वह इन्दोखले जोहडे मे से निकलता था तो अपना बखान करते-करते वह रो देता था। वह लाख नोगों को समजाये, पर हीरा ने शिकरन खाई, इस कथन को कान भेट नकता था। हीरा कवि न था, पर इन्दोखले जोहडे की तरफ मुँह करते ही उनका दिल कह देता था।

गत नाव उधर लेजा माँजी, उस घाट को मैं पहचानता हूँ ;

फूँकी थी वहीं पर मैने चिता ग्रपनी भरहूग तमन्ना फी।

हीरा ने समझ लिया कि अब ऊँटों की शवारी में कोई लुक

नहीं, और हीरा ऐसा आदमी भी नहीं जो अपने क्षेत्र में स्वल्प श्रेष्ठ होकर रहे। वह तो था गर्वीला। सर्वश्रेष्ठ होकर ही रहना चाहता था। “अबतक तो जिस जमी पै रहे आसमाँ रहे।” इसलिए हीरा ने अब अपना क्षेत्र बदलना निश्चय किया। धीरे-धीरे उसने ऊँटों का ममत्व और जिम्मा छोड़ दिया। एक रोज अचानक देखा गया कि हीरा ने दाढ़ी और पट्टे दोनों सफा करवा डाले। धीरे-धीरे उसने योद्धा का स्वाँग छोड़ना शुरू कर दिया।

हीरा था बड़ा मितव्ययी। साठी पार करने तक तो उसके पास पाँच सौ की पूँजी जुट गई थी। एक रुपया माहवार की आमद पर भी वह पूँजीपति बन गया था। पर हीरा दिल का भी तो गाह ही था। इसलिए अब उसने अपना खजाना खाली करने का प्रण कर लिया। कान की बीखली और पाँवों के चाँदी के कड़ों से उसने दान का श्रीगणेश किया। फिर तो धीरे-धीरे अपनी और पूँजी भी लुटाने लगा और अन्न में उसने अपना सारा कोष खाली कर दिया। पर इस बीच में तो हीरा की नौकरी एक रुपया माहवार से दो रुपया माहवार हो गई और इनाम भी समय-समय पर मिलता था। इसलिए हीरा फिर पूँजीपति बनने लगा। पर हीरा की तमन्ना अब केवल एक ही थी। वह थी कर्ण-सा दानी बनने की। हीरा की व्यवस्था और मितव्ययिता इस आला दरजे की थी कि उसके पास पचास साल पहले के अपने कपड़े, कम्बल, चद्दर, अँगरखी, इनाम में पाया हुआ शाल, हाथों की सोने की चूड़—ये सब चीजे ज्यो-की-त्यो मौजूद थी। पचास साल पहले के दो-एक वेत भी ज्यो-के-त्यो सुरक्षित थे।

हीरा के रहने की एक कोठरी थी, जिसे हम हीरा की कोठरी कहते थे। उस कोठरी की लम्बाई छ फुट, चौड़ाई तीन फुट, और

ऊँचाई छ फुट थी। जगह का अभाव न था, पर हीरा ने इसी कोठरी को अपना स्थायी स्थान बनाया और यह कोठरी क्या थी, गागर में सागर था। व्यवस्था का एक जीता-जागता चित्र। इस कोठरी में खूंटियों पर बाकायदा हीरा के हथियार लटकते रहते थे। एक खटिया थी। उसके नीचे हीरा के तमाम कपड़े, तमाम पोशाके थी। न मालूम और कितना सामान था। हीरा ने अब धीरे-धीरे अपनी सारी चीजों का भी दान करना शुरू कर दिया था, और एक-एक करके हीरा ने अपनी तमाम बुगची में से सब कपड़ों को वितरित कर दिया। सोने की तख्ती भी दान में दे डाली। अब हीरा के पास पहनने-भर के कपड़े रह गए।

इतना हुआ, पर हीरा की सजावट में कोई फर्क नहीं आया। पहले योद्धा का स्वाँग सजता था और अब साधारण नागरिक का। पर वही पुरानी स्वच्छता, वही दिन में दो बार नहाना, वही दो बार कपड़े बदलना। कपड़े धोने की कला तो हीरा को हरता-मलकवत् थी। इसलिए सफाई में हीरा से कोई बाजी मार ही नहीं सकता था। धुलाई में उसकी गोहरत यहाँ तक फैल गई थी कि जब कोई वेणकीमती शाल धुलवाना होता तो वह हीरा के सुपुर्द किया जाता।

तो हीरा ने फिर दूसरी बार कोप खाली करना शुरू किया, और अन्त में सबकुछ दे ही तो डाला।

बुढ़ापा तो आता ही जाता था। अब तो हीरा ने सत्तर पार कर लिया था। आँखों की ज्योति कम हो चली थी। हीरा ने अब माला हाथ में ले ली। पर शाम को जब टहलने निकलता था तब कुछ तो सजावट रहती ही थी, हाथ में माला और घेत भी रहते थे। कन्धे पर एक स्वच्छ गमछा। दूसरे कन्धे पर गर्मियों में धुली हुई

कमरी पडी रहती थी और यह बताती थी कि हीरा के पास कमरी है, पर गर्मी की वजह से वह उसे पहनता नहीं है।

हीरा की पूँजी फिर बढ़ने लगी और दान भी बढ़ने लगा। दिन बीतते जा रहे थे। अब हीरा अस्सी पार कर गया। गक्ति धीरे-धीरे घटती जा रही थी।

उन दिनों की जब मैं याद करता हूँ तो हीरा का एक ही चित्र मेरी आँखों के सामने आता है। स्वच्छ कपड़े पहने, हाथ में माला लिये हीरा हवेली के गोखे पर बैठा है और 'राम-राम' कर रहा है। हीरा का अब किसी चीज में ममत्व नहीं रहा। पर इन्दोखले जोहड़े की धाड़ को हीरा भूल नहीं सका, और न भूला वह धोलिये ऊँट को। यदि कोई इसकी चर्चा कर देता था तो हीरा एक बेर माला को ताक पर रखकर उस पुराने रासे को रस के साथ वर्णन करते-करते उसमें तल्लीन हो जाता था। पर इस चर्चा को छोड़ उसे और किसी चीज में ममत्व नहीं रहा, और माला तो उसकी दिन-रात चलती ही रहती थी। अब हीरा ने देख लिया कि अन्त आ गया। ऊँटों की कई यात्राएँ हीरा ने की थी। अब उसकी जीवन-यात्रा का भी अन्त हो चला था, ऐसा जानने में हीरा को कोई कठिनाई नहीं हुई। चौरासी साल तक हीरा ने अपने भौतिक शरीर में वास किया। एक दिन हीरा ने अपना जीवित श्राद्ध करके फिर तीसरी बार अपना कोष खाली कर दिया और उसके कुछ ही दिन बाद चल बसा।

क्या शान की जिन्दगी हीरा ने वसर की ! हीरा का न कोई रासा है, न कोई महाभारत है, पर हीरा का शौर्य किस वीर से कम रहा ! अभिमन्यु की शोहरत इसलिए फैली कि वह अकेला व्यूह में घुस गया और वीरोचित मृत्यु का उसने आलिंगन किया।

पर हीरा भी तो अकेला चौदह से लडा । यदि जीता नही तो उसमे हीरा का क्या दोष !

और दान भी तो कर्ण से क्यो कम ! कर्ण का महाभारत मे बड़ा स्थान है । और हीरा का कोई ग्रन्थ नही बना, इसी बुनियाद मे हीरा परख मे कम नही उतर सका । तीन बार हीरा ने अपना खजाना खाली कर दिया । यह उदारता कर्ण से किस बात मे कम उतरती थी ? और हीरा की वफादारी तो लाजवाब । बड़े-बड़े श्लोको से भरे ग्रन्थो से चौधिया जाने से यदि हम इन्कार करे तो मैं कहूँगा कि हीरा का गौर्य, उसकी दान-गूरता और उसकी वफादारी बेमिसाल चीजे है ।

हीरा मर गया । उसकी छोटी-सी स्मृत हरपाणे जोहडे मे एक कुई और एक कोठरी के रूप में आज भी लडी है । बड़े-बड़े स्मारको के सामने यह तुच्छ यादगार नाचीज है, पर इसके पीछे जो गान है, उसकी भी तो कोई वुकत है ' यदि इम यादगार मे जिदा जवान होती तो वह कह उठनी .

यहाँ सोता है एक तुच्छ प्राणी,  
जिसका शरीर था रूपे का,  
जिसका सिर था सोने का,  
और जिसका दिल था हीरे का ।

नाहरसिंह एक छैल-छबीला राजपूत था। जवानी की उमर में जब वह बन-ठनकर दुपहरिया की चहल-कदमी करने गाँव की गलियों से गुजरता, तो वह समझता था कि उसके जैसा और कोई बाँका जवान दुनिया छानने पर भी मिलना दुर्लभ है। हालाँकि नाहरसिंह खूबसूरती से कोसो दूर था, बल्कि यह कहना चाहिए कि कुछ बदसूरती की तरफ ही लुढ़क थी, पर उसे इतना गर्व था कि वह अपने-आपको बेनजीर मानता था।

खूबसूरती की उसमें जो कमी थी, उसे वह सजावट के ढक्कन से ढाँककर पूरा करने की कोशिश करता रहता था। खासी सफेद दो छिरगेदार धोती, कलीदार कोट, सिर पर साँगा-नेरी साफा, पाँव में बूँटेदार चोबकारी का जूता, हाथ में एक अच्छी-सी बरछी, कंधे पर साँग। इस सजावट के साथ नाहरसिंह दुपहरी में चमचमाते हुए नये जूतों में गलियों में अपनी शान और सजावट का प्रदर्शन करते हुए जब टहलने निकलता तो मानो कहता था—  
कोऽन्योस्ति सदृशो मया ?

उस जमाने के निकम्मे आवारों का यही क्रम था कि सुबह को खाकर सो जाना और दुपहर में उठकर चहलकदमी के लिए निकल पडना। यह कहना चाहिए कि ऐसे ठलुओं की सुबह दुपहरी

के बाद ही गुरु होती थी। नाहरसिंह भी उन्ही आवारो मे से एक था।

नाहरसिंह दाढी रखता था। सवेरे खा-पीकर दाढी पर जाडिया और मूँछ-पाटी कसकर खटिया पर सो रहता और दिन-ढले जाडिया खोलता था। जब जाडिया खोलता तो दाढी के बाल नियमबद्ध चारों ओर बिखरकर इस तरह खिलाव खाते थे, मानो देवदार की पैनी और दृढ पत्तियाँ नोको द्वारा चारो ओर मुँह फैलाकर दिग्दर्शन करती हो।

वह खिली हुई दाढी, वह सजावट और वह कुरूपता, इस सामग्री को लेकर जब नाहरसिंह जमीन पर कदम रखता था तो गायद कहता था—“धरती परे सरक जा, छैला पाँव धरेगा।”

नाहरसिंह से लोग डरते भी थे, क्योंकि वह शस्त्र-सुसज्जित, गैरजिम्मेदार और हर समय झगडने पर उतारू रहता था।

नाहरसिंह अविवाहित था और जैसा कि ऐसे आवारा लोगो का क्रम होता है, उसकी एक विधवा से लाग-फाँस हो गई। गाव के लोग इस बात से नावाकफ नही थे। विधवा के कुनवे के लोगो को भी इस लगावट का ज्ञान था, पर किसकी हिम्मत कि नाहरसिंह से कोई झगडा मोल ले।

कुदरत का नियम है कि क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया भी होती है। इस नियम का कोई अपवाद नहीं होता। जहाँ एक गुडा होता है, वहाँ उसकी प्रतिद्वंद्विता मे और गुडे भी पैदा हो जाते हैं। इस न्याय के परिणामस्वरूप नाहरसिंह की प्रतिद्वंद्विता मे एक और बाँका जवान निकल आया, और वह था एक मुसलमान। उसका नाम था मोहम्मद र्वाँ। वह भी उर्गी विधवा के घर पहुँ-

चता था। नाहरसिंह को और उस विधवा के रिश्तेदारों को उस मियाँ का आना-जाना काफी अखरता था। रिश्तेदारों की हिम्मत नहीं पड़ी कि कुछ बोले, इसलिए आँख-मिचौवल किये बैठे रहे, पर नाहरसिंह को मोहम्मद खाँ का यह खाका सहन नहीं हुआ। इसलिए उसने उसे चुनौती दी कि वह उसके सुरक्षित क्षेत्र से दूर रहे, वरना उसे भुगतना पड़ेगा। पर मियाँ को भी अपने बाजू और सीने पर भरोसा था। वह हटा नहीं। उसने नाहरसिंह को दुत्कार बताई और अपना क्रम जारी रखा। नाहरसिंह आगबबूला हो उठा। अन्त में नाहरसिंह और उसके एक रिश्तेदार ने मिलकर मोहम्मद खाँ की नाक काटने की योजना रची।

कई दिनों तक वे लोग इसी टोह में रहे कि मौका मिले तो नाक पर चाकू की आजमाइश हो, और अन्त में मौका मिल ही गया। एक रात को जब मोहम्मद खाँ उस विधवा के घर से निकलकर अपने घर जा रहा था, इन लोगों ने एक सुनसान जगह पर उसे घेर लिया और धर पटका जमीन पर। एक ने उसके पाँव पकड़े और नाहरसिंह उसकी छाती पर बैठकर लगा नाक काटने का प्रयत्न करने। पर चाकू भी उनको मिला तो ऐसा कि विलकुल भूठा। लाख प्रयत्न करने पर भी नाक पर घाव नहीं मार सका। चिल्लाहट हुई, पर रात का समय और सुनसान जगह, इसलिए किसीने सुनी तो भी अनसुनी कर दी। इसी खीचातानी में मियाँ साहब का गला मर्यादा से कुछ ज्यादा दब गया और किस्सा समाप्त हुआ किसी और ही दिशा में। चाहा था नाक नदारद करना, सो तो दारद रही, और बदले में जान नदारद !

नाहरसिंह और उसका साथी दोनों धारणा के विपरीत परि-

गाम देखकर सन्न हो गए। कुछ देर दोनों झगडते रहे कि किसकी गलती हुई, अन्त में नाहरसिंह ने सफाई दी कि चाकू भूठा था, इसलिए गला दवाना जरूरी समझा गया। जो परिणाम हुआ, वह वेवसी के कारण। दोनों ने अपने-आपको लाचार माना।

जब नाहरसिंह और उसके साथी ने देखा कि नाक तो रह गई और शिकार खत्म हो गया तो सवाल यह पैदा हुआ कि अब करना क्या? कुछ अपने जानी दोस्तों से सलाह भी की। अन्त में कुछ योजना सोची गई और मुर्दे को उठाकर वे उसके घर पर चुपचाप खटिया पर सुला आए और सुबह क्या जाल गूँथना, उसका विचार करने लगे।

सुबह हुई। गाँव में शोर मचा कि फर्ला मियाँ अचानक मर गए। आसपास के पडौसी, किलेदार और थानेदार उसके घर पहुँचे। किसीको पता नहीं कि हुआ क्या। एक हट्टा-कट्टा जवान जो कल तक मूँछों पर मूँछ-पट्टी चढाये फिरता था, आज एका-एक अल्लाताला के घर कैसे पहुँच गया!

गाँव के ठाकुर का प्रतिनिधि किलेदार कहलाता था। उसका मुकाम भी पिलानी के गढ में था। किलेदार राजपूत था और उसे नाहरसिंह की करतूत का पूरा पता था। पर वह अपने जात-भाई को बचाना चाहता था। इसलिए उसने कुछ तिकडमवाजी रची। किलेदार ने थानेदारको अपना अनुभव प्रमाण में बताकर यह सनझाया कि मियाँ को पाटडा गोह ने काट खाया और उम गोह के विष से वह मर गया है।

उम जमाने के लोगों का ज्ञान इतना अधूरा और बेसिर-पैर का था कि सभी लोग यह मानते थे कि गोह एक विषैला जीव होता है, यद्यपि अब तो लोगों को पता चल गया है कि गोह

महज एक छिपकली की जाति है और विषैली नहीं है, लेकिन किलेदार की अक्ल और उसका अनुभव, यह भी तो एक वजनी चीज थी, जिससे गोह के पक्ष में पल्ला और भी झुक गया। सबने हाँ-मे-हाँ मिलाई। कुछ उत्साही खुगामदियों ने गोह के बिल का भी पता बता दिया। खोजी ने खोज निकालकर, गोह किधर से आई और किधर गई, उसका भी सारा किस्सा बताकर अपने इल्म की नुमाइश कर दी। गाँव के मूर्खों ने भी मतीरा-सा सिर हिलाकर कह दिया—“हाँ साहब, गोह ने काटा है।” गोह के विष से मृत्यु साबित हुई और मियाँ को कब्र के सुपुर्द किया। इस तरह खून का किस्सा एक बार तो समाप्त हुआ।

इसमें नाहरसिंह की कमबस्ती यह हुई कि मृतक मुसलमान था। हिन्दू होता तो जलाकर प्राण के साथ शरीर भी खत्म हो गया होता, पर मुसलमान होने की वजह से प्राण तो गये, पर शरीर बाकी रह गया था। वह शरीर मृतक भी क्यों न हो, खून का साक्षी तो था ही। इसी साक्षी ने नाहरसिंह की बरबादी की।

मैं उन दिनों पचीस वर्ष का था। मुझे पता लग गया कि यह मियाँ का खून हुआ है, जो जान-बूझकर दबा दिया गया है। नाहरसिंह के चरित्र और उसके आवारापन से भी मुझे नफरत थी। गाँव में उसकी और भी कई शिकायतें थीं। इसलिए एक खूनी इस तरह बेदाग बच निकले, यह मुझे अखरा। खून के वाद भी नाहरसिंह की चहलकदमी उसी क्रम से जारी थी। “वही रफ्तार बेढगी जो पहले थी सो अब भी थी”—यह नाहरसिंह का हाल था।

थानेदार निराबुद्धू था और किलेदार शिवनाथसिंह ने उसे और भी उल्लू बना दिया। पर उसके नीचे मुगी बनवारीलाल

था। वह था बड़ा चलतापुर्जा। मुशी बनवारीलाल की जब-जब तरक्की की बात चली और जयपुर-सरकार ने उसे बड़े ओहदे पर भेजने का प्रस्ताव किया, तब वह यह कहकर इन्कार कर गया कि —“मुझे इसी ओहदे से सतोष है। मुशीगीरी से विश्राम पाने पर मैं काशी-वास करूँगा और भजन-स्मरण में ही जीवन व्यतीत करूँगा।” मुशी बनवारीलाल का दावा था कि वह एक सिद्धान्त का आदमी है। वह मानता था कि वह रिश्वत जरूर लेता है, पर जुर्म करनेवाले से नहीं। रिश्वत लेता था भुगतने-वाले से, और रिश्वत लेकर न्याय करता था, अर्थात् सजा पाने-योग्य को सजा और रक्षा-योग्य को रक्षा दिलाता था।

मुझेसे कहा करता था, “वाबू साहब, मैंने रिश्वत जरूर ली, पर भले का पक्ष करके। रिश्वत भी मैं उसूलन लेता हूँ।”

लोग चाहे इस उसूल पर हँसे, पर बनवारीलाल को पूर्ण श्रद्धा थी कि इस काम में ईश्वर भी उससे सहमत है।

इस तरह रिश्वत लेकर उसने बीस-तीस हजार इकट्ठे कर लिये थे। पर उसने अपनी बात निवाही। मरने से पहले उसने अपनी सारी सम्पत्ति दान-पुण्य में खर्च करने के लिए ट्रस्ट को सौंप दी और मुझे ही एकमात्र ट्रस्टी बनाकर चल बसा। ट्रस्ट का मजमून भी उसने अपने-आपही लिखा था। उस मजमून का आरम्भ इस तरह था—“जिन्दगी का भरोसा नहीं और जमाना नाजुक है, इसलिए लिख दिया है मैंने यह वसीयत...।” यह ‘नाजुक’ जमाने की दुहाई देने की परिपाटी सदा से रही है, जो आज भी प्रचलित है। जमाना कब नाजुक नहीं था, यह मैंने अब तक किसी से नहीं सुना। अब भी बनवारीलाल के ट्रस्ट से गिलानी में छात्र-वृत्ति दी जाती है। सैर, यह तो विषयांतर हुआ।

पर बनवारीलाल, जैसा कि मैंने कहा है, था बड़ा चलता-पुर्जा। इसलिए थानेदार की अवहेलना करके मैंने उसे बुलाया और बताया कि मियाँ का खून हुआ है और यह सारी कार्रवाई बनावटी है। सजायाफ़्ता को सज़ा न मिले तो फिर गुडेपन का कोई अन्त नहीं। मुंशी ने कहा—“बात सच है। मैं रजामद हूँ। पर बाकायदा ‘रपट’ जबतक नहीं आती, तबतक मैं लाचार हूँ।” ‘बाकायदा’ यह भी एक सरकारी वेद समझना चाहिए। और ‘रपट’ का महत्त्व भी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए ‘रपट’ का इन्तजाम करना पड़ा। ‘रपट’ होते ही मुशीजी की चक्की चलने लगी। कन्न खोदकर मियाँ की लाग को बाहर निकाला गया, डाक्टर बुलाया गया और मुर्दे का पोस्ट-मॉर्टम हुआ। पोस्ट-मॉर्टम में साबित हुआ कि मियाँ गला घोटकर मारा गया था। बस, खून साबित होते ही गिरफ़्तारियाँ शुरू हुईं।

उस जमाने में कैदी को हवालात में बन्द नहीं करते थे, बल्कि काठ में दे देते थे। हवालात-जैसी फिजूलखर्ची से लोगों को और सरकार को बड़ी नफरत थी। इसलिए हवालात के स्थान पर काठ की सस्था प्रचलित थी। हवालात यह सनकी सरकार की सनक की निशानी मानी जाती थी। एक बड़ा लक्कड होता था, जिसके ऊपर-नीचे के दो पाट होते थे और बीच में पाँव डालने के कई छेद। उन छेदों में दोनों पाँव डालकर लक्कड का ऊपरी सिरा ताले से बन्द कर दिया जाता था, जिससे कैदी के दोनों पाँव उन छेदों में इस तरह जकडबन्द हो जाते थे कि कैदी भाग न सके। एक-एक काठ में पाँच-पाँच आदमी तक जकड़ दिए जाते थे। न जरूरत रहती थी हवालात की और न बेड़ी की।

जितने आदमियों को पकड़ा, उन सबको खुले मैदान में पड़े हुए काठ में डाल दिया गया। यह तरीका बड़ा क्रूर था, पर उस जमाने का यही सनातन धर्म था। इसकी क्रूरता का तो किसीको खयाल ही नहीं होता था। कैदी खुले मैदान में काठ में पड़ा रहता था। घरवालो और मिलने-भिटनेवालो को कोई मुमानियत नहीं थी। सारी चीज सीधी-सादी, कम खर्चीली प्रतीत होती थी। इसमें कोई ऐब है, ऐसा किसीने नहीं बताया, और जिसने बताया उसको ही ऐवी माना गया।

उस समय की प्रथा के अनुसार नाहरसिंह के दोनों पाँव काठ में डाल दिये गए। काठ में जकड़वन्द नाहरसिंह को उसके घरवाले रोटी खिला जाते थे। चिलम-तम्बाकू की आवभगत भी होती थी, जिसमें पुलिस और कैदी दोनों शरीक होते थे। गपशप तो चलती ही रहती थी। पर तो भी आखिर काठ तो काठ ही है। नाहरसिंह तीन रात और दिन लगातार काठ में पड़ा रहा। खाना भी उसको जब दिया जाता, तब पाँव काठ में ही रहते थे। पाखाना जाने के लिए ही छुट्टी मिलती थी। जाहिर है कि ऐसी वेदना कड़े-से-कड़े दिल को भी हिला देती है।

नाहरसिंह का भी यही हाल हुआ। नाहरसिंह ने सोचा, आखिर कैदखाने में इमसे ज्यादा और क्या परेशानी हो सकती है। फिर कैद को ही दावत क्यों न दी जाय !

जब यह कष्ट असह्य हो चला तब अन्त में नाहरसिंह की मर्दानगी भी काफूर हुई। दो-चार थप्पड़ भी पड़े और थप्पड़ पड़ते ही नाहरसिंह ने नारा किस्सा स्वीकार कर लिया। अदालत में मुकदमा चला। उन दिनों की अदालत में 'सेशन' और 'जुरी' का शमेला नहीं था। 'नाजिम' अपनी वृद्धि से मुकदमे को समझ

लेता था। गद्दी और मसनद के सहारे बैठकर इजलास होता था और नाजिम अपना फैसला सुनाता था। नाहरसिंह का मुकदमा भी इसी क्रम से हुआ। अन्त में नाजिम ने फैसला दिया और नाहरसिंह को जनम-कैद की सजा सुना दी गई।

जबतक हमें स्वतंत्रता नहीं मिली, तबतक जयपुर में फाँसी की सम्पूर्ण रोक थी। चाहे कितना ही बड़ा जुर्म क्यों न हो, किसी भी जुर्मी को तबतक फाँसी नहीं हुई। इसलिए नाहरसिंह को भी जनम-कैद की ही सजा हुई। सजा होते ही उसे वहाँ से चालान करके जयपुर की जेल में जनम-कैद भुगतने के लिए भेज दिया गया।

जेल में पहुँचते ही नाहरसिंह की दाढी-मूँछ मूँड दी गई और कैदी के कपड़े दे दिये गए।

नाहरसिंह ने स्तब्ध होकर नये भेष को धारण तो किया, पर उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह नई दुनिया में आ गया है। नाहरसिंह रो पड़ा। अपनी पुरानी जीवनी की याद उसे सताने लगी—“कहाँ वह मेरा बाँकापन, कहाँ मेरी दाढी, कहाँ मेरा जाडिया और कहाँ यह मुडन और यह नया भेष और ऊपर से पाँव में वेडी।”

कुछ दिनों तक तो नाहरसिंह पागल-सा हो बैठा। भीतर-ही-भीतर आग धधकती थी। मुशी बनवारीलाल ने आश्वासन दिया था—“गुनाह मजूर कर लो, फिर सब तरह से तुम्हारी मदद करूँगा।” उसने धोखा दिया। मदद के वजाय यह जनम-कैद करवा दी। पर अब कोई सुननेवाला भी नहीं। जरा ची-चपड करो तो मार पडती है। भीतर आग को बुझाने के लिए पानी था, वह भी आँसू होकर बह गया, इसलिए आग धधकती

ही रही ।

नाहरसिंह का रोना जारी रहा । वह शायर तो नहीं था, पर उसकी आहें शायरी का स्रोत बन कर बहने लगीं ।

आता है याद मुझको

गुजरा हुआ जमाना ।

जब से चमन छुटा है

यह हाल हो गया है ।

दिल गम को खा रहा है,

गम दिल को खा रहा है ।

आजाद मुझको कर दे

ओ क़ैदखाने - वाले ।

मैं बेजुबान हूँ कैदी,

तू छोड़कर दुआ ले ।

पर आजाद कौन करे ! नाहरसिंह जब रो-रोकर थक गया तो उसका उद्वेग शिथिल हो चला । गम दिल को खा गया और दिल गम को खा गया । जवाँ बेजवाँ हुईं । अब रोना बन्द हुआ ।

कैद के आश्रय से पहले मन मारकर, फिर धीरे-धीरे सहिष्णु होकर, समन्वय करने लगा । पिछले जमाने को भूलने लगा । “सबका चहचहाना” और चिड़ियों का चहचहाना यहाँ भी था । उसीसे गाँठ बाँधी ।

जब नाहरसिंह जेल में कुछ शान्त हुआ तो मैं उसमें मिलने गया । मैंने कहा, “नाहरसिंह, आखिर तुमने एक प्राणी की हत्या की है, अब तुम्हें सजा भुगतनी है । उसे रो-रोकर क्यों भुगतते हो ? खुशी-खुशी क्यों न भुगतो ! बहादुरी इसीमें है

कि ईश्वर ने जो भेजा, उसे सिर चढाकर मजूर करो। यहाँ भुगत लगे तो आगे की छुट्टी है।” नाहरसिंह को गाति मिली, और जेल के जीवन से मैत्री करने लग गया।

जेल के सुपरिटेण्डेंट मेरे मित्र होते थे। मैंने उनसे बात करके नाहरसिंह को कुछ सुविधाएँ भी दिलवा दी। जेलर की सिफारिश से नाहरसिंह को गलीचे बुनने का काम सिखाया जाने लगा। नाहरसिंह उद्योग में कुशल निकला और जल्दी ही वह गलीचा बुनना सीख गया। इसके अलावा और भी दो-चार हस्त-कौशल के उद्योग उसने सीख लिये। नाहरसिंह दक्ष हो गया और इस लायक बन गया कि वह जेल के बाहर आकर अच्छी तरह अपनी जीवन-यात्रा सँभाल सके। मगर नाहरसिंह था पूरा उप-द्रवी।

कुछ काल के बाद जेल के एक वार्डन से झगडा करके उसकी नाक को वह दाँतो से चबा गया। सम्भव है, मनोवैज्ञानिकों की कल्पना के अनुसार नाहरसिंह का नाकों से कोई नाता रहा हो, या फिर कोई ग्रह ऐसा पडा हो, जो नाहरसिंह को नाको की ओर आकर्षित करता रहा हो। पर वार्डन की नाक की घटना ने इतना तो प्रमाणित कर दिया कि नाहरसिंह नाक ढूँढता फिरता था। मियाँ की नाक न सही तो वार्डन की ही सही। नतीजा यह हुआ कि नाक चबा जाने के अपराध में उसकी जेल की मियाद बढ़ गई। पर नाहरसिंह की औद्योगिक शिक्षा तो जारी थी ही। इस तरह साढे वीस साल तक नाहरसिंह जेल में रहा और जब जेल से बाहर निकला तो सौम्य होकर, कई उद्योगों में कुशल होकर ही निकला।

जवतक जेल में रहा, नाहरसिंह से मेरा सम्पर्क जारी था।

कुछ देखा, कुछ सुना

मैंने देखा, मैंने सुना। लते ही वह मेरे पास आया। फटे कपड़े पहने था, मैंने बीस साल तक वेड़ियाँ पड़ी रहने की वजह से कदम छोटे हो गए थे और दाढ़ी भी नदारद थी। नियंत्रण के आने के कारण उसका पुराना औद्धत्य चला गया था और वह विनम्र हो गया था।

मैंने पूछा, “कहो नाहरसिंह, कैसे हो ? अब क्या करना है? कमाकर तो खाना ही है, फिर सोच लो, क्या करोगे ?”

नाहरसिंह ने कहा, “बाबूजी, मैं बीस साल तक महाराजा माधोसिंहजी का मेहमान रहकर आया हूँ, अब किसी छोटे-मोटे का मेहमान नहीं रह सकता। हाथी पर चढ़कर गदहे पर कैसे बैठूँ?” उन दिनों जयपुर के महाराजा माधोसिंहजी थे। मुझे उसकी चुटकी पर हँसी आई। नाहरसिंह की ओर मेरा आकर्षण तो था ही। इसलिए मैंने उसे अपनी शिल्पशाला में विद्यार्थियों को गलीचा बुनना सिखाने के लिए मास्टरी के पद पर तैनात कर दिया। नाहरसिंह ने अच्छे-अच्छे गलीचे बनवाये और कई लड़कों को कारीगर बनाकर कमाने-खानेलायक बना दिया।

धीरे-धीरे अब नाहरसिंह पर बुढ़ापा सवार होने लगा। आँखें कमजोर हो चली। नाहरसिंह फिर मेरे पास आया और बोला, “भुजसे अब यह गलीचे का काम नहीं होगा, कुछ और काम दीजिये। आँखें काम नहीं दे रही हैं, और बुढ़ापे की कमजोरी भी आ रही है।”

चिड़ावा जानेवाली सड़क के दोनों ओर मैंने वृक्ष लगवाये थे। अंत और गायें उन्हें बीच-बीच में खाकर नुकसान पहुँचाती थी। इसलिए उनकी रखवाली के लिए एक चुस्त रक्षक की जरूरत थी। मैंने पूछा, “नाहरसिंह, वृक्षों की रखवाली का काम करोगे?”

## नाहरसिंह

“हाँ, यही तो राजपूत के लायक काम है। अबतक मुझे मुझ छोटा काम सौंप रखा था। राजपूतो का काम तो रक्षा करना है, और वह मुझे पसन्द है।”

दूसरे दिन नाहरसिंह रखवाली के लिए सजकर आया। अपनी सफेद दाढी पर कलप चढा ली और वही पुरानी साँग और बर्छी, पीठ पर ढाल, कमर मे तलवार और कटार लटकाकर खासा अच्छा साफा बाँधकर वह हाजिर हुआ। देखता हूँ, साथ मे एक टट्टू भी लाया। मैने पूछा, “यह क्या है ?” “यह टट्टू मैने बारह रुपये मे खरीदा है। बिना सवारी के राजपूत शोभता नही।”

दूसरे दिन टट्टू पर चढकर नाहरसिंह रणबाँका राजपूत बनकर रखवाली के लिए सफर पर निकला। टट्टू पूरा टिघण था, इसलिए नाहरसिंह जब सवार होता तो उसके पाँव करीब-करीब जमीन को छू जाते थे। लोग हँसकर मुँह फेर लेते थे, क्योकि नाहरसिंह के मुँह के सामने हँसना अब भी खतरनाक था।

नाहरसिंह के ससार की गाडी इस तरह चलती जाती थी, और वह बुड्ढा भी होता जा रहा था।

पर इसी बीच मे एक अद्भुत घटना घट गई। नाहरसिंह पर इश्क का भूत सवार हो गया—“सारे आजारो से बढकर इश्क का आजार है।” नाहरसिंह भी इस आजार के सपाटे मे आ गया। एक जाटनी थी। वह भी अपने पति की हत्या करके नाहरसिंह की तरह जयपुर-जेल मे जनम-कैद काटकर आई थी। नाहरसिंह को अपने लिए एक साथी की आवश्यकता महसूस होती थी, और जब यह जाटनी मिली तो उसे वह जोडी पसन्द

कुछ देखा, कुछ सुना

नाहरसिंह ने झटपट उससे गादी कर ली। जाटनी नाहरसिंह से उम्र में छोटी थी, पर गुणों में उससे पूरा मुकाबला करनेवाली थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही उस जाटनी के पराक्रम का नाहरसिंह को पता चल गया। जाटनी ने नाहरसिंह को पीटना शुरू कर दिया। वह 'नाहर' और 'सिंह', जिसका गाँव में तहलका था, अब उस जाटनी के सामने भीगी बिल्ली हो गया। नाहरसिंह घर के बाहर तो अब भी शेर था, पर घर के भीतर था पूरा बिल्ली। नाहरसिंह को जो तनख्वाह मिलती, वह सारी-की-सारी जाटनी अपने पल्ले में बाँध लेती थी। नाहरसिंह सिवा खाने-पीने के नकद से पूरा वंचित हो गया।

जरदार मरद नाहर घर रहो या बाहर;

बेजर का मरद बिल्ली, घर रहो या दिल्ली।

नाहरसिंह 'बेजर' हो गया और बिल्ली भी हो गया। पर नाहरसिंह की गान और शौकत घर के बाहर वही थी, जो पहले थी। उसमें कोई भी कमी नहीं हुई। अब नाहरसिंह और बुढ़ा हो चला। एक दिन आकर बोला, "सरकार, अब तो पेंशन कर दीजिये। घोड़े पर अब नहीं चढ़ा जाता।" मैंने कहा, "अच्छा, पेंशन ले लो और 'राम-राम' करते रहो!"

नाहरसिंह अब पेंशन से जीवन व्यतीत कर रहा है। ८६ साल का हो गया है। जब-जब पिलानी जाता हूँ, नाहरसिंह मुजरा करने आता है। वही दाढ़ी और मूँछों की सजावट, वही ढाल, तलवार, कटार, वही माँग और बर्छीं। केवल एक परिवर्तन हुआ है। नाहरसिंह के एक हाथ में बर्छीं हैं, तो एक हाथ में

माला—वह एक तरफ अपनी गान की अकड़ निभाता है, और दूसरी ओर 'राम-राम' भी जपता रहता है।

नाहरसिंह एक अविस्मरणीय व्यक्ति है, जिसे भूलना असम्भव है।

## मुझसे सब अच्छे

मुझे सवेरे टहलने की आदत है। प्रातःकाल की शुद्ध हवा मनुष्यों को नया जीवन देती है। जब-जब मैं घर पर रहता हूँ, सवेरे का भ्रमण एक प्रकार का नियम-सा हो गया है। एक रोज सवेरे टहलने निकला तो वायु की परमार्थ-वृत्ति पर विचार करने लगा।

पश्चिमी हवा चल रही थी। मैंने सोचा, यह वायु कितने परिश्रम के बाद यहाँ पहुँची होगी। कहाँ से चली, कितना उपकार किया, इसका अन्दाजा कौन लगाये। भारत का पश्चिमी सागर यहाँ से करीब ६०० मील होगा, किन्तु इसके आगे अफ्रीका तक केवल निर्जन समुद्र-ही-समुद्र है। सम्भवतः उससे भी पश्चिम और पश्चिमतर के प्रदेशों, पहाड़ियों, नदियों, समुद्रों, मनुष्यों, जीव-जन्तुओं को दर्शन देती हुई यह वायु यहाँ पहुँची होगी, और अब यहाँ के लोगों को मुख देती हुई अपने कर्तव्य-पालन के लिए, शान्त भाव से पूर्व प्रदेशों की ओर अग्रसर होगी।

मैंने सोचा, यह हवा इतनी सेवा करती है, फिर भी अश्व-वारों में इसकी चर्चा क्यों नहीं होती। हवा से मैंने कहा—“हवा, तुम ससार का इतना उपकार करती हो, किन्तु नुम्हारी सेवा की खबर मैं अश्ववारों में तो कभी नहीं पढ़ता। तुमको चाहिए कि

जो थोड़ी-सी बात करो, उसको बढा-चढाकर अखबारो मे छपा दिया करो ।” हवा ने कहा—“कौन-सा अखबार अच्छा है ?” मैने कहा—“हिन्दी-अग्रेजी के बहुत-से अखबार है । सभी मे अपनी प्रशसा छपाया करो ।” हवा ने पूछा—“क्या सूर्यलोक एव चंद्रलोक मे भी तुम्हारे यहाँ के अखबार जाते है ?” मैने कहा—“वहाँ तो नही जाते ।”

हवा ने मेरी मूर्खता पर हँस दिया और कहा—“तुम पक्के कूप-मडूक हो, तुम्हारे लिए थोडे-से लोग ही ब्रह्माण्ड है । मैने तो प्राणिमात्र की सेवा का व्रत ले रखा है, और मेरा अखबार है मेरे ईश्वर का हृदय । वहाँ सब खबरे अपने-आप पहुँचती है—भली-बुरी सभी बाते वहाँ छपती रहती है । किसी बात का वहाँ पक्षपात नही । किसीके कहने से वहाँ कोई खबर नही छापी जाती । सच्ची खबरे वहाँ स्वयं छप जाती है । मै तुम्हारी तरह मूर्ख नही, जो विज्ञापनवाजी की दलदल मे फँस जाऊँ । नि स्वार्थ भाव से प्राणिमात्र की सेवा करना, यही मेरा धर्म है और मेरे स्वामी को भी यही प्रिय है । अच्छा हो, तुम भी मेरा अनुकरण करो ।”

हवा की यह स्पष्टोक्ति मुझे बडी बुरी लगी । मै, और हवा-जैसी जडवस्तु का अनुकरण करूँ । मन मे आया कि एक व्याख्यान ही झाडूँ । अखबारो मे तो उसका अतिरजित विवरण छप ही जायगा । किन्तु हवा को तो “लगन लागी प्रभु पावन की,” उसे मेरा व्याख्यान सुनने की फुरसत कहाँ । वह तो कामये दु ख-तप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम् गाती हुई जीघ्रता से चल निकली ।

तब मैने अपना सारा गुस्सा एक ऊँट पर उतार दिया । बात यह हुई कि रास्ते मे एक ऊँट महाशय अपनी थकान उतारने के

लिए हाथ-पाँव पीट-पीटकर धूल उछाल रहे थे। मैंने गर्द से तंग आकर, कोप से ऊँट से कहा—“तुम बड़े गँवार हो, जरा भी तमीज नहीं। पशु ही जो ठहरे ! हम लोग जिन रास्तों से होकर निकलते हैं, उनमें गरीब मनुष्य भी किनारे खड़े होकर झुककर हमें प्रणाम किया करते हैं। हम जब-जब टहलने जाते हैं, तब-तब हमारे लठैत नौकर रास्ते में चलनेवालों का नाकोदम कर देते हैं। तुमने हमें झुककर प्रणाम करना तो दूर रहा, उलटा धूल उछालना गुरू कर दिया ! इसीसे मालूम होता है कि तुम गँवार भी हो और धृष्ट भी।”

इस पर ऊँट ने अपना व्यायाम करना तो वन्द कर दिया, पर वह मेरी बात सुनकर खिल-खिलाकर हँस पड़ा। बोला—“तुम मूर्ख तो हो ही, किन्तु अभिमानी भी हो। अभी तो तुम पवन को उपदेश देने की धृष्टता कर रहे थे। पवन तो आदर्श सेवक है, ईश्वर-भक्त है, उसने तुम्हें कुछ नहीं कहा, किन्तु मुझे उपदेश देने की धृष्टता मत करना ! वस, यह समझ लो कि मुझसे तुम बहुत गये-बीते हो।” मैंने कहा—“ऊँट, तू पशु होकर मनुष्य को उपदेश देने चला है ! मुझे तेरी बुद्धि पर तरस आता है।” ऊँट की मुखाकृति गम्भीर हो उठी, आँखों में तेज चमकने लगा। अपने नयनों को फटकारकर उसने कहा—“क्या केवल मनुष्य-देह मिलने से ही मनुष्य अपने को मनुष्य कहने का अधिकारी हो जाना है ? क्या औरंगजेब, नादिरशाह, महमूद गजनी, हत्यारा अब्दुर्गनीद या कंस, दुर्योधन और ऐसे-ऐसे अनेक अपने-को मनुष्य कहने के अधिकारी हो सकते हैं ? और उन्हें मनुष्य-देह मिल गई, इसी विन्ने पर क्या वे अपने को हम पशुओं से ऊँचा समझते हैं ? यदि तुम भी ऐसा मानते हो तो तुम्हारी बुद्धि का

हजार बार धिक्कार है।”

मैं कुछ ठण्डा पड गया। मैंने कहा—“भाई ऊँट, उन पापी मनुष्यों की बात न करो। वे जर-राक्षस थे, किन्तु मैं तो ऐसा नहीं हूँ। मैं तो अपने लिए कह सकता हूँ कि अपनी समझ में मैं तुमसे कहीं अच्छा हूँ।” ऊँट फिर हँस पडा। कहने लगा—“अच्छा, जरा बता तो दो, तुममें मुझसे कौन-सी अच्छी बात है ?”

मैं सोचने लगा, क्या बताऊँ ? आखिर मुझमें कौन-कौन-सी अच्छी बातें हैं, जिनका मैं गर्व कर सकूँ ? अत्यन्त साहस करके मैंने दबी जवान से कहा—“अच्छा, तो देखो, तुम जानते हो मैं त्यागी लोगो से कितना प्रेम करता हूँ, खादी पहनता हूँ, यह क्या कुछ कम है ?” ऊँट ने गर्व के साथ कहा—“इसमें गर्व करने की क्या बात है ? मुझे देखो, मैं तो कुछ भी नहीं पहनता।” मैंने कहा—“और सुनो, मैं भोजन भी सादा खाता हूँ, मिर्च-मसाले नहीं खाता।” ऊँट ने कहा—“अच्छा त्याग किया ! मुझे तो देखो, केवल सूखी पत्तियाँ चबाकर रह जाता हूँ।” मैंने कहा—“मैंने तो गृहस्थाश्रम का भी त्याग कर दिया है।” ऊँट ने कहा—“क्यों झूठा अभिमान करते हो ? मैंने तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश ही नहीं किया, सो मैं तो बाल-ब्रह्मचारी हूँ।” मैंने कहा—“मुझमें ईर्ष्या-द्वेष अधिक नहीं, झूठ बहुत कम बोलता हूँ, सो भी अनजान में, रोष भी कम आता है।” ऊँट ने कहा—“इसमें कौन-सी बड़ाई की बात है ? मुझमें न ईर्ष्या है, न द्वेष, और न क्रोध, झूठ तो कभी जीवन में बोला ही नहीं।”

मैंने कहा—“मुझमें सेवावृत्ति है।” ऊँट ने कहा—“इसका नमूना तो हम रोज देखते हैं। कल एक पीला बछड़ा रो रहा था, क्योंकि उसकी माँ का दूध नित्य-प्रति तुम पी लेते हो। बछड़ा

## छ देखा, कुछ सुना

तृण खाकर जीवन-निर्वाह करता है। उस दिन, मुनते है, तुमने एक छोड़े काँभी दौड़े कराकर मार डाला। शहर के तमाम घोड़े मे इस बात की चर्चा थी। उनकी एक विराट् सभा हुई थी। उसमे मृतक के प्रति सहानुभूति और तुम्हारे प्रति घृणा-सूचक प्रस्ताव भी पास किये गए थे। न मालूम इस प्रकार तुमने कितने ऊँटो, घोड़ो और बैलो को कष्ट दिया है। कितने पशुओ को लँगडा किया है। कितनो को अपनी मोटर के धक्को से गिराया है। अच्छा सेवा का दम भरने चले हो। मुझे देखो, न कपड़े पहनता हूँ और न जिह्वा-स्वाद का नाम-मात्र भी सम्बन्ध है। केवल सूखे तृण खाता हूँ, फिर भी बेत, कोड़े और ठोकरे खाता हुआ नम्रता-पूर्वक तुम लोगो की सेवा करता हूँ। इसीको सेवा-व्रत कहते है। तुम लोगो से सेवा कैसे सम्भव है? पहनने के लिए तुमको कीमती वस्त्र चाहिए, खाने के लिए सुस्वादु भोजन, सेवा के लिए नौकर, रहने के लिए महल, टहलने के लिए अच्छे वाहन या मोटर। सफर करते हो तो मनो सामान एव सुख-सुविधा की सामग्रियाँ साथ बलती है और तुम्हारे लिए बोझा ढोना पडता है हमको। अकाल पडता है तो हम लोग भूखो मरते है, पीने को पानी नही मिलता, किन्तु तुम्हारे बगीचो की फुलवाडी को सरसब्ज रखने मे ही गाँव के अनेक बैलो की गान्ति नष्ट हो जाती हैं। हम लोग प्राय ब्रह्मचारी रहते है, किन्तु मुनते है, तुम्हारा मनुष्य-ममाज इसमे बडा पतित है। गर्म की बात है कि इसपर भी तुम अपने-को श्रेष्ठ समझो।”

ऊँट की बात मेरे हृदय मे चुभ गई। मुझे ग्लानि होने लगी। अन्तरात्मा कहने लगी—“मूर्ख, तू ऊँट से भी गया-बीता है।” पान लड़े हुए करीब के वृक्ष ने सिर हिलाकर कहा—“ऊँट सच

कहता है ।” तब मैंने कहा—“प्रभो, मुझे ऊँट-जितना आत्म-बल दो !”

सहसा आकाश मे बिजली चमकी । मेघ गरजा । सुनने-वालो ने सुना । कहनेवालो ने कहा

मो सम कौन कुटिल खल कामी !

जेहि तन दियो ताहि बिसरायो,

ऐसो निमकहरामी ।

मो सम कौन कुटिल खल कामी !

किसीने कहा—“कहनेवाला और सुननेवाला दोनो एक है।”

किसीने कहा—“यह अन्तर्नाद है।”

मैंने चित्लाकर कहा—“मुझसे सब अच्छे है ।”